मेन्स आंसर राइटिंग

संग्रह

जुलाई 2025

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 3

- इतिहास 3
- भूगोल 8
- भारतीय विरासत और संस्कृति 10
- भारतीय समाज 11

सामान्य अध्ययन पेपर-2 18

- राजनीति और शासन 18
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध: 30
- सामाजिक न्याय 35

सामान्य अध्ययन पेपर-3 43

- अर्थव्यवस्था 43
- जैव विविधता और पर्यावरण 48
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 50
- आंतरिक सुरक्षा 54
- आपदा प्रबंधन 59

सामान्य अध्ययन पेपर-4 64

- केस स्टडी 64
- सैद्धांतिक प्रश्न 80

निबंध 97

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के आदर्शों ने 18वीं व 19वीं शताब्दियों में क्रांतियों की दिशा तय करने तथा वैश्विक व्यवस्था को पुनर्परिभाषित करने में किस प्रकार योगदान दिया। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 18वीं और 19वीं शताब्दी की क्रांतियों के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- स्वतंत्रता और उसके प्रभाव, समानता एवं क्रांति में उसकी भूमिका तथा राष्ट्रवाद व उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिये।
- एक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

18 वीं और 19वीं शताब्दियाँ विश्व इतिहास के निर्णायक युग थे, जहाँ स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों ने दीर्घकालिक साम्राज्यों एवं राजतंत्रों को चुनौती दी। प्रबोधन के विचारकों से प्रेरित होकर, **अमेरिकी क्रांति और फ्राँसीसी क्रांति** जैसी क्रांतियों ने स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक शासन की वैश्विक आकांक्षा को जन्म दिया।

- राष्ट्रवाद, जैसा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में देखा गया, ने राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया, वहीं **आत्मनिर्णय की भावना** ने उपनिवेशवाद के अंत की नींव रखी।

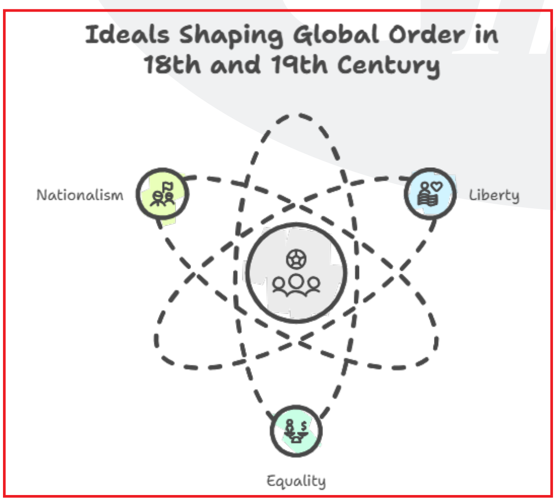

मुख्य भाग:

- **स्वतंत्रता और उसका प्रभाव:**
  - **प्रबोधन के आदर्श:** अठारहवीं शताब्दी के प्रबोधन विचारकों जैसे जॉन लॉक, रूसो और वोल्टेयर ने स्वतंत्रता को व्यक्ति का एक अपरिहार्य अधिकार बताया।
    - **लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा** और **रूसो के समाज अनुबंध** ने क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया।
  - **अमेरिकी क्रांति (वर्ष 1776):** अमेरिकी क्रांति, जो प्रबोधन के सिद्धांतों से प्रेरित थी, **स्वतंत्रता की घोषणा** के रूप में सामने आई, जिसने **औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और स्वतंत्रता के** अंतर्निहित अधिकार पर बल दिया। इसने नए राष्ट्र में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव रखी।
  - **फ्राँसीसी क्रांति (वर्ष 1789):** फ्राँसीसी क्रांति निरंकुश राजतंत्र और सामंती व्यवस्था की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थी।
    - राजशाही और सामंती व्यवस्था के विरोध में हुई इस क्रांति का मूलमंत्र था — "**Liberté, égalité, fraternité**" (स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व)। यह एक ऐसे गणराज्य की स्थापना की ओर अग्रसर थी जो व्यक्तियों के अधिकारों पर आधारित हो।
- **समानता और क्रांति में इसकी भूमिका**
  - **सामाजिक और राजनीतिक समानता:** फ्राँसीसी क्रांति और उसके बाद के नेपोलियन सुधारों ने समानता के मुद्दे को प्रमुखता दी, **विशेष रूप से अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों का उन्मूलन** तथा विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता की घोषणा।
    - **मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा (वर्ष 1789)** समानता को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि करने वाला एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ था।
  - **दास प्रथा का उन्मूलन:** समानता के आदर्शों ने दास प्रथा के उन्मूलन में भी योगदान दिया, **विशेष रूप से हैती क्रांति (1791-1804) के बाद,** जिसके कारण दुनिया में पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य स्थापित हुआ, जिसने औपनिवेशिक शक्तियों के नस्लीय पदानुक्रम को चुनौती दी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **मताधिकार का विस्तार:** 19वीं शताब्दी के दौरान, **समानता राजनीतिक अधिकारों में भी परिवर्तित** हो गई, क्योंकि **विभिन्न यूरोपीय देशों और अमेरिका** में मताधिकार का विस्तार होने लगा, जिसने **20वीं शताब्दी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिये आधार** तैयार किया।

राष्ट्रवाद और उसका प्रभाव

- **राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय:** एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद ने साझा संस्कृति, भाषा और इतिहास द्वारा परिभाषित राष्ट्र-राज्य के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
  - यह **साम्राज्यवाद और बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया** थी, विशेष रूप से यूरोप एवं लैटिन अमेरिका में।
- **फ्राँसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद:** फ्राँसीसी क्रांति ने पुरानी सामंती व्यवस्था से अलग होकर फ्राँसीसी राष्ट्रीय पहचान की भावना को जन्म दिया, जो नेपोलियन युद्धों के दौरान और अधिक प्रबल हो गई।
  - **नेपोलियन के विजयों ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों को फैलाया,** जिससे अन्य देशों में भी इसी प्रकार के आंदोलन शुरू हो गये।
- **यूरोप और लैटिन अमेरिका में राष्ट्रवाद का उदय:** 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप (जैसे: जर्मनी और इटली का एकीकरण) और **लैटिन अमेरिका** (जैसे: साइमन बोलिवर और जोस डी सैन मार्टिन के स्वतंत्रता आंदोलन) **में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार** हुआ, क्योंकि इन क्षेत्रों ने औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने या अपने विखंडित क्षेत्रों को एकीकृत करने की मांग की थी।
- **वर्ष 1848 की क्रांतियाँ: 'राष्ट्रों की वसंत ऋतु' के नाम से प्रसिद्ध,** यूरोप भर में ये विद्रोह राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रेरित थे।
  - यद्यपि उन्हें बड़े पैमाने पर दबा दिया गया, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में भविष्य के राष्ट्रवादी और उदारवादी आंदोलनों की नींव रखी।

वैश्विक व्यवस्था पर प्रभाव

- **राजतंत्रीय निरंकुशता का अंत:** स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों ने निरंकुश राजतंत्रों के पतन एवं गणतंत्रवाद के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - अमेरिकी और फ्राँसीसी क्रांतियों के साथ-साथ **राष्ट्रवादी आंदोलनों के उदय ने पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को चुनौती** दी, जो सदियों से विश्व पर हावी थीं।
- **नये राज्यों और राजनीतिक प्रणालियों का उदय:** 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद पर आधारित नये राज्यों का गठन हुआ, जैसे इटली और जर्मनी तथा साम्राज्यों का विघटन हुआ, जिनमें **ओटोमन साम्राज्य और हैब्सबर्ग साम्राज्य भी शामिल** थे, जो अपने क्षेत्रों के भीतर राष्ट्रवादी आंदोलनों के कारण काफी कमज़ोर हो गये थे।
- **औपनिवेशिक प्रभाव:** राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय की मांग का भी औपनिवेशिक विश्व पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।
  - जब यूरोपीय शक्तियाँ आंतरिक उथल-पुथल से जूझ रही थीं, तो औपनिवेशिक क्षेत्रों, विशेष रूप से **एशिया और अफ्रीका में, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध** शुरू हो गया, जिससे 20वीं सदी के विउपनिवेशीकरण के बीज बोये गये।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के आदर्श **परिवर्तनकारी शक्तियाँ थीं जिन्होंने 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में वैश्विक राजनीति को पुनर्परिभाषित** किया। उन्होंने न केवल क्रांतियों को आकार दिया, बल्कि आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों की नींव भी रखी। जैसा कि थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था, ***"स्वतंत्रता के वृक्ष को समय-समय पर देशभक्तों और अत्याचारियों के रक्त से सींचा जाना चाहिये।"*** ये आदर्श विश्व भर में न्याय और स्वतंत्रता की खोज को प्रेरित करते रहते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण को आकार देने में उदारवादियों और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। विश्लेषण कीजिये कि क्या उनके दृष्टिकोण एक-दूसरे के परस्पर पूरक थे या विरोधाभासी? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उदारवादियों और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की भूमिका बताइये।
- उनके पूरक और विरोधाभासी पहलुओं पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1885-1907) का प्रारंभिक चरण मुख्यत: भारतीय **राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (INC) के भीतर दो प्रमुख वैचारिक धाराओं**: उदारवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी द्वारा आकार दिया गया था।

- जहाँ **उदारवादियों ने संवैधानिक राष्ट्रवाद की नींव रखी,** वहीं क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने **जन-आंदोलन और मुखर माँगों को सामने** लाया।

मुख्य भाग:

राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों की भूमिका

- **और राजनीतिक सुधार:** दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज़शाह मेहता जैसे नेताओं ने **उत्तरदायी सरकार, विधान परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर** थे।
  - उनके दृष्टिकोण **भारत और ब्रिटेन दोनों में याचिकाएँ, प्रस्ताव, प्रतिनिधिमंडल एवं भाषण** थे (उदाहरण के लिये ,वर्ष 1890 में कॉन्ग्रेस की ब्रिटिश समिति और पत्रिका ***इंडिया*** का गठन)।
- **ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना:** नौरोजी द्वारा प्रतिपादित **"धन-निष्कासन सिद्धांत" ने उपनिवेशवाद के तहत आर्थिक शोषण** को उजागर किया।
  - उन्होंने **कृषि, भारतीय उद्योग, सिंचाई और शिक्षा को समर्थन देने वाली नीतियों की मांग** की।
- **सामाजिक सुधार और नागरिक अधिकार:** अभिव्यक्ति, प्रेस और संघ की स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया गया तथा **सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन** करने और **प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिये कार्य** किया।
  - गोखले की **'सर्वेंट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी' का उद्देश्य भारतीय समाज को आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से उन्नत करना** था।
- **राष्ट्र निर्माण:** हालाँकि यह **मुख्यत: मध्यम वर्ग तक सीमित** था, उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिये **बौद्धिक एवं वैचारिक आधार** तैयार किया।

राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की भूमिका

- **दृढ़ राष्ट्रवाद और स्वराज की माँग:** बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने उदारवादियों के समझौतावादी रुख को अस्वीकार कर दिया तथा **स्वराज को जन्मसिद्ध अधिकार घोषित कर दिया।**
  - उनकी राजनीति **भावनात्मक रूप से तीव्र और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में निहित** थी, जिसमें **भगवान शिव एवं गणपति जैसे प्रतीकों का आह्वान** किया गया था।
- **जन संगठन:** बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया **स्वदेशी आंदोलन (1905-08) एक महत्त्वपूर्ण मोड़** था। इसमें शामिल थे:
  - विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार
  - स्वदेशी उद्योग (स्वदेशी) को बढ़ावा
  - राष्ट्रीय शिक्षा
  - निष्क्रिय प्रतिरोध

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भारतीय परंपराओं का पुनरुत्थान:** उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई को उचित ठहराने के लिये **भारतीय दर्शन की पुनर्व्याख्या** की। उदाहरण के लिये तिलक के गीता रहस्य ने गीता की व्याख्या राष्ट्र सेवा के लिये निस्वार्थ कर्म के मार्गदर्शक के रूप में की।
- **राष्ट्रवाद को जनभावना से जोड़ना:** यद्यपि अहिंसक, वे **याचिका को कमज़ोर मानते थे** और **जनता को जागृत करने के लिये भावनात्मक राष्ट्रवाद पर ज़ोर** देते थे।

क्या उनके तरीके पूरक थे या विरोधाभासी?

- **पूरक पहलू**
  - **साझा लक्ष्य:** दोनों का लक्ष्य भारतीय स्वशासन था, हालाँकि रास्ते अलग-अलग थे।
  - **आधारभूत कार्य:** उदारवादियों ने जागरूकता और संस्था-निर्माण के माध्यम से ज़मीन तैयार की; क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने जनता को शामिल करने के लिये दायरे का विस्तार किया।
  - **वैचारिक प्रभाव:** गांधी जैसे बाद के नेताओं ने दोनों परंपराओं का समन्वय किया, **गोखले से संवैधानिक नैतिकता और तिलक से जन राजनीति ग्रहण की।**
- **विरोधाभासी पहलू**
  - **संलग्नता के तरीके:**
    - **उदारवादी:** संवैधानिक, सतर्क, संवाद-आधारित।
    - **क्रांतिकारी राष्ट्रवादी:** मुखर, प्रत्यक्ष-कार्य उन्मुख।
  - **ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण:**
    - उदारवादियों ने साम्राज्य के भीतर **सुधार को संभव** माना।
    - क्रांतिकारी राष्ट्रवादी **औपनिवेशिक शासन को पूरी तरह से समाप्त करने में विश्वास** करते थे।
  - **जनधारणा:** क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों पर **ब्रिटिश हितों के प्रति अत्यधिक सत्यनिष्ठ होने का आरोप** लगाया, जबकि उदारवादियों को डर था कि टकरावपूर्ण दृष्टिकोण दमन को भड़काएगा।

निष्कर्ष:

उदारवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, वैचारिक रूप से भिन्न होते हुए भी, **परस्पर विरोधी** नहीं थे, बल्कि **भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व** करते थे। जैसा कि गांधीजी ने बाद में प्रदर्शित किया, **जन-आंदोलन** (**क्रांतिकारी राष्ट्र**वादियों की ओर से) और **नैतिक श्रेष्ठता की भूमिका** (उदारवादियों की ओर से) **में सामंजस्य स्थापित** किया जा सकता है। इस प्रारंभिक चरण से प्राप्त शिक्षाओं ने उस रणनीतिक और वैचारिक आधार की नींव रखी जिस पर आगे चलकर गाँधी युग की राष्ट्रवादी राजनीति टिकी।

प्रश्न : आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय ने भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद की बौद्धिक नींव कैसे रखी? मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक राष्ट्रवाद को संक्षेप में परिभाषित कीजिये।
- आर्थिक राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये।
- व्याख्या कीजिये कि आर्थिक राष्ट्रवाद ने बौद्धिक रूप से राजनीतिक राष्ट्रवाद की नींव तैयार की।
- एक विवेकपूर्ण टिप्पणी के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

आर्थिक राष्ट्रवाद, ब्रिटिश राज की **औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के विरुद्ध वैचारिक एवं बौद्धिक प्रतिरोध** को संदर्भित करता है, जिसके कारण भारत में शोषण, गरीबी और अविकसितता फैली। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय ने राजनीतिक राष्ट्रवाद के लिये एक महत्त्वपूर्ण आधारशिला रखी, क्योंकि इसने **औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी प्रकृति को उजागर किया तथा स्वशासन की माँग के प्रति जनमत को संगठित किया।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

आर्थिक राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएँ

- **प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेतृत्व:**
  - दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और आर.सी. दत्त जैसे उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में, आर्थिक राष्ट्रवाद ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की सुविचारित आलोचनाओं के माध्यम से इसका उदय हुआ।
- **ड्रेन थ्योरी पर ध्यान:**
  - दादाभाई नौरोजी के **ड्रेन थ्योरी** (जिस पर उनकी पुस्तक 'पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में प्रकाश डाला गया है) में तर्क दिया गया था कि **ब्रिटेन बिना किसी उचित प्रतिफल के भारत की संपत्ति को लूट रहा था।**
- **स्वदेशी उद्योग का संरक्षण:**
  - नेताओं ने **अनुचित टैरिफ संरचना** की आलोचना की, जिसने **भारतीय हस्तशिल्प की कीमत पर ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा** दिया।
  - उन्होंने **सुरक्षात्मक टैरिफ, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा** देने और **भारतीय उद्यमियों के लिये राज्य समर्थन** की माँग की।
- **राजकोषीय स्वायत्तता की माँग:**
  - गोखले और अन्य लोगों ने **राजस्व, व्यय और आर्थिक नीति निर्धारण पर भारतीय नियंत्रण** पर ज़ोर दिया।
  - उन्होंने अत्यधिक सैन्य व्यय और ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के लिये भारतीय राजस्व के उपयोग का विरोध किया।

आर्थिक से राजनीतिक राष्ट्रवाद की ओर संक्रमण

- **औपनिवेशिक आर्थिक मंशा का खुलासा:**
  - आर्थिक आलोचनाओं ने **भारतीय कल्याण और ब्रिटिश हितों के बीच अंतर्निहित संघर्ष** को उजागर किया।
  - यह अहसास बढ़ता गया कि **राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक राहत असंभव** थी।
- **राजनीतिक आंदोलनों का विकास:**
  - स्वदेशी आंदोलन (1905), जो बंगाल विभाजन के बाद **ब्रिटिश वस्तुओं के आर्थिक बहिष्कार** के रूप में शुरू हुआ, **स्वराज (स्वशासन) की मांग करने वाले एक जन राजनीतिक आंदोलन** के रूप में विकसित हुआ।
  - **'ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार'** जैसे आर्थिक नारे **जन-आंदोलन और राजनीतिक दावे के साधन** बन गए।
- **प्रशासनिक और संवैधानिक सुधारों की माँग:**
  - राष्ट्रवादियों ने सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की माँग की, यह कहते हुए कि केवल भारतीय ही राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देंगे।
  - इसके साथ ही **संवैधानिक सुधारों की माँग** भी जुड़ी हुई थी, जिसमें **विधानमंडलों में भारतीयों की अधिक भागीदारी, बजट पर नियंत्रण और उत्तरदायी सरकार** शामिल थी।
  - होम रूल लीग (1916) और मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार बहस जैसे आंदोलनों ने **अंतर्निहित आर्थिक असंतोष से प्रेरित संस्थागत राजनीतिक परिवर्तन** की बढ़ती माँग को और अधिक प्रतिबिंबित किया।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, इतिहासकार बिपन चंद्रा ने उचित तौर पर रेखांकित किया है कि ***"औपनिवेशिक शासन की पूरी आलोचना धन निष्कासन के सिद्धांत (Drain of Wealth theory) के इर्द-गिर्द केंद्रित थी"*** और यह कि **'आधुनिक साम्राज्यवाद के जटिल आर्थिक तंत्र की समझ'** ने भारत में उपनिवेशवाद-विरोधी एवं बाद में साम्राज्यवाद-विरोधी राजनीति दोनों के लिये बौद्धिक आधार तैयार किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भूगोल

प्रश्न : समग्र भारत में मृदा के प्रकारों में क्षेत्रीय विविधताएँ फसल की गहनता और भूमि क्षरण के पैटर्न को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में मृदा और क्षेत्रीय संवेदनशीलता के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- क्षेत्रीय मृदा प्रकार और फसल गहनता पर उनका प्रभाव बताइये।
- कृषि पर मृदा क्षरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- क्षरण से निपटने के लिये संधारणीय कृषि पद्धतियों का गहन अध्ययन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार विभिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण करता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएँ हैं। मृदा की संरचना, बनावट और उर्वरता में क्षेत्रीय विविधताएँ **कृषि पद्धतियों, फसल सघनता एवं भूमि क्षरण के पैटर्न को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित** करती हैं।

- पंजाब जैसे क्षेत्र गहन कृषि के कारण **मृदा क्षरण का सामना** कर रहे हैं तथा **राजस्थान जैसे राज्य मरुस्थलीकरण** से जूझ रहे हैं, अत: देश की मृदा संबंधी चुनौतियाँ क्षेत्र-विशिष्ट हैं।

मुख्य भाग:

क्षेत्रीय मृदा प्रकार और फसल गहनता पर उनका प्रभाव:

- **जलोढ़ मृदा:** मुख्य रूप से सिंधु-गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली ये मृदा उपजाऊ होती है और उच्च गहनता वाली फसल के लिये अनुकूल होती है।
    - समृद्ध पोषक तत्त्व सामग्री प्रति वर्ष कई फसल चक्रों की अनुमति देती है, विशेष रूप से **पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों में।
    - **गेहूँ, चावल और गन्ना आम फसलें** हैं। हालाँकि, इन क्षेत्रों में अत्यधिक फसल उगाने से पोषक तत्त्वों की कमी हो सकती है, जिससे संवहनीयता के लिये फसल चक्रीकरण आवश्यक हो जाता है।
- **काली मृदा:** मुख्य रूप से **महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात** और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली काली मृदा (रेगुर मृदा) **चूना, लोहा और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से समृद्ध** होती है, जो इसे कपास की कृषि के लिये आदर्श बनाती है।
    - ये मृदा मध्यम फसल गहनता को सहारा देती है, लेकिन अत्यधिक सिंचाई के दौरान जलभराव की संभावना रहती है, जिससे फसल की उपज प्रभावित होती है।
- **लाल मृदा:** लाल मृदा, जो दक्षिणी भारत (**तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) में आम** है, में **नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम** होते हैं, जिसके कारण फसल गहनता कम होती है।
    - इन क्षेत्रों में मूंगफली, कपास और दालें जैसी फसलें अधिक आम हैं, लेकिन अपर्याप्त उर्वरता के कारण प्राय: प्रतिवर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या सीमित हो जाती है।
- **मरुस्थलीय मृदा:** राजस्थान जैसे शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मरुस्थलीय मृदा में पोषक तत्त्व एवं नमी कम होती है।
    - **फसल गहनता अपेक्षाकृत कम** है, केवल सूखा सहिष्णु फसलें जैसे कदन्न और दलहन ही उगाई जाती हैं।
    - इन क्षेत्रों को जल की कमी, फसल पैटर्न की कमी तथा कृषि को सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर बनाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **लैटेराइट मृदा:** पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से **केरल, कर्नाटक व गोवा** में पाई जाने वाली ये मृदा लोहे एवं एल्यूमीनियम से समृद्ध होती है, लेकिन नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी होती है।
    - इससे इस क्षेत्र की फसल गहनता कम हो जाती है तथा **काजू, रबड़ और चाय** जैसी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कृषि पर मृदा क्षरण का प्रभाव:

- **अपरदन और मरुस्थलीकरण:** राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ भागों व मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों की स्थलाकृति एवं मृदा की संरचना उन्हें मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण के लिये अत्यधिक संवेदनशील बनाती है, विशेष रूप से तब जब **अतिचारण, निर्वनीकरण और एकल फसल जैसी कृषि पद्धतियों का उचित प्रबंधन नहीं** किया जाता है।
  - **मृदा अपरदन से भूमि की उपजाऊ ऊपरी मृदा नष्ट** हो जाती है, जिससे **कृषि उत्पादकता कम** हो जाती है।
- **लवणीकरण और जलभराव:** जिन क्षेत्रों में सिंचाई गहन है, जैसे कि सिंधु-गंगा के मैदानों में, जल के अत्यधिक उपयोग से **जलभराव और मृदा का लवणीकरण** होता है। इससे भूमि कम उत्पादक हो जाती है, जिससे फसल की सघनता कम हो जाती है।
  - **मृदा में लवणों की वृद्धि से न केवल इसकी संरचना खराब** होती है बल्कि यह कई फसलों के लिये अनुपयुक्त भी हो जाती है।
  - उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता कम हो रही है।
- **मृदा उर्वरता की हानि:** निरंतर एकल फसल उत्पादन, विशेष रूप से उपजाऊ जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में, आवश्यक पोषक तत्त्वों को समाप्त कर देता है, जिससे मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है।
  - **पंजाब और हरियाणा के उच्च-तीव्रता वाले फसल क्षेत्रों** में यह देखा जा रहा है। प्राकृतिक उर्वरता के नुकसान की भरपाई के लिये रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से समय के साथ मृदा स्वास्थ्य बिगड़ता है।
- **अम्लीकरण:** कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में लैटेराइट मृदा वाले क्षेत्र, **रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा के अम्लीकरण के प्रति संवेदनशील** हैं।
  - इससे मृदा की पोषक तत्त्वों को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे फसल की उपज और कृषि संवहनीयता प्रभावित होती है।

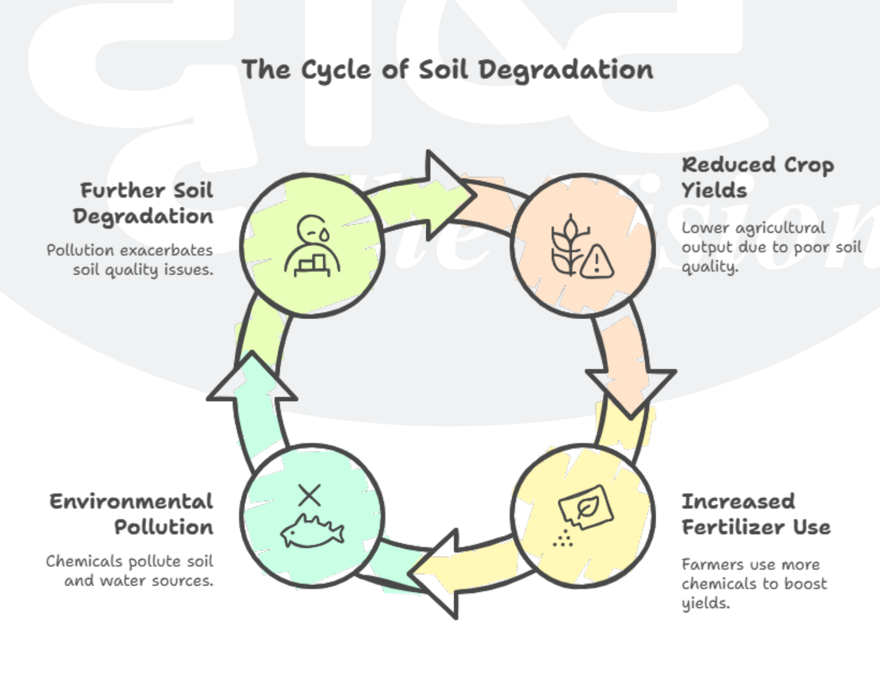

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

क्षरण से निपटने के लिये संधारणीय कृषि पद्धतियाँ:

- **फसल चक्र और विविधीकरण: फसल चक्र और विविध फसल प्रणालियों को प्रोत्साहित करने से मृदा की उर्वरता को पुनर्स्थापित** करने तथा मृदा के क्षय के जोखिम को कम करने में सहायता मिल सकती है।
  - काली और जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में, अनाज के साथ फलियाँ एवं दालें उगाने से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
- **जल संरक्षण तकनीकें:** जल की कमी वाले क्षेत्रों में, जैसे कि मरुस्थली मृदा वाले क्षेत्रों में, वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और अन्य जल-कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने से जलभराव एवं लवणीकरण के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
- **जैविक कृषि:** जैविक उर्वरकों का उपयोग, मल्चिंग तथा रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करने से मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सकती है, विशेष रूप से लाल व लैटेराइट मृदा वाले क्षेत्रों में, जहाँ प्राकृतिक उर्वरता कम है।
- **कृषि वानिकी और मृदा संरक्षण: पश्चिमी घाट और हिमालय के कुछ हिस्सों** जैसे अपरदन की संभावना वाले क्षेत्रों में, **कृषि वानिकी व मृदा संरक्षण पद्धतियाँ** (जैसे: समोच्च जुताई और वेदिका कृषि) आगे क्षरण को रोकने एवं मृदा संरचना को बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

भारत में मृदा के प्रकारों में क्षेत्रीय विविधताएँ कृषि की फसल तीव्रता तथा भूमि क्षरण पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने सही कहा है— ***"पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच की नहीं।"*** कृषि की बढ़ती माँगों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा करते हुए भूमि संसाधनों का सतत् प्रबंधन अत्यावश्यक है, ताकि वर्ष 2030 तक 'भूमि क्षरण शून्यता' की दिशा में प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय विरासत और संस्कृति

प्रश्न : मुगल काल के दौरान शुरू किये गए स्थापत्य कला संबंधी नवाचारों पर चर्चा कीजिये तथा फारसी और भारतीय शैलियों के मिश्रण की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- मुगल स्थापत्यकला के संदर्भ में जानकारी देते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- मुगल काल के दौरान शुरू की गई स्थापत्यकला की नवीनताओं पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- प्रमुख UNESCO विश्व धरोहर स्थलों का उल्लेख करते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय स्थापत्य परंपराओं के समन्वय की प्रतीक **मुगल स्थापत्यकला** ने एक विशिष्ट शैली को जन्म दिया जिसने मुगल काल की सांस्कृतिक और कलात्मक पराकाष्ठा को अभिव्यक्त किया।

- इस्लामी स्थापत्य कला की विशेषताओं को स्थानीय भारतीय तत्त्वों, जैसे: **राजपूत शैली** के मेल से ऐसे भव्य निर्माण हुए जो आज भी भारत की समृद्ध विरासत के प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं।

मुख्य भाग:

मुगल काल के दौरान शुरू किये गए स्थापत्य शिल्प नवाचार:

- **फारसी गुम्बदों और भारतीय मेहराबों का सम्मिश्रण:** मुगल स्थापत्य शैली में बड़े, **बल्बनुमा गुंबदों को प्रमुखता** दी गई है, जो **फारसी स्थापत्यकला की एक पहचान** है तथा इन पारंपरिक भारतीय मेहराबों एवं स्तंभों के साथ मिलाकर एक नवीन शैली का विकास हुआ।
  - इस समन्वय से ताजमहल जैसी भव्य और सममित संरचनाएँ निर्मित हुईं, **जहाँ फारसी-प्रेरित गुंबदों को भारतीय मेहराबों** एवं सजावटी रूपांकनों के साथ सजाया जाता था।
- **चारबाग गार्डन लेआउट: स्वर्ग का प्रतीक** फारसी-प्रेरित **चारबाग (चार-भाग वाला उद्यान) लेआउट,** मुगल स्थापत्यकला में, विशेष रूप से कब्रों और महलों के आसपास एकीकृत किया गया था। फ़ारसी प्रेरणा से विकसित 'चारबाग' अर्थात् चार भागों में विभाजित उद्यान, मुगल स्थापत्य का प्रमुख अंग बना। यह योजना विशेषत: समाधियों और महलों के आसपास प्रयुक्त हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- भारतीय बागवानी परंपराओं, जैसे जलधाराओं और फव्वारों के साथ इस शैली को इस तरह संयोजित किया गया तथा सौंदर्य एवं आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता से भरपूर उद्यानों, जैसे: **ताजमहल और हुमायूँ का मकबरा**, का निर्माण हुआ।
- **भारतीय सजावटी रूपांकनों के साथ समरूपता और ज्यामितीय परिशुद्धता: फारसी डिज़ाइन सिद्धांतों से प्रभावित मुगल इमारतें समरूपता और ज्यामितीय परिशुद्धता** के सख्त पालन के लिये जानी जाती हैं।
  - **कमल के फूल, यलि (पौराणिक शेर) नक्काशी एवं जटिल नक्काशी** जैसे भारतीय सजावटी तत्त्वों को मुगल संरचनाओं में शामिल किया गया था।
  - इस मिश्रण को इस्लामी कैलीग्राफी और ज्यामितीय पैटर्न के साथ संयोजित कर एक अद्वितीय सौंदर्यशैली उत्पन्न हुई।
    - जामा मस्जिद और लालकिला इसकी प्रमुख मिसालें हैं।
- **हिंदू मंदिर स्थापत्यकला का प्रभाव:** मुगल शासकों, विशेषकर अकबर ने अपने डिज़ाइनों में हिंदू मंदिर स्थापत्यकला के तत्त्वों को शामिल किया।
  - इसमें **हिंदू मंदिर संरचनाओं से छतरियों (ऊँचे मंडप)** और **स्तंभों** का उपयोग किया गया, तथा उन्हें फारसी शैली के मेहराबों व गुंबदों के साथ संयोजित किया गया।
  - यह मिश्रण फतेहपुर सीकरी में **दीवान-ए-खास** और सिकंदरा में **अकबर के मकबरे जैसी संरचनाओं** में दिखाई देता है।
- **विस्तृत जड़ाऊ कार्य (पिएत्रा ड्यूरा):** मुगल सजावट की एक पहचान (विशेष रूप से शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान) **पिएत्रा ड्यूरा** (पत्थर पर जड़ाऊ कार्य) थी।
  - इसमें फारसी तकनीकों को अपनाते हुए भारतीय पुष्प और ज्यामितीय डिज़ाइनों को अर्द्ध-मूल्यवान पत्थरों से तराशकर संगमरमर पर जड़ा गया। ताजमहल इसकी उत्कृष्ट मिसाल है।
  - यह जटिल विवरण सबसे प्रसिद्ध रूप से **ताजमहल** में देखा जाता है, जहाँ **संगमरमर को ज्यामितीय और पुष्प पैटर्न** में सुंदर अर्द्ध-कीमती पत्थरों से सजाया गया है।
- **विशाल, स्मारकीय प्रवेशद्वार डिज़ाइन:** मुगल स्थापत्यकला भव्य प्रवेशद्वारों के लिये जानी जाती है, जैसे फतेहपुर सीकरी का **बुलंद दरवाज़ा**, जिसमें **फारसी और भारतीय स्थापत्य तत्त्वों का मिश्रण** है।
  - दिलचस्प बात यह है कि इस **मुगल प्रवेश द्वार का डिज़ाइन दक्षिणी भारतीय मंदिरों** के **गोपुरमों** के साथ वैचारिक समानता रखता है, विशेष रूप से **द्रविड़ स्थापत्य शैली** में।
- **लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग: लाल बलुआ पत्थर,** जिसका प्रयोग अकबर द्वारा आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसी स्मारकीय संरचनाओं में व्यापक रूप से किया गया था, भारतीय स्थापत्य कला में, विशेष रूप से **राजपूत शैली में गहराई से निहित** है।

निष्कर्ष:

इस्लामी ज्यामितीय सटीकता और भारतीय शिल्प कौशल के सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप इतिहास की कुछ सबसे प्रतिष्ठित और स्थायी संरचनाएँ बनीं। **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में, ताजमहल और लाल किला** जैसे स्मारक मुगल साम्राज्य की स्थापत्य विरासत के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो फारसी एवं भारतीय शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को भावी पीढ़ियों के लिये संरक्षित करते हैं।

भारतीय समाज

प्रश्न : डिजिटल मीडिया के उदय ने भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना को परिवर्तित कर दिया है। समकालीन भारत में सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी और पहचान निर्माण पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सोशल मीडिया के उदय और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी देकर उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक सहभागिता और पहचान निर्माण पर इसके प्रभाव को अलग-अलग रूप में व्याख्या कीजिये।
- सोशल मीडिया के विनियमन को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।
- किसी प्रासंगिक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

सोशल मीडिया के उदय ने भारतीय समाज को उल्लेखनीय रूप से बदल दिया है, जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति समन्वय करते हैं, राजनीतिक रूप से जुड़ते हैं और अपनी पहचान को आकार देते हैं। 60 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के साथ, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म संचार के माध्यम मात्र नहीं रह गये हैं, बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन, जनसंगठनों की सक्रियता एवं राजनीतिक विमर्श के सशक्त औज़ार बन चुके हैं।

मुख्य भाग:

सामाजिक व्यवहार पर सोशल मीडिया का प्रभाव:

- **संचार पैटर्न में परिवर्तन:** सोशल मीडिया ने संचार को तात्कालिक और व्यापक बनाकर इसमें क्रांति ला दी है।
  - व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्मों के कारण आभासी समुदायों का उदय हुआ है, जिससे लोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में एक-दूसरे से जुड़े रह सकते हैं।
  - हालाँकि, इस बदलाव के कारण आमने-सामने की बातचीत में कमी आई है और डिजिटल निर्भरता का विकास हुआ है।
- **सामाजिक प्रभाव और प्रवृत्तियों का उदय:** सोशल मीडिया लाइक, शेयर और टिप्पणियों के माध्यम से साथियों के प्रभाव को बढ़ावा देता है।
  - इसने 'वायरलिटी की संस्कृति' को जन्म दिया है, जहाँ सामाजिक व्यवहार प्राय: ऑनलाइन रुझानों और प्रभावशाली लोगों द्वारा संचालित होता है। यह उपभोग पैटर्न, जीवनशैली और विचारों को प्रभावित करता है, विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच।
  - #VeganMovement जैसे रुझानों ने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से महत्त्वपूर्ण गति प्राप्त की तथा सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करते हुए सामाजिक मुद्दों को उजागर किया।
- **सामाजिक कौशल में गिरावट:** डिजिटल मीडिया ने सुविधा तो प्रदान की है, लेकिन इसने पारंपरिक सामाजिक कौशल को भी नष्ट कर दिया है। युवा पीढ़ी को प्राय: व्यक्तिगत बातचीत में शामिल होना अधिक कठिन लगता है, जिसका असर उनके पारस्परिक संबंधों और भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर पड़ता है।
  - अध्ययनों से पता चला है कि **भारत में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि** हुई है, विशेष रूप से किशोरों में, साइबर बुलिंग या ऑनलाइन कम्पैरिज़न के कारण चिंता और अवसाद जैसी समस्याएँ बढ़ी हैं।

राजनीतिक भागीदारी पर सोशल मीडिया का प्रभाव:

- **राजनीतिक आवाज़ों का प्रवर्द्धन:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने राजनीतिक विमर्श को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे सभी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति मिलती है।
  - इससे सीमांत समूहों को आवाज़ मिली है और उन राजनीतिक मुद्दों को उठाने में मदद मिली है, जो अन्यथा अनदेखे रह जाते।
  - **वर्ष 2020 के किसान आंदोलन** ने समर्थन जुटाने के लिये सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जिसमें फेसबुक और ट्विटर का उपयोग विरोध प्रदर्शन आयोजित करने तथा जागरूकता बढ़ाने के लिये किया गया।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** यद्यपि सोशल मीडिया ने राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई है, लेकिन इसने ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दिया है।
  - फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों पर एल्गोरिदम प्राय: उस विषय-वस्तु को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं जो उपयोगकर्त्ताओं की मौजूदा मान्यताओं के अनुरूप होती है, जिसके परिणामस्वरूप इको-चैम्बर्स का निर्माण होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

   - **वर्ष 2019 और 2024 के भारतीय आम चुनावों में** राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लक्षित कंटेंट के साथ लक्षित करने के लिये सोशल मीडिया का रणनीतिक उपयोग देखा गया, जिससे प्रायः विचारों में ध्रुवीकरण हुआ और विभाजन बढ़ गया।
- **गलत सूचना और फर्ज़ी समाचार:** फर्ज़ी समाचार, गलत सूचना और अभद्र भाषा का प्रसार सोशल मीडिया पर एक बड़ी चुनौती बन गया है।
   - **वर्ष 2019 के आम चुनावों** के दौरान व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेशों, विशेष रूप से राजनीतिक उम्मीदवारों के बारे में फर्ज़ी खबरों ने मतदाता व्यवहार को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पहचान निर्माण पर सोशल मीडिया का प्रभाव:

- **डिजिटल पहचान का निर्माण:** सोशल मीडिया व्यक्तियों को स्वयं का एक सुव्यवस्थित संस्करण प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जिससे डिजिटल पहचान का निर्माण होता है।
   - ये पहचानें प्रायः वास्तविक जीवन के व्यक्तित्वों की तुलना में ज़्यादा परिष्कृत और आदर्श होती हैं। यह आत्म-सम्मान को प्रभावित करता है और व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को कैसे देखता है, इस पर भी असर डालता है।
   - **इंस्टाग्राम** जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ताओं को एक निश्चित जीवनशैली को दर्शाने वाले फोटो और वीडियो साझा करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं, जिससे प्रायः प्रतिस्पर्द्धा एवं तुलना की भावना उत्पन्न होती है, विशेष रूप से युवाओं में।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की पुष्टि:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे स्थान बन गए हैं जहाँ लोग अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मुखर एवं सुदृढ़ करते हैं। समुदाय अपनी विरासत को साझा कर सकते हैं, जिससे जुड़ाव तथा एकजुटता की भावना बढ़ती है।
   - **#DalitLivesMatter जैसे हैशटैग** के उदय ने सीमांत समुदायों को जातिगत भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सामाजिक न्याय की वकालत करने के लिये एक मंच प्रदान किया है।
- **स्थानीय पहचान पर वैश्वीकरण का प्रभाव:** यद्यपि सोशल मीडिया वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों को जोड़ता है, इसने कुछ मामलों में स्थानीय संस्कृतियों के क्षरण को भी बढ़ावा दिया है। पाश्चात्य आदर्श, जीवन शैली और सांस्कृतिक मानदंड प्रायः ऑनलाइन स्थानों पर हावी होते हैं, जिससे भारत में युवा लोगों की आत्म-पहचान में बदलाव होता है।
   - **पश्चिमी फैशन प्रवृत्तियों, संगीत** (जैसे **के-पॉप**) और **जीवनशैली विकल्पों की बढ़ती लोकप्रियता** भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं व पहचान को प्रभावित कर रही है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में।

सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक जुड़ाव और पहचान निर्माण पर **सोशल मीडिया के गहन प्रभाव** को देखते हुए, इसके **संभावित नुकसान को कम करते हुए इसके सकारात्मक प्रभाव को विनियमित करने एवं बढ़ाने के लिये प्रभावी उपायों को लागू करना महत्त्वपूर्ण** है। निम्नलिखित उपाय इस संतुलन को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं:

- **डिजिटल आचार संहिता के माध्यम से व्यापक सोशल मीडिया विनियमन: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम,** 2021 के अनुसार एक विस्तृत डिजिटल आचार संहिता पेश की जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्लेटफॉर्म नैतिक सामग्री-साझाकरण मानकों का पालन करें।
   - इसे **श्रेया सिंघल मामले में दिये गए फैसले के आधार पर** बनाया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑनलाइन स्पीच का कोई भी विनियमन संविधान के दायरे में रहे और इससे मनमाना सेंसरशिप न हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (PDPB) का त्वरित कार्यान्वयन:** यह सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिगत जानकारी केवल सूचित सहमति से एकत्रित, संग्रहीत और साझा की जाए, जिससे गोपनीयता बढ़ेगी तथा दुरुपयोग को रोका जा सकेगा, जो आज की डेटा-संचालित दुनिया में महत्त्वपूर्ण है।
- **स्कूलों में अनिवार्य डिजिटल साक्षरता और साइबर नैतिकता पाठ्यक्रम: शैक्षिक पाठ्यक्रम में अनिवार्य डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम** शुरू करने से युवाओं को सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिये आवश्यक कौशल से तैयार किया जा सकता है।
  - छात्रों को ऑनलाइन नैतिकता, गोपनीयता संरक्षण और डिजिटल सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित करने से जागरूक उपयोगकर्त्ताओं की एक पीढ़ी तैयार होगी, जो ऑनलाइन हेरफेर के प्रति कम संवेदनशील होंगे तथा अपनी ऑनलाइन भागीदारी में अधिक जिम्मेदार होंगे।
- **एल्गोरिदम हेरफेर के लिये जवाबदेही का कड़ा प्रवर्तन:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रायः एल्गोरिदम के माध्यम से उपयोगकर्त्ता फीड में हेरफेर करते हैं जो सनसनीखेज़ या विभाजनकारी कंटेंट को बढ़ावा देते हैं।
  - विनियमों में **एल्गोरिदम में पारदर्शिता** लागू की जानी चाहिये, **प्लेटफॉर्मों को यह बताना अनिवार्य किया जाना चाहिये कि कंटेंट को कैसे प्राथमिकता दी जाती है** और ऑनलाइन अनुभव को आकार देने के लिये उपयोगकर्त्ता डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है।
  - इससे इको-चैम्बर्स, फिल्टर बबल्स और हानिकारक कंटेंट के प्रवर्द्धन के खतरों को कम करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष:

सोशल मीडिया से भारतीय समाज में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इसने सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक जुड़ाव और पहचान निर्माण को बढ़ाया है, लेकिन इसने ध्रुवीकरण, गलत सूचना एवं पारंपरिक मानदंडों के क्षरण जैसी चुनौतियाँ भी पेश की हैं। ***"हम अपने संचार के साधनों को जितना विस्तृत करेंगे, हम उतना ही कम संवाद करेंगे।"***

इसलिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके लाभ नुकसान से अधिक हैं, डिजिटल स्पेस को जिम्मेदारी से नेविगेट करना आवश्यक है।

प्रश्न : वैश्वीकरण ने भारतीय समाज के सांस्कृतिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है। क्या यह पारंपरिक मूल्यों के लिये खतरा है या या बहुवाद को प्रोत्साहित करता है? परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संक्षेप में वैश्वीकरण की अवधारणा का परिचय दीजिये।
- भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद के उत्प्रेरक के रूप में वैश्वीकरण की चर्चा कीजिये।
- बहुलवाद को बढ़ावा देने में एक खतरे के रूप में वैश्वीकरण की चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वस्तुओं, विचारों, सूचनाओं और लोगों के आवागमन के माध्यम से **विश्व के बढ़ते अंतर्संबंध के रूप में परिभाषित वैश्वीकरण** का **भारतीय समाज के सांस्कृतिक संरचना पर गहरा प्रभाव** पड़ा है। एक ओर इसने **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और बहुलवाद के लिये नये अवसर** प्रदान किये हैं, वहीं दूसरी ओर यह **स्वदेशी परंपराओं, भाषाओं एवं मूल्य-व्यवस्थाओं के क्षरण को लेकर चिंता का विषय** भी बना है।

मुख्य भाग:

भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद के उत्प्रेरक के रूप में वैश्वीकरण:

- **भारतीय परंपराओं की वैश्विक मान्यता:** योग, आयुर्वेद और भारतीय व्यंजनों जैसी प्रथाओं को वैश्विक मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को '**अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस**' घोषित किया जाना इस बात का संकेत है कि अब **सांस्कृतिक प्रभाव का प्रवाह** केवल पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, बल्कि **भारत से वैश्विक स्तर की ओर** भी हो रहा है।
- **सांस्कृतिक संकरण:** भारतीय समाज ने अपनी स्वदेशी पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक प्रभावों को आत्मसात करके उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन किया है।
  - **लगान** और **RRR** जैसी **फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सफलता वैश्विक अपील के साथ सांस्कृतिक सम्मिश्रण** को दर्शाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन:** वैश्विक प्रसार ने लैंगिक समानता, **LGBTQ+ अधिकारों और पर्यावरणीय संधारणीयता** से जुड़े विमर्श को बढ़ावा दिया है, जिससे विशेष रूप से **शहरी युवाओं के बीच सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव को प्रोत्साहन** मिला है।
  - वर्ष 2018 में **समलैंगिकता (धारा 377) को अपराधमुक्त करने का निर्णय** आंशिक रूप से **वैश्विक मानवाधिकार आंदोलनों से प्रभावित** था।

पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं के लिये एक खतरे के रूप में वैश्वीकरण:

- **सांस्कृतिक समरूपीकरण और पश्चिमीकरण:** इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि पश्चिमी आदर्श, उपभोक्तावाद और मीडिया पारंपरिक भारतीय प्रथाओं का स्थान ले रहे हैं।
  - त्योहारों का तेज़ी से व्यवसायीकरण हो रहा है और **पारंपरिक परिधानों की जगह प्राय: पश्चिमी परिधान** ले लेते हैं।
  - **वैलेंटाइन डे**, जो एक विदेशी अवधारणा है, अब व्यापक रूप से मनाया जाता है और प्राय: इसे **बसंत पंचमी जैसे स्वदेशी त्योहारों पर हावी** होते देखा जाता है।
- **भाषा विस्थापन:** शिक्षा और रोज़गार में अंग्रेज़ी तेज़ी से प्रमुख माध्यम बनती जा रही है, जिससे क्षेत्रीय भाषाएँ एवं साहित्य हाशिये पर जा रहे हैं।
  - **भारतीय जन भाषा सर्वेक्षण**- 2013 के अनुसार, **पिछले 50 वर्षों में लगभग 220 भाषाएँ लुप्त** हो चुकी हैं और **197 को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया** है।
- **पारिवारिक और सामाजिक संरचनाएँ:** पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था (विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में) एकल परिवारों को राह दे रही है, जिससे पीढ़ियों के बीच संबंध एवं मूल्य अंतरण कमज़ोर हो रहे हैं।
  - NSSO सर्वेक्षण (2011-12) ने 1990 के दशक के **आर्थिक उदारीकरण के बाद पूरे भारत में एकल परिवारों में उल्लेखनीय वृद्धि** दिखाई।

निष्कर्ष:

जैसा कि समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस कहते हैं, ***"वैश्वीकरण एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, यह हमें सशक्त भी बनाता है और सीमित भी करता है।"***

भारत की सांस्कृतिक यात्रा इस दोहरे प्रभाव को दर्शाती है, **एक ओर यह विविधता को समृद्ध करती है**, तो **दूसरी ओर पारंपरिक मूल्यों को चुनौती भी देती है।** आगे की राह इस संतुलन में निहित है कि हम अपनी विरासत को बनाए रखते हुए वैश्विक आधुनिकता को भी अपनाएँ और यह केवल एक सजग सांस्कृतिक संवाद और समझ के माध्यम से ही संभव है।

प्रश्न : "भारत में सीमांत समुदायों को केवल आर्थिक वंचना ही नहीं, बल्कि बहुस्तरीय असुरक्षाओं का भी सामना करना पड़ता है।" उदाहरणों सहित विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में सीमांत वर्ग के लोगों की बहुस्तरीय भेद्यता के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर का दीजिये।
- भारत में बहुस्तरीय भेद्यता के विभिन्न आयामों का गहन विश्लेषण कीजिये।
- सीमांत समुदायों को मुख्यधारा में लाने के उपायों का सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समक्ष डिजिटल एक्सेस में हाल की चुनौतियाँ, नागरहोल टाइगर रिज़र्व से जनजातियों का हालिया निष्कासन और **तटीय मछुआरों पर प्राकृतिक आपदाओं का असमान प्रभाव** यह दर्शाता है कि **भारत में सीमांत समुदाय बहुस्तरीय भेद्यता** का सामना करते हैं, जिसकी **जड़ें न केवल गरीबी में** हैं, बल्कि **पहचान, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक कलंक, कानूनी अदृश्यता, डिजिटल पिछड़ेपन और संस्थागत उपेक्षा में भी** निहित हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

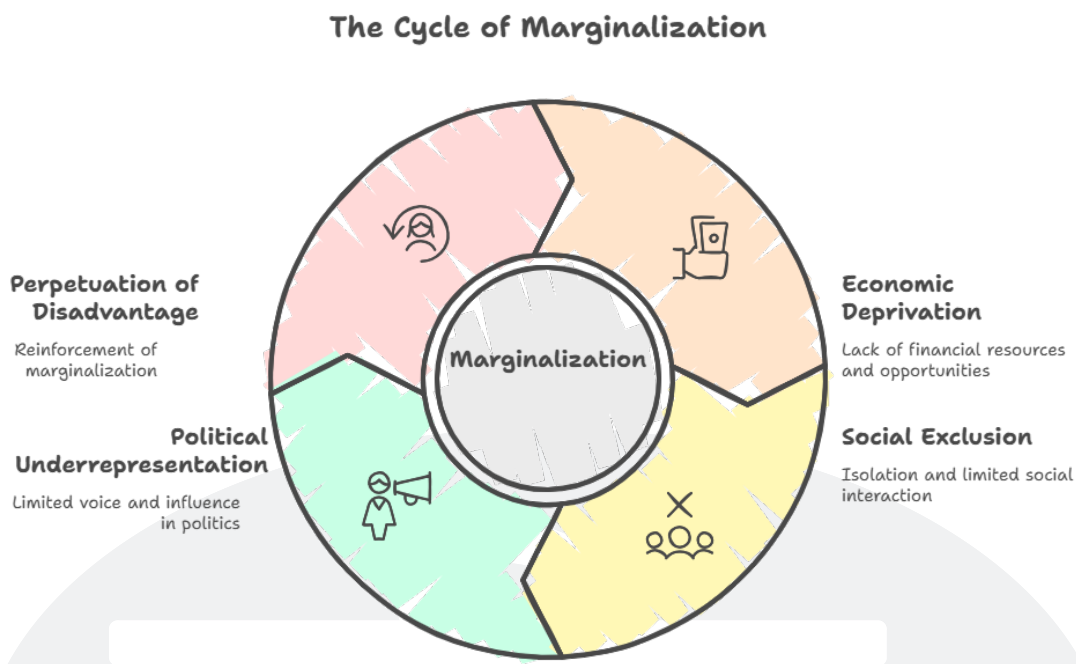

मुख्य भाग:

भारत में बहुस्तरीय भेद्यता के आयाम

- **सामाजिक पदानुक्रम और जाति-आधारित अपवर्जन**
  - सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद दलित एवं आदिवासी अभी भी **अस्पृश्यता, भूमिहीनता और भेदभाव का सामना** करते हैं।
  - **उदाहरण:** कानूनी रूप से प्रतिबंधित (**हस्त सफाई कर्मियों के रोजगार निषेध एवं उनके पुनर्वास संबंधित अधिनियम,** 2013) के बावजूद, **हाथ से मैला उठाने का काम मुख्य रूप से दलितों द्वारा** किया जाता है।
- **लैंगिक भेदभाव और अंतर्संबंध**
  - सीमांत समुदायों (जैसे: दलित, आदिवासी महिलाएँ) की **महिलाओं को** पितृसत्तात्मक, जातिगत, गरीबी से जुड़ी **कई तरह की असुविधाओं का सामना** करना पड़ता है।
    - **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में मातृ मृत्यु दर अधिक** होती है और संस्थागत प्रसव तक उनकी सुविधा कम होती है।
- **राजनीतिक और संस्थागत रूप से हाशिये पर होना**
  - **कई समूहों का राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व कम** है, जिससे नीति-निर्माण में उनकी आवाज़ सीमित हो जाती है।
  - **उदाहरण:** विधिक प्रावधानों के बावजूद, **ट्रांसजेंडर और आदिवासी व्यक्ति विधायिकाओं में कम ही दिखाई देते हैं।**
    - साथ ही, ट्रांसजेंडर/उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के बावजूद, **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवास, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के लिये संघर्ष** करना पड़ता है।
- **भौगोलिक और पर्यावरणीय अपवर्जन**
  - **मछुआरों, वनवासियों और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के पास प्राय: औपचारिक भूमि के स्वामित्व का अभाव** होता है, जिससे **कल्याण एवं सुरक्षा तक उनकी पहुँच प्रभावित** होती है।
    - तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) **के उल्लंघन के कारण** मछुआरा समुदायों को **पर्याप्त पुनर्वास के बिना ही बेदखल कर दिया जाता है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **डिजिटल डिवाइड और शैक्षणिक असमानता**
  - डिजिटल निरक्षरता सीमांत समुदायों को **शिक्षा, रोज़गार और ई-गवर्नेंस सेवाओं से वंचित** कर देती है।
    - NSSO (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय) के आँकड़े एक चौंकाने वाली असमानता को उजागर करते हैं, **केवल 24% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा** है।

सीमांत समुदायों को मुख्यधारा में लाने के उपाय

- **पहचान और कानूनी मान्यता का सुदृढ़ीकरण**
  - **सार्वभौमिक सामाजिक रजिस्ट्री:** डिजिटल रूप से समावेशी डेटाबेस (ऑफलाइन विकल्पों के साथ) बनाए जाने चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खानाबदोश जनजातियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और शहरी गरीबों सहित सीमांत लोगों को दस्तावेज़ों के अभाव में वंचित न रखा जाए।
  - हाशिये पर पड़े क्षेत्रों में विधिक सहायता क्लिनिक: **अनुच्छेद 39A के अनुसार**, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों और मलिन बस्तियों में न्याय तक अभिगम सुनिश्चित करने के लिये निशुल्क विधिक सहायता का विस्तार किया जाना चाहिये।
- **समावेशी शिक्षा सुधार**
  - **पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिये सेतु पाठ्यक्रम:** हाशिये पर पड़ी पृष्ठभूमि (जैसे: आदिवासी बहुल क्षेत्र, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र) के बच्चों के लिये मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में संक्रमण को आसान बनाने के लिये अनुकूलित कार्यक्रम बनाए जाने चाहिये।
  - **पाठ्यक्रम में प्रतिनिधित्व:** गरिमा और पहचान को बढ़ावा देने के लिये दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक नेताओं (जैसे: सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडा) के योगदान को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिये।
- **कोटा से परे आर्थिक सशक्तीकरण**
  - **समुदाय-स्वामित्व वाले उद्यम:** सब्सिडी वाले ऋण, कौशल प्रशिक्षण और बाज़ार संपर्कों (जैसे: आदिवासी शहद समूह, दलित खाद्य स्टार्टअप) के माध्यम से आदिवासी, दलित एवं अल्पसंख्यक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - **सामाजिक खरीद नीति:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्यमों से सरकारी खरीद का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जाना चाहिये।
- **लिंग आधारित और अंतर्विभागीय कल्याण योजनाएँ**
  - **अंतर्विभागीय बजट:** स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा आदि में स्पष्ट आवंटन के साथ लिंग आधारित बजट को जाति-संवेदनशील और विकलांगता-संवेदनशील बजट में विस्तारित किया जाना चाहिये।
- **सुलभ अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाएँ**
  - **सभी के लिये अभिकल्पित अधिदेश:** एक समयबद्ध **'सुलभ भारत 2.0' मिशन** के तहत सभी सार्वजनिक अवसंरचना में सार्वभौमिक सुगम्यता मानकों को लागू किया जाना चाहिये।
- **निगरानी और जवाबदेही**
  - **सामाजिक समावेशन अंकेक्षण:** MGNREGA में सामाजिक लेखा परीक्षा की तरह, सभी प्रमुख योजनाओं में समावेशन का तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा किया जाना चाहिये।
  - **वास्तविक काल में अलग-अलग डेटा डैशबोर्ड:** प्रगति पर नज़र रखने और कमियों की पहचान करने के लिये समुदाय-आधारित परिणाम (शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य) प्रकाशित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

"कहीं भी अन्याय होना, हर जगह न्याय के लिये तरा है।"— मार्टिन लूथर किंग जूनियर।

भारत में वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिये लक्षित, समावेशी और आँकड़ों पर आधारित हस्तक्षेप आवश्यक हैं। यह कार्य सहानुभूति, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक नैतिकता के मूल्यों से संचालित होना चाहिये। तभी देश **"सबका साथ, सबका विकास"** के साथ **"सबका विश्वास"** और **"सबका प्रयास"** के वादे को सार्थक कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : लोक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और स्वचालन (ऑटोमेशन) का आगमन भारत में शासन संरचनाओं को नया आकार दे रहा है। सार्वजनिक सेवाओं में AI को एकीकृत करने की संस्थागत और प्रक्रियात्मक चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन के आगमन के बारे में जानकारी देकर उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- शासन में AI और स्वचालन के प्रमुख अनुप्रयोगों पर गहन अध्ययन
- संस्थागत और प्रक्रियात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालिये
- सार्वजनिक सेवाओं में AI और स्वचालन एकीकरण की चुनौतियों से निपटने के उपाय बताएँ
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और स्वचालन (ऑटोमेशन) का लोक प्रशासन में एकीकरण भारत में शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। हाल ही में भारत और फ्राँस की सह-अध्यक्षता में आयोजित **पेरिस AI एक्शन समिट** इस क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका को दर्शाता है, जहाँ भारत ने शासन से जुड़ी वैश्विक AI रूपरेखा को आकार देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

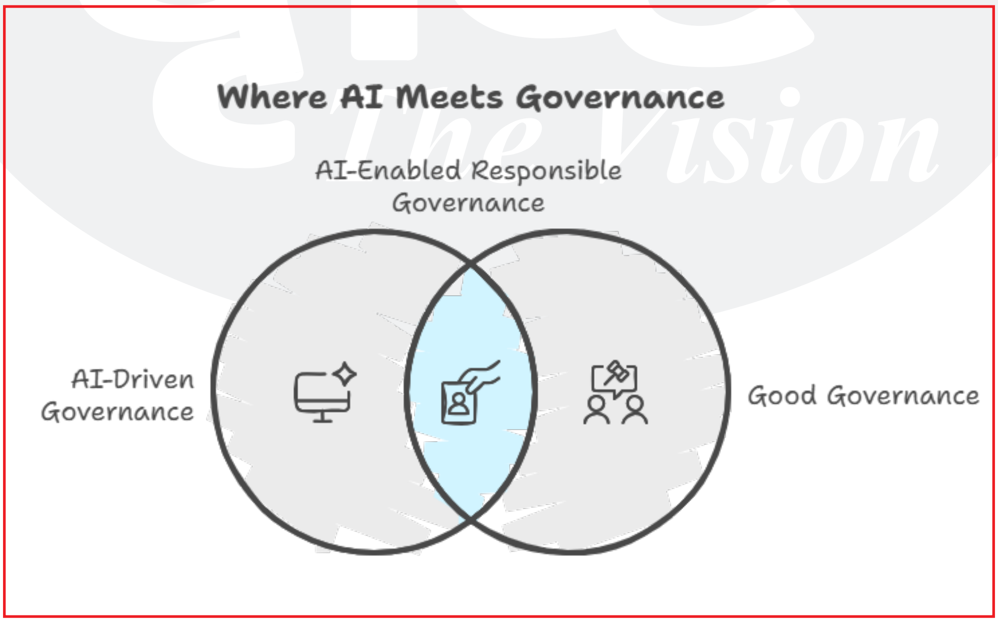

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

मुख्य भाग:

शासन में AI और ऑटोमेशन के प्रमुख अनुप्रयोग:

- **नीति निर्माण और निर्णय लेने में सुधार:** AI डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जहाँ विशाल डेटासेट सामाजिक-आर्थिक रुझानों का पूर्वानुमान करने और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने में मदद करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, **नीति आयोग ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर** उपग्रह मानचित्रों का उपयोग करके सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिये एक AI उपकरण विकसित किया है।
- **सार्वजनिक सेवा वितरण को मज़बूत करना:** AI-संचालित स्वचालन सेवा दक्षता में सुधार करता है, देरी को कम कर मानवीय त्रुटि को न्यूनतम (विशेषकर शिकायत निवारण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में) करता है।
    - स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX) एक AI-संचालित डेटा-शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य शहरी शासन को बढ़ाना है।
- **कानून प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा में सुधार:** चेहरे की पहचान और भविष्यसूचक पुलिसिंग जैसे AI उपकरण कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।
    - **दिल्ली पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान करने वाली प्रणालियों में AI का उपयोग** करने से अपराधियों की पहचान करने और गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने में मदद मिलती है।
- **स्वास्थ्य सेवा और महामारी प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव:** निदान, रोबोटिक सर्जरी और रोग निगरानी के लिये एआई-संचालित उपकरण स्वास्थ्य परिणामों में सुधार ला रहे हैं और समय पर हस्तक्षेप को सक्षम बना रहे हैं।
    - **निरामाई** जैसी स्टार्टअप कंपनियाँ AI का उपयोग करके **ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक पहचान** कर रही हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में AI की व्यापक संभावनाओं को दर्शाता है।
- **कृषि उत्पादकता का अनुकूलन:** AI-आधारित सटीक कृषि तकनीकें फसल की उत्पादकता में सुधार, सिंचाई को अनुकूलित तथा कीटों का पता लगा रही हैं।
    - **'किसान ई-मित्र'** जैसे उपकरण, जो एक AI-संचालित चैटबॉट है, किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ:

- **संस्थागत चुनौतियाँ:**
    - **AI-साक्षरता और कौशल का अभाव: नीति आयोग** की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में केवल 22% फर्म** किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया में AI का उपयोग करती हैं, जो पूरे देश में AI अपनाने में व्यापक अंतर को दर्शाता है।
        - तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये, तेजी से पुन: कौशल विकास की पहल की आवश्यकता है, क्योंकि **विश्व आर्थिक मंच के एक** अध्ययन के अनुसार, अनुमान है कि **AI-संचालित स्वचालन के कारण वर्ष 2025 तक भारत में 75 मिलियन** नौकरियाँ समाप्त हो जाएंगी।
    - **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा चिंताएँ:** AI सिस्टम बड़े डेटासेट पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ती हैं। आधार जैसे प्रमुख डेटासेट अत्यधिक असुरक्षित हैं।
        - **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT)** के एक अध्ययन से पता चलता है कि **आधार प्रणाली** में 1.2 अरब से अधिक लोगों का डेटा संग्रहीत है, जिसे यदि उचित रूप से सुरक्षित नहीं रखा गया तो यह एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है।
    - **एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और नैतिक चुनौतियाँ:** पूर्वाग्रहों को कायम रखने की AI की क्षमता विश्व स्तर पर अच्छी तरह से प्रलेखित है।
        - उदाहरण के लिये, **अमेज़न के AI-आधारित भर्ती उपकरण** को महिला अभ्यर्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण पाए जाने के बाद बंद कर दिया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह कोई अकेला मामला नहीं है। **एआई नाव इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट** में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि शासन में इस्तेमाल किये जाने वाले कई AI एल्गोरिदम अनजाने में जाति, लिंग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को दोहरा सकते हैं।
- **विनियामक और कानूनी अंतराल:** भारत अभी भी एक व्यापक AI विनियामक ढाँचे की दिशा में कार्य कर रहा है।
  - हाल ही में **OECD की एक रिपोर्ट** में बताया गया है कि भारत में यूरोपीय संघ के AI अधिनियम जैसे विशिष्ट AI कानूनों का अभाव है।
  - इससे AI को अपनाने में एक महत्त्वपूर्ण कानूनी शून्यता उत्पन्न हो जाती है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि जब AI त्रुटियों के कारण अनुचित परिणाम सामने आते हैं तो इसके लिये कौन ज़िम्मेदार है।
- **प्रक्रियागत चुनौतियाँ:**
  - **बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी अंतराल: NSSO के आँकडों** के अनुसार, **भारत में केवल 24% ग्रामीण परिवारों** के पास इंटरनेट तक पहुँच है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आँकड़ा 66% है।
    - यह डिजिटल विभाजन AI-संचालित शासन मॉडल के लिये सभी नागरिकों तक समान पहुँच को कठिन बना देता है, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।
    - **इसके अतिरिक्त, क्लाउड सेवाओं और उन्नत चिप्स** जैसी विदेशी AI प्रौद्योगिकियों पर भारत की निर्भरता, बुनियादी ढाँचे के अंतर को और उजागर करती है।
  - **नौकरशाही प्रणालियों में परिवर्तन का प्रतिरोध:** परंपरागत नौकरशाही प्रणालियाँ नई तकनीकों, विशेष रूप से AI को अपनाने में अक्सर धीमी होती हैं।
    - इसके पीछे मुख्य कारण हैं—जमी-जमाई कार्य संस्कृति, पदानुक्रम आधारित संरचना, और सार्वजनिक कर्मचारियों के बीच नौकरी छिन जाने का डर, जिससे बदलाव के प्रति गंभीर प्रतिरोध उत्पन्न होता है।
  - **डेटा सुलभता और इंटरऑपरेबिलिटी की समस्याएँ:** AI को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिये विशाल और विविध डेटासेट की आवश्यकता होती है। हालाँकि, विभिन्न सरकारी विभागों में **केंद्रीकृत, मानकीकृत डेटासेट** की कमी है, जिससे पूरे सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली में AI उपकरणों को एकीकृत करना मुश्किल हो जाता है।
    - अक्सर सरकारी विभाग अपने-अपने **अलग-थलग डेटा भंडार (data silos)** बनाए रखते हैं, जिससे **इंटरऑपरेबिलिटी यानी परस्पर डेटा-साझाकरण की समस्याएँ** उत्पन्न होती हैं।

सार्वजनिक सेवाओं में AI और स्वचालन एकीकरण की चुनौतियों से निपटने के उपाय:

- **AI साक्षरता और पुनः कौशल कार्यक्रम को बढ़ाना:** भारत को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और नागरिकों के बीच AI साक्षरता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण केंद्रों, विश्वविद्यालयों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों में निवेश करना चाहिये।
  - सरकारी अधिकारियों के लिये AI पर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय AI पोर्टल का विस्तार किया जा सकता है।
  - प्रौद्योगिकी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, जैसा कि AI-संचालित सामाजिक-आर्थिक पूर्वानुमान के लिये **IIT दिल्ली के साथ नीति आयोग की** साझेदारी में देखा गया है।
- **डेटा गोपनीयता और सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करना: AI से संबंधित चिंताओं को विशेष रूप से संबोधित करने** के लिये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करना, जैसे कि एल्गोरिदम संबंधी निर्णय लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा AI-संचालित निगरानी के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
  - **डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देना,** जहाँ संवेदनशील डेटा, विशेष रूप से व्यक्तिगत या बायोमेट्रिक डेटा, भारत के भीतर संग्रहीत किया जाता है। इससे विदेशी डेटा उल्लंघनों के जोखिम कम होंगे और गोपनीयता बढ़ेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सरकारी विभागों में AI नैतिकता समितियों** की स्थापना करना, जो डेटा गोपनीयता मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिये AI प्रणालियों के नियमित ऑडिट के लिये ज़िम्मेदार हों।
- **एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह को कम करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना:** AI प्रणालियों में पक्षपात की पहचान के लिए मजबूत रूपरेखाओं का विकास और क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।
  - AI मॉडलों को विविध और प्रतिनिधि डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है, ताकि सभी सामाजिक वर्गों की समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
  - **भाषिणी परियोजना** जैसी पहलों का विस्तार करके भारत की जनसंख्या में विविधता को ध्यान में रखते हुए समावेशी भाषा मॉडल तैयार किया जा सकता है।
  - AI निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये **एक्सप्लेनेबल AI (XAI)** टूल्स का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- **व्यापक AI विनियामक ढाँचे का विकास:** भारत को यूरोपीय संघ के **AI अधिनियम के समान एक राष्ट्रीय AI अधिनियम** के निर्माण में तेजी लानी चाहिये, जिसमें AI वर्गीकरण, जवाबदेही, नैतिक उपयोग और शासन में पारदर्शिता से संबंधित प्रावधान हों।
  - यह अधिनियम AI को अपनाने से जुड़ी जोखिमों जैसे गलत निर्णय या निगरानी में दुरुपयोग को कम करने में सहायक होगा।
  - **नियामक सैंडबॉक्स की शुरुआत:**
  - **नियामक सैंडबॉक्स की शुरुआत:** ऐसे वातावरण बनाए जाएँ जहाँ AI-आधारित समाधानों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में परीक्षण के लिये प्रयोग किया जा सके, वह भी शिथिल नियमों के अंतर्गत।
  - **RBI के फिनटेक सैंडबॉक्स** की तर्ज पर, ऐसे प्रयास **स्वास्थ्य, कराधान और कानून प्रवर्तन** जैसे क्षेत्रों में नवाचार और सुरक्षित प्रयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

AI भारत में शासन प्रणाली को रूपांतरित करने की अपार क्षमता रखता है। शासन में AI के लिये रूपरेखा को 3P: गोपनीयता की सुरक्षा (Protection of privacy), सेवा वितरण में प्रगति (Progress in service delivery), सभी हितधारकों की भागीदारी (Participation from all stakeholders), को प्राथमिकता देनी चाहिये, ताकि एक समावेशी और पारदर्शी प्रणाली का निर्माण किया जा सके।

प्रश्न : भारत में न्यायिक दायित्व सुनिश्चित करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिये। मौजूदा तंत्र किस हद तक इस तनाव को दूर करते हैं? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर प्रस्तुत कीजिये तथा हाल की उन घटनाओं को रेखांकित कीजिये जहाँ न्यायिक उत्तरदायित्व पर प्रश्नचिह्न लगा हो।
- उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित कीजिये।
- मौजूदा तंत्र किस हद तक तनाव को दूर करते हैं, इसका परीक्षण कीजिये।
- भारत में सुदृढ़ एवं संतुलित न्यायिक दायित्व सुनिश्चित करने के उपाय बताइये।

परिचय:

न्यायिक स्वतंत्रता **निष्पक्षता** सुनिश्चित करती है और **न्यायपालिका को बाह्य दबावों से बचाती है,** जबकि उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश संवैधानिक और नैतिक सीमाओं के भीतर कार्य करें। कथित वित्तीय कदाचार को लेकर **इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के केंद्र सरकार के हालिया कदम** ने एक बार फिर इस अंतर्निहित तनाव को उजागर किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

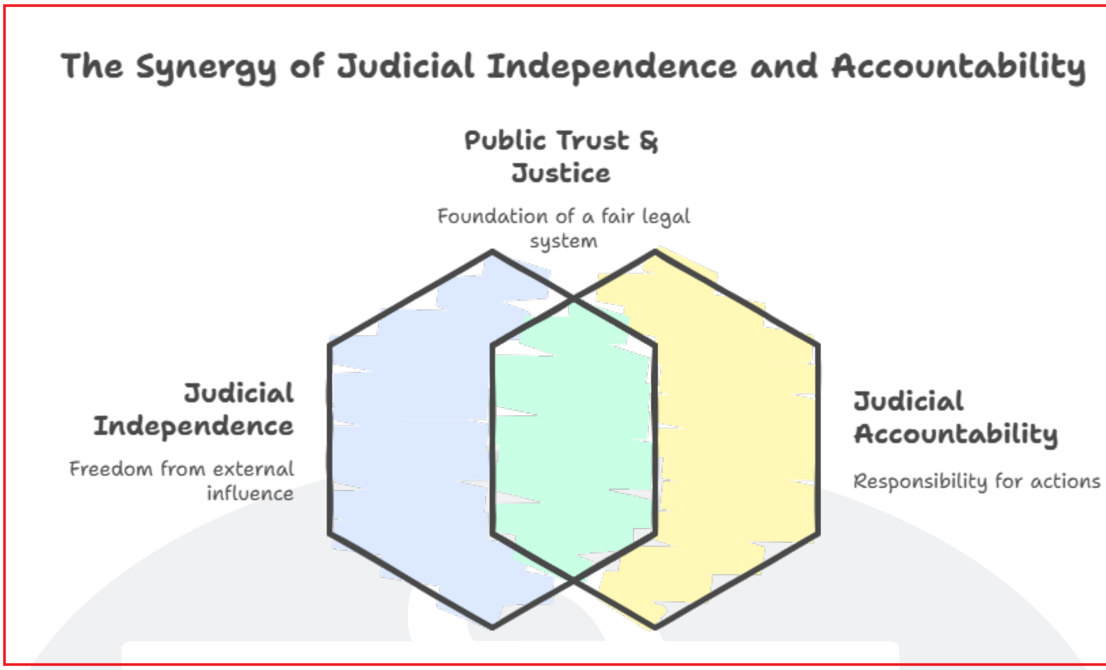

मुख्य भाग:

उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने में चुनौतियाँ

- **मौजूदा उत्तरदायित्व तंत्र की अप्रभावीता: न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968,** महाभियोग का प्रावधान करता है, लेकिन यह जटिल, दुर्लभ है और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर बहुत अधिक निर्भर है।
  - इस प्रक्रिया के तहत किसी भी न्यायाधीश को कभी नहीं हटाया गया, जिससे **संस्थागत प्रतिरक्षा की धारणा** बनी रही।
- **वैधानिक एवं पारदर्शी आंतरिक तंत्र का अभाव:** न्यायपालिका द्वारा निर्मित आंतरिक तंत्र वैधानिक प्राधिकार के बिना संचालित होता है तथा इसमें पारदर्शिता या सार्वजनिक जाँच का अभाव होता है।
  - **न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा** जैसे गंभीर मामलों में आंतरिक जाँच बंद दरवाज़ों के पीछे अर्थात् **प्रत्यक्ष सार्वजनिक निरीक्षण के बिना** की जाती है, जिससे प्रभावशीलता और निष्पक्षता को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।
- **न्यायिक स्वतंत्रता को जाँच से बचाव के रूप में प्रयोग:** अत्यधिक संरक्षण के कारण न्यायिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्राय: निरीक्षण से बचने के लिये ढाल की तरह किया जाता है।
  - कार्यपालिका या विधायिका की भाँति न्यायपालिका की नैतिकता या आचरण पर निगरानी के लिये **कोई बाह्य नियामक संस्था नहीं** है।
- **कोलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता:** न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया कोलेजियम के अधीन होती है, जो न तो पारदर्शी है और न ही इसमें कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड अपनाया गया है।
  - यह अपारदर्शी प्रणाली वंशवाद, योग्यता की उपेक्षा तथा प्रदर्शन या आचरण की बाह्य जाँच के अभाव जैसी धारणाओं को जन्म देती है।
- **कदाचार के लिये एकसमान मानकों का अभाव:** कोई संहिताबद्ध या बाध्यकारी **न्यायिक आचरण संहिता** मौजूद नहीं है, जिसके कारण न्यायालयों में **कदाचार से निपटने में असंगति और विवेकाधीनता हावी** रहती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- अनुशासनात्मक उपायों का असमान और विवेकाधीन अनुप्रयोग आंतरिक तंत्र में विश्वास को कम करता है।
- **राजनीतिकरण के जोखिम:** यदि उत्तरदायित्व तंत्र पर्याप्त रूप से स्वतंत्र नहीं हुआ, तो **कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने या दंडित करने के लिये इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।**
  - न्यायाधीशों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव (जिसे फिलहाल स्थगित किया गया है) से कार्यपालिका के अतिक्रमण की आशंका बढ़ गई है।

मौजूदा तंत्र किस हद तक तनाव का निवारण करते हैं:

- **महाभियोग सैद्धांतिक निवारण प्रदान करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रभावी नहीं है:** हालाँकि संविधान न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल, धीमी तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से युक्त होने के कारण प्रभावी प्रतिरोधक की भूमिका नहीं निभा पाती।
  - इस प्रक्रिया का पहली बार किसी उच्च न्यायालय के मामले में प्रयोग किया जाना इसकी अत्यल्प उपयोगिता को दर्शाता है, जबकि बार-बार आरोप लगते रहे हैं।
- **आंतरिक तंत्र नियंत्रण तो प्रदान करते हैं, परंतु उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है:** 'इन-हाउस (आंतरिक)' तंत्र न्यायपालिका को स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।
  - किंतु पारदर्शिता और कार्यान्वयन की बाध्यता के अभाव में यह तंत्र न तो जनविश्वास अर्जित कर पाता है और न ही उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर पाता है।
- **विफल सुधार प्रयास संस्थागत झिझक को दर्शाते हैं:** न्यायिक मानक और उत्तरदायित्व विधेयक (2010) के तहत एक स्वतंत्र निरीक्षण समिति की स्थापना की जा सकती थी।
  - किंतु वर्ष 2014 में राज्यसभा में इसकी चूक, **न्यायपालिका के बाह्य नियंत्रण के प्रति प्रतिरोध** को उजागर करता है।
- **न्यायिक पुनर्विलोकन निचली न्यायपालिका पर नियंत्रण तो रखता है, परंतु आचरण की निगरानी का साधन नहीं: न्यायिक समीक्षा** उच्च न्यायालयों को निचली अदालतों के निर्णयों की जाँच करने की अनुमति देती है, लेकिन यह आचरण-निगरानी साधन के रूप में कार्य नहीं करती है।
  - **भ्रष्टाचार या कदाचार के आरोपों पर प्राय: न्यायाधीश चुपचाप त्यागपत्र दे देते हैं** तथा जनता को इसके बारे में बहुत कम या कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता।

भारत में सशक्त और संतुलित न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उपाय:

- **एक स्वतंत्र न्यायिक निगरानी निकाय की स्थापना:** सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल करते हुए वैधानिक प्राधिकार के साथ एक **राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिये।**
  - इस समिति को शिकायतें प्राप्त करने, जाँच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार जाना चाहिये तथा इसे राजनीतिक प्रभाव से पूर्णत: मुक्त रखा जाना चाहिये।
  - इससे न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किये बिना बाह्य निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।
- **महाभियोग प्रक्रिया का पुनर्गठन:** न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के तहत प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये।
  - स्पष्ट समयसीमा तय की जानी चाहिये, पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिये और सार्वजनिक शिकायतों हेतु एक सुलभ व्यवस्था बनाई जानी चाहिये।
  - इस प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से कमज़ोर होने से बचाते हुए एक प्रभावी प्रतिरोधक (Deterrent) के रूप में सक्षम बनाया जाना चाहिये।
- **संपत्ति और देनदारियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण: न्यायाधीशों द्वारा वार्षिक परिसंपत्ति घोषणा** को लोक सेवकों के समान अनिवार्य और सार्वजनिक बनाया जाए। न्यायाधीशों द्वारा प्रत्येक वर्ष संपत्ति घोषणाएँ अनिवार्य रूप से सार्वजनिक की जानी चाहिये, जैसा कि अन्य लोकसेवकों के साथ होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इससे पारदर्शिता बढ़ती है और **अनुपातहीन संपत्ति अर्जन की पहचान में सहायता** मिलती है, जो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है।

- **राष्ट्रीय न्यायिक आचरण संहिता को संहिताबद्ध करना:** एक **बाध्यकारी आचार संहिता** लागू की जानी चाहिये जो नैतिक मानकों, स्वार्थ-संघर्ष से बचाव तथा अपेक्षित व्यवहार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हो।
  - इस संहिता को एक स्वतंत्र तंत्र के माध्यम से लागू किया जाना चाहिये तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जानी चाहिये।
- **न्यायिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत: न्यायिक तर्क, लंबित मामलों में कमी, नैतिक मानकों का पालन** और मामले के निपटान की दर जैसे मानदंडों पर न्यायाधीशों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
  - व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए संक्षिप्त, समष्टिगत और गुमनाम आँकड़ों के रूप में सार्वजनिक रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिये।
- **न्यायपालिका में व्हिसलब्लोअर सुरक्षा:** न्यायालय के कर्मचारियों, वकीलों और वादियों के लिये **न्यायिक कदाचार की सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने हेतु एक तंत्र** स्थापित किया जाना चाहिये।
  - न्यायिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिशोध से मुखबिरों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- **न्यायिक सुधारों का विधायी पुनर्जीवन:** उचित जाँच और संतुलन के साथ **न्यायिक मानक और उत्तरदायित्व विधेयक को** पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा इसे पारित किया जाना चाहिये।
  - इसमें **स्वतंत्र जाँच, जन भागीदारी और न्यायिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिये प्रावधान** शामिल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था— ***"सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता कोई ऐसा कवच नहीं है जो अनुचित कृत्यों को छुपा ले, बल्कि यह एक साधन है जो संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करता है।"***

इसलिये, न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना न्यायपालिका की वैधता एवं नैतिक अधिकार की रक्षा हेतु अनिवार्य है।

प्रश्न : "संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से परिकल्पित जिस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वादा किया गया था, वह विभिन्न बाधाओं के कारण अब तक पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है।" इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- प्रभावी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में बाधा डालने वाली प्रमुख बाधाओं की चर्चा कीजिये।
- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने के उपायों का सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वर्ष 1992 के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वादा, ऐतिहासिक सुधार था जिसका उद्देश्य **पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को कानूनी मान्यता** तथा शासन में विशिष्ट कार्य प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना था।

- इन विधिक प्रगति के बावजूद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जो स्थानीय निकायों को स्वशासन का प्रभावी साधन बनने से रोकती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

मुख्य भाग:

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वादा: संवैधानिक प्रावधान और संशोधन

73 **वाँ संशोधन** (पंचायतों के लिये) और **74वाँ संशोधन** (नगरपालिकाओं के लिये) भारत में स्थानीय शासन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। इन संशोधनों के माध्यम से निम्नलिखित सुधार लाए गए:

- **त्रिस्तरीय प्रणाली:** ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम, मध्यवर्ती और ज़िला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों द्वारा शासन सुनिश्चित किया जाता है।
- **चुनाव और आरक्षण:** इन संशोधनों ने स्थानीय निकायों के लिये प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य कर दिये तथा महिलाओं और सीमांत समुदायों (SC/ST) के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दीं।
- **राजस्व का विकेंद्रीकरण:** स्थानीय निकायों को वित्तीय अंतरण की सिफारिश करने के लिये **राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग** का प्रावधान।
- **योजना और विकास:** पंचायतों को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास सहित **ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल विषयों पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनाएँ** तैयार करने का कार्य सौंपा गया।

इन प्रगतिशील उपायों के बावजूद, विकेंद्रीकरण का मूल वादा अब भी संरचनात्मक और कार्यात्मक बाधाओं के कारण बाधित बना हुआ है।

प्रभावी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में बाधा डालने वाली प्रमुख बाधाएँ:

- **राजकोषीय निर्भरता और राजस्व स्वायत्तता की कमी: RBI रिपोर्ट (2022-23)** के अनुसार, पंचायतों ने करों के माध्यम से अपने **राजस्व का केवल 1% उत्पन्न** किया, जिसमें से 80% **केंद्र सरकार के अनुदान से** आया।
  - **स्थानीय निकायों को राजस्व स्वायत्तता की गंभीर समस्या** का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भूमि राजस्व और व्यावसायिक कर जैसे आय के महत्त्वपूर्ण स्रोतों पर उनका नियंत्रण नहीं होता है।
  - **राज्य वित्त आयोग (SFC),** जिनसे वित्तीय अंतरण सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है, प्राय: अपनी सिफारिशों को लागू करने में विफल रहते हैं, जिससे स्थानीय सरकारों की वित्तीय क्षमता और अधिक सीमित हो जाती है।
- **सीमित प्रतिनिधित्व और भागीदारी:** यद्यपि 73वें और 74वें संशोधन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटें आरक्षित की गई थीं, लेकिन वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्राय: प्रभावशाली समूहों के पास ही रहती है।
  - जैसा कि वेबसीरीज़ **पंचायत** में दर्शाया गया है, **महिला सरपंचों** (ग्राम प्रधान) और पार्षदों को प्राय: **प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व** (प्रधान पति) का सामना करना पड़ता है, जहाँ परिवार के पुरुष सदस्य सत्ता का प्रयोग करते हैं।
  - इससे महिलाओं और सीमांत समुदायों का प्रभावी सशक्तीकरण बुरी तरह प्रभावित होता है।
    - इसके अलावा, **क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और संस्थागत समर्थन की कमी** है, जिससे सीमांत समूहों के लिये शासन में सक्रिय भूमिका निभाना मुश्किल हो जाता है।
- **राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप:** स्थानीय निकायों को प्राय: **राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना** करना पड़ता है जो उनकी निर्णय लेने की शक्ति को कमज़ोर करता है।
  - **अशोक मेहता समिति** के अनुसार, स्थानीय शासन **राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित** रहता है, जो **पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता को सीमित करता है।**
  - **11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों का पंचायतों को हस्तांतरण असंगत** बना हुआ है, क्योंकि राज्य कुछ विषयों पर नियंत्रण छोड़ने में हिचकिचाते हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप संरचनात्मक विरोधाभास उत्पन्न होता है, जहाँ स्थानीय निकाय सेवा प्रदान करने के लिये जिम्मेदार होते हैं, लेकिन **निर्णयों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की शक्ति का अभाव** होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **भ्रष्टाचार और चुनावी अनिच्छा: भ्रष्टाचार और चुनावी गणनाएँ** भी प्रभावी शासन में बाधा उत्पन्न करती हैं।
  - निर्वाचित प्रतिनिधि प्राय: संपत्ति कर जैसे कर लगाने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि इससे उनके चुनावी अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
  - कर एकत्र न करने की यह अनिच्छा स्थानीय राजस्व को अपर्याप्त बना देती है, जिससे स्थानीय निकाय बाह्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं।
  - साथ ही, कुछ क्षेत्रों में **'फ्रीबी संस्कृति' ने कर अनुपालन को हतोत्साहित किया है**, क्योंकि स्थानीय सरकारें राजनीतिक समर्थन खोने के भय से कर लागू करने से बचती हैं।
- **निगरानी हेतु संस्थागत क्षमता की कमी:** एक प्रमुख मुद्दा **प्रमुख प्रावधानों का असंगत कार्यान्वयन** है, जैसे कि **ज़िला योजना समितियाँ (DPC),** जो **कई राज्यों में गैर-कार्यात्मक** बनी हुई हैं।
  - वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि कई DPC 15 **राज्यों में समेकित योजना तैयार करने में विफल** रहे और शहरी क्षेत्रों में, **नगर निगमों में स्टाफ की रिक्तियाँ लगभग 30%** पाई गईं।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मज़बूत करने के लिये प्रस्तावित उपाय:

- **राजकोषीय स्वायत्तता बढ़ाना:** राज्यों को **SFC की सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन** सुनिश्चित करना चाहिये और स्थानीय निकायों को **स्वयं के स्रोत से राजस्व (OSR) उत्पन्न करने के लिये प्रोत्साहित** किया जाना चाहिये।
  - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC)** ने स्थानीय निकायों के राजस्व आधार को बढ़ाने और **पारदर्शी राजकोषीय अंतरण तंत्र** शुरू करने की सिफारिश की।
  - इसके अतिरिक्त, राजस्व स्रोतों में विविधता लाने के लिये **म्यूनिसिपल बॉण्ड** और **पूल्ड फाइनेंसिंग तंत्र** (इंदौर मॉडल की तरह) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **स्थानीय निकायों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना:** स्थानीय सरकारों को **पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता** प्रदान की जानी चाहिये, जिसमें **कार्मिकों की भर्ती करने, सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा स्वतंत्र रूप से बजट की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की शक्ति** शामिल हो।
  - राज्य सरकारों द्वारा **स्थानीय बजट को मंज़ूरी देने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिये,** जिससे **निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने वित्तीय निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम** बनाया जा सके।
  - इसके अतिरिक्त, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रशासनिक कार्यों के प्रभावी ढंग से संचालन के लिये **समर्पित सचिवालयों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों से सुसज्जित** किया जाना चाहिये।
- **सहभागी शासन के माध्यम से जवाबदेही में सुधार:** ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों के माध्यम से **निर्णय लेने में नागरिकों को शामिल करने से समावेशी शासन को बढ़ावा** मिल सकता है।
  - बलवंत राय मेहता समिति ने **शासन में समुदाय की भागीदारी** को महत्त्वपूर्ण बताया था, जिसे **उत्तरदायित्व और प्रत्युत्तरशीलता बढ़ाने हेतु अनिवार्य** बनाया जाना चाहिये।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** स्थानीय सरकारों को **जी.वी.के. राव समिति की सिफारिशों** के आधार पर इन उपायों को लागू करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञता से लैस किया जाना चाहिये।
  - प्रत्येक राज्य में **स्थानीय शासन प्रशिक्षण संस्थानों (LGTI) की स्थापना** से निर्वाचित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये **निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम** प्रदान करके इस अंतर को कम करने में सहायता मिल सकती है।
  - इसके अलावा, स्थानीय शासन में दक्षता, पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार के लिये ई-गवर्नेंस टूल्स को एकीकृत किया जाना चाहिये।
- **शहरी शासन को सुदृढ़ बनाना:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तावित **'मेयर-इन-काउंसिल' प्रणाली**, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर को कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान कर शासन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बना सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, शहरी स्थानीय निकायों को राज्य आवंटन से स्वतंत्र रूप से राजस्व उत्पन्न करने के लिये **भूमि बैंकों और नगरपालिका बॉण्डों पर ध्यान** केंद्रित करना चाहिये।
  - राज्य हस्तांतरण पर निर्भरता कम करने के लिये बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिये **PPP मॉडल को बढ़ावा** दिया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

वास्तविक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्राप्त करने के लिये, भारत को **तीन 'F'** पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है: वित्तीय स्वतंत्रता के लिये **वित्तीय स्वायत्तता (Fiscal Autonomy)**, निर्णय लेने की शक्तियों के लिये **कार्यात्मक स्वायत्तता (Functional Autonomy)** और समावेशी शासन एवं सक्रिय नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये **निष्पक्ष प्रतिनिधित्व (Fair Representation)**। तभी **ग्राम स्वराज और शहरी स्वशासन की परिकल्पना** भारत के लोकतांत्रिक संरचना में सही मायने में साकार हो सकेगी।

प्रश्न : "राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका द्विसदनीय प्रणाली की मूल भावना का संवाहक है।" संघीय संरचना में संतुलन स्थापित करने हेतु इस संवैधानिक पद की भूमिका का विश्लेषण कीजिये तथा इसके व्यावहारिक प्रभावों की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका का संवैधानिक महत्त्व की व्याख्या कीजिये।
- द्विसदनीय प्रणाली और संघवाद को बनाए रखने में व्यावहारिक महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- उपराष्ट्रपति पद की भूमिका को बढ़ाने के लिये प्रमुख सीमाओं और उपायों पर प्रकाश डालिये।
- एक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत के संविधान के **अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान** है, जो **अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा** (राज्य परिषद) **का पदेन सभापति** होता है।

- इस विशिष्ट द्वैध भूमिका में, उपराष्ट्रपति कार्यपालिका शाखा से संबंधित होते हुए भी, **द्विसदनीय प्रणाली की भावना** को मूर्त रूप देते हुए तथा **संघवाद और संसदीय प्रक्रिया के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी** के रूप में कार्य करते हुए **संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता** करते हैं।

मुख्य भाग:

राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका का संवैधानिक महत्त्व

- **राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी:** अनुच्छेद 64 के तहत, उपराष्ट्रपति **राज्यसभा के पदेन सभापति** के रूप में कार्य करते हैं, जो **सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिये उत्तरदायी** होते हैं।
  - भारत के **संघीय संरचना में राज्यों का प्रतिनिधित्व** करने वाले **उच्च सदन में विधायी दक्षता और प्रक्रियात्मक अनुशासन** सुनिश्चित करता है।
- **संघीय संतुलन की रक्षा:** राज्यसभा मुख्य रूप से संघ में राज्यों के हितों की रक्षा के लिये है।
  - सभापति के रूप में, उपराष्ट्रपति राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों, जैसे **राज्य के वित्त, संघीय योजनाओं और विधायी अतिक्रमणों पर सार्थक बहस को सुगम बनाते हैं।**
- **संसदीय परंपराओं का निर्वाह:** यद्यपि उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसकी **संवैधानिक भूमिका निष्पक्ष आचरण** सुनिश्चित करती है, **संसदीय गरिमा एवं संघीय तटस्थता** को सुदृढ़ करती है।
- **कार्यपालिका रिक्तियों के दौरान स्थिरता:** अनुच्छेद 65 के तहत, उपराष्ट्रपति **रिक्ति या अक्षमता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन** करता है, जिससे **संवैधानिक शासन की निरंतरता** सुनिश्चित होती है, जो सहकारी संघवाद का प्रतिबिंब है।

द्विसदनीय प्रणाली और संघवाद को बनाए रखने में व्यावहारिक महत्त्व

- **विविध प्रतिनिधित्व को सुगम बनाना:** राज्यसभा एक **पुनर्विचार सदन** है, जो **राष्ट्रीय विधान पर राज्यों के दृष्टिकोण** प्रस्तुत करता है।
  - सभापति यह सुनिश्चित करते हैं कि छोटे या क्षेत्रीय राज्यों के **मुद्दे और समस्याएँ संसद में सुनी जायें** तथा **केवल बहुसंख्यक** (जैसे: बड़े राज्यों) **की इच्छाओं से नीति न बनाई जाये**, जो लोकसभा में हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संतुलित विधायी विचार-विमर्श:** उपराष्ट्रपति, सभापति के माध्यम से, रचनात्मक बहस को संभव बनाता है और **शीघ्रता में बनाए जाने वाले विधानों पर अंकुश** लगाता है, जिससे **संघीय समझौते की रक्षा** होती है।
- **राजनीतिक विवादों में तटस्थ मध्यस्थ:** राज्यसभा प्रायः केंद्र-राज्य के बीच तीखी बहस का मंच बन जाती है। सभापति के रूप में **उपराष्ट्रपति का निष्पक्ष आचरण विविध राजनीतिक इकाइयों के बीच मर्यादा और विश्वास बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण** है।
- **संस्थागत तालमेल को प्रोत्साहित करना:** उपराष्ट्रपति अपनी विशिष्ट स्थिति के साथ **कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज़ में सामंजस्य** स्थापित करने में सहायता करता है, जिससे **केंद्र-राज्य समन्वय बेहतर** होता है।

प्रमुख सीमाएँ:

- **बराबरी की स्थिति को छोड़कर कोई मतदान शक्ति नहीं:** अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, **उपराष्ट्रपति** (राज्यसभा के सभापति के रूप में) **बराबरी की स्थिति को छोड़कर विधेयकों या प्रस्तावों पर मतदान में भाग नहीं लेते हैं।**
  - यह उनके **विधायी प्रभाव को सीमित** करता है, विशेष रूप से प्रमुख संघीय कानूनों को आकार देने में।
- **विधायी कार्य निर्माण में सीमित भूमिका:** हालाँकि सभापति **राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति जैसी कुछ समितियों की अध्यक्षता** करते हैं, लेकिन **विधायी कार्यक्रम पर उनका प्रभाव लोकसभा अध्यक्ष की सक्रिय भूमिका की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित** होता है।
  - यह **प्राथमिकताएँ निर्धारित** करने या राज्य-केंद्रित मुद्दों पर समय सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका को कमज़ोर करता है।
- **धन विधेयकों पर कोई नियंत्रण नहीं: अनुच्छेद 110** के अनुसार, **धन विधेयकों को प्रस्तुत करने या पारित करने में** राज्यसभा और उसके सभापति की **कोई भूमिका नहीं** होती है, जो **केवल लोकसभा के लिये** हैं।
  - यह **उच्च सदन की शक्ति को और इसके विस्तार से,** वित्तीय संघवाद में उपराष्ट्रपति की भूमिका को, **महत्त्वपूर्ण रूप से कमज़ोर करता है।**

राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के विस्तार के उपाय:

- **अधिक प्रक्रियात्मक शक्तियों का संस्थागतकरण:** राज्य-केंद्रित मुद्दों पर बहसों का अधिक प्रभावी ढंग से समय-निर्धारण करने के लिये, लोकसभा अध्यक्ष की तरह, कार्य **मंत्रणा समिति के निर्णयों में सभापति को अधिक अधिकार** प्रदान किया जाना चाहिये।
- **सुधारों के माध्यम से निष्पक्षता को सुदृढ़ करना: संस्थागत तटस्थता और जनता के विश्वास की रक्षा के लिये,** उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिये विराम लेने पर विचार किया जाना चाहिये।
  - विशेष रूप से विवादास्पद विधायी बहसों के दौरान, निष्पक्षता को सुदृढ़ करने के लिये **सभापति के लिये एक आचार संहिता** बनाई जानी चाहिये।
- **संवाद के माध्यम से सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना:** GST कार्यान्वयन, जल विवाद आदि जैसे मुद्दों पर **विभिन्न राज्यों के राज्यसभा सदस्यों के बीच नियमित अनौपचारिक संवाद** आयोजित करने के लिये उपराष्ट्रपति के कद का उपयोग किया जाना चाहिये।
  - क्षेत्रीय चिंताओं को राष्ट्रीय सुर्खियों में लाने के लिये **राज्यसभा में राज्य-विशिष्ट चर्चा दिवसों का आयोजन** किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

"संघवाद का सार एकरूपता के बिना एकता में निहित है।"

इसी भावना से, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में, भारत के **संघीय संरचना के एक मौन किंतु अडिग प्रहरी** के रूप में कार्य करते हैं। उनकी यह द्वैध भूमिका भारत के **संवैधानिक ढाँचे में लचीलापन और संतुलन** दोनों जोड़ती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : **"विधायी उत्पादकता में गिरावट संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रीय सहमति में एक गहरे संकट को दर्शाती है।" भारत में हाल के संसदीय सत्रों के संदर्भ में परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)**

हल करने का दृष्टिकोण:

- विधायी उत्पादकता की अवधारणा की संक्षेप में विवेचना कीजिये।
- विधायी उत्पादकता में हालिया रुझानों पर चर्चा कीजिये।
- विधायिका की कम उत्पादकता के प्रमुख निहितार्थों पर प्रकाश डालिये।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

विधायी उत्पादकता उस दक्षता और प्रभावशीलता को दर्शाती है जिसके साथ संसद एवं राज्य विधानमंडल अपने मुख्य कार्य—**विधि निर्माण, कार्यपालिका की निगरानी, बजट अनुमोदन और सार्वजनिक मुद्दों पर बहस** संपादित करते हैं। **कार्य-निष्पादन में लगातार गिरावट** न केवल प्रक्रियागत कमियों का संकेत देती है, बल्कि **लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के गहन संकट और राष्ट्रीय सहमति के क्षरण** का भी संकेत देती है।

मुख्य भाग:

विधायी उत्पादकता में हालिया रुझान:

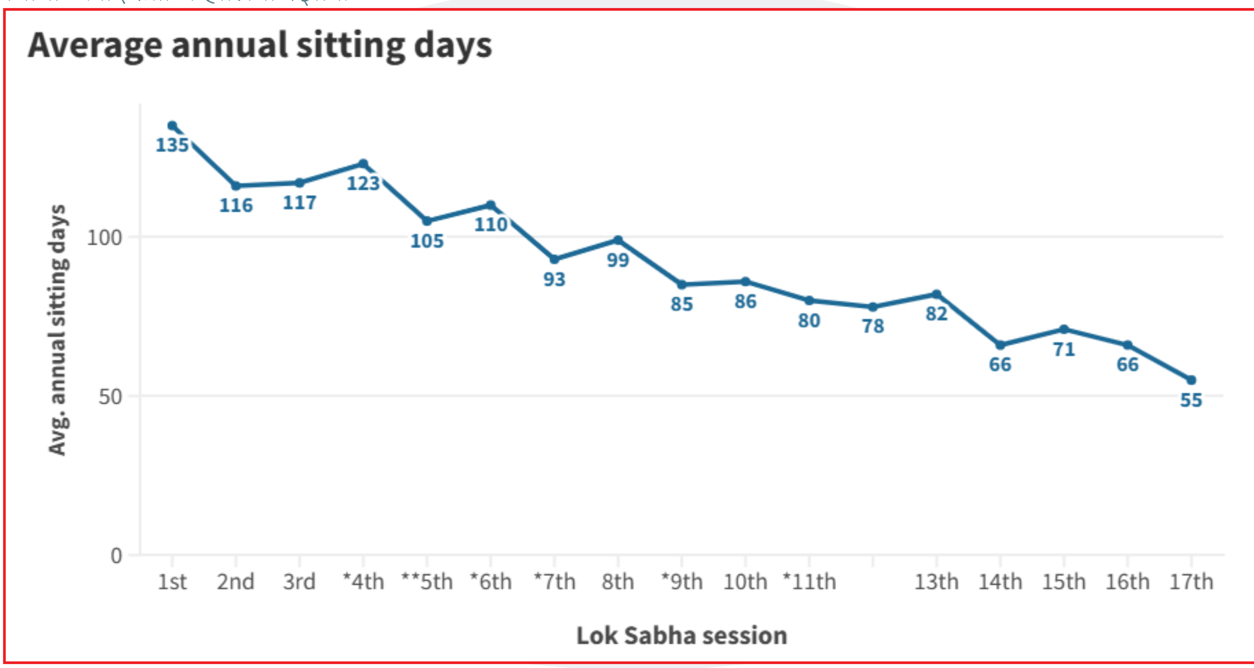

- **बैठकों के दिनों की संख्या:** पहले लोकसभा में प्रति वर्ष संसद की बैठकें लगभग 135 दिन हुआ करती थीं, जो **17वीं लोकसभा में घटकर लगभग 55 दिन प्रति वर्ष** रह गये हैं।
    - बैठक के कम दिनों के बावजूद, 17वीं लोकसभा ने 200 से अधिक विधेयक पारित किये, जो **विधायी गतिविधियों की उच्च मात्रा** को दर्शाता है।
- **प्रत्येक बैठक की अवधि:** गहन विधायी विचार-विमर्श के लिये **लंबी बैठकें आवश्यक** हैं।
    - हालाँकि, वर्ष 2023 के बजट सत्र में, लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः निर्धारित समय का **केवल 33% और 24% ही कार्य** किया, जिससे यह वर्ष 1952 के बाद से **छठा सबसे छोटा बजट सत्र** बन गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उपस्थित सदस्यों की संख्या:** सार्थक बहस और सूचित निर्णय लेने के लिये एक सुदृढ़ गणपूर्ति (कोरम) अत्यंत आवश्यक है।
  - 17वीं लोकसभा (2019-2024) में, सांसदों की औसत उपस्थिति 79% थी, लेकिन बहस में भागीदारी कम रही, **प्रत्येक सांसद ने औसतन केवल 45 बहसों में भाग लिया।**
- **व्यवधान का स्तर:** बार-बार होने वाले व्यवधान, जैसे नारेबाजी और बहिर्गमन, बहस की अवधि को बहुत कम कर देते हैं।
  - 15वीं लोकसभा (2009-14) ने अपने निर्धारित समय का 30% से अधिक व्यवधानों के कारण खो दिया, जिससे **विधायी उत्पादकता गंभीर रूप से प्रभावित** हुई।
- **संसदीय समितियों द्वारा जाँच:** 17वीं लोकसभा में, **केवल 10% विधेयक समितियों को भेजे गए,** जो 14वीं लोकसभा (60%), 15वीं (71%) और 16वीं (25%) की तुलना में भारी गिरावट है, जहाँ केवल 14 विधेयकों की समीक्षा की गई।
- **वाद-विवाद का संचालन:** प्रश्नकाल और शून्यकाल, जो कार्यपालिका की जवाबदेही के लिये आवश्यक साधन हैं, का कम उपयोग हुआ या वे अनुपस्थित रहे।
  - 17वीं लोकसभा में, प्रश्नकाल लोकसभा में निर्धारित समय का **केवल 19% और राज्यसभा में 9% ही चला।**

लोकतंत्र पर प्रभाव

- संसद की निगरानी भूमिका को दरकिनार करके **संस्थागत जाँच और संतुलन को कमज़ोर** करता है।
- प्रतिनिधित्व के संकट को दर्शाता है, जहाँ **जनता की चिंताओं पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं** की जाती है।
- लोकतांत्रिक संस्थाओं में पारदर्शिता और जनता के विश्वास को कम करता है।
- विधायी जाँच को दरकिनार करते हुए **अध्यादेश मार्ग को तेज़ी से अपनाया जाता है** (जैसे: वर्ष 2020 के तीन कृषि कानून पहले अध्यादेश के रूप में लाये गये थे)।

निष्कर्ष:

राजनीतिक सिद्धांतकार रजनी कोठारी ने कहा था, ***"लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह परस्पर सहमति की प्रक्रिया है।"***

संस्थागत सम्मान को पुनर्जीवित करना, अंतर-दलीय संवाद को बढ़ाना, और **NeVA** जैसे सुधारों को बढ़ावा देना तथा **समितियों की जाँच को बढ़ाना संसदीय शुचिता को पुनर्परिभाषित करने के लिये आवश्यक** है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

प्रश्न : चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों से उत्पन्न चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए अपने भू-राजनीतिक लक्ष्यों के लिये शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का लाभ उठाने के भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- SCO के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर की शुरुआत कीजिये तथा इससे संबंधित मुद्दों के लिये संदर्भ निर्धारित करने हेतु एक हालिया घटना पर प्रकाश डालें।
- SCO के माध्यम से भारत के रणनीतिक लक्ष्यों पर प्रकाश डालिये
- चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों से उत्पन्न चुनौतियों का उल्लेख कीजिये
- इन चुनौतियों के प्रबंधन के लिये भारत की रणनीति पर गहराई से विचार कीजिये
- एक उद्धरण के साथ निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) भारत को मध्य एशिया में अपने भू-राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से **आतंकवाद-निरोध, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग** के संदर्भ में।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- हालाँकि, **आतंकवाद पर SCO, 2025 रक्षा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य** पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार, SCO के भीतर पाकिस्तान को चीन के समर्थन से उत्पन्न चुनौतियों को उजागर करता है।

मुख्य भाग:

SCO के माध्यम से भारत के रणनीतिक लक्ष्य:

- **आतंकवाद विरोधी सहयोग:** भारत का लक्ष्य सीमा पार आतंकवाद से निपटना है, जो पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न एक प्रमुख खतरा है। **SCO का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढाँचा (RATS)** ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - भारत ने SCO मंचों पर आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिये लगातार ज़ोर दिया है, हालांकि **पाकिस्तान का प्रभाव और उसके प्रति चीन** का सुरक्षात्मक रुख इन प्रयासों को कमज़ोर करता है।
- **क्षेत्रीय संपर्क: भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी परियोजनाओं के माध्यम** से मध्य एशिया के साथ अपने संपर्क को बढ़ाना चाहता है, जिससे व्यापार में सुविधा हो सकती है और यूरेशियाई बाज़ारों तक पहुँच में सुधार हो सकता है।
  - अधिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर भारत का लक्ष्य क्षेत्रीय आर्थिक नेटवर्क में खुद को एकीकृत करना है तथा अपने विकास के लिये महत्त्वपूर्ण ऊर्जा और संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करना है।
- **आर्थिक सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा: SCO भारत को ऊर्जा संसाधनों और क्षेत्रीय आर्थिक पहलों पर सहयोग** करने के लिये एक मंच प्रदान करता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - SCO में भारत की भागीदारी से मध्य एशिया के ऊर्जा संसाधनों तक बेहतर पहुँच हो सकेगी, क्योंकि **कज़ाखस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों** के पास महत्त्वपूर्ण ऊर्जा भंडार हैं।
- **मध्य एशिया में भू-रणनीतिक संतुलन:** SCO में भारत की पूर्ण सदस्यता उसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में सक्षम बनाती है।
  - **भारत SCO के माध्यम से संबंधों को बढ़ावा देकर मध्य एशिया** के साथ जुड़ना चाहता है तथा उसे चीनी प्रभाव क्षेत्र बनने से रोकना चाहता है।
- **अफगानिस्तान में स्थिरता:** अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत का निहित स्वार्थ है, जो SCO की एक प्रमुख चिंता है, विशेष रूप से अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद।
  - पूर्ण सदस्य के रूप में भारत अफगानिस्तान में क्षेत्रीय शांति स्थापना प्रयासों में योगदान दे सकता है तथा यह सुनिश्चित कर सकता है, कि क्षेत्र में अस्थिरता का प्रभाव भारत पर न पड़े।

चीन और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- **SCO में चीन का वर्चस्व: शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** के भीतर चीन का प्रभाव असमान रूप से अधिक है, जो रणनीतिक सहयोग और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर भारत के उद्देश्यों को पीछे छोड़ देता है।
  - **पाकिस्तान के साथ चीन के घनिष्ठ संबंध** मंच के भीतर भारत के सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को और अधिक जटिल बना देते हैं।
- **पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण स्थिति:** भारत के साथ-साथ पाकिस्तान की SCO में उपस्थिति कई चुनौतियाँ उत्पन्न करती है, विशेष रूप से तब जब वह कश्मीर और अन्य विवादित मुद्दों पर अपना पक्ष बढ़-चढ़कर प्रस्तुत करता है।
  - SCO की सर्वसम्मति-आधारित निर्णय प्रक्रिया भारत के हितों को आगे बढ़ाना कठिन बना देती है, क्योंकि पाकिस्तान के विरोध से चर्चाएँ बाधित हो सकती हैं।
- **क्षेत्रीय कूटनीतिक ध्रुवीकरण:** भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच भिन्न-भिन्न प्राथमिकताएँ और हित SCO के भीतर एक भू-राजनीतिक विभाजन उत्पन्न करते हैं, जिससे भारत के लिये क्षेत्रीय रणनीतियों—विशेषकर आतंकवाद-रोधी प्रयासों और संपर्क परियोजनाओं को एकजुट रूप में आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

इन चुनौतियों के प्रबंधन के लिये भारत की रणनीति:

- **सामरिक कूटनीति और दृढ़ता:** भारत ने अपने मूल हितों पर खतरा उत्पन्न होने पर दृढ़तापूर्ण रुख अपनाया है, जैसा कि **वर्ष 2025 SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त वक्तव्य** पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने से देखा गया है।
  - **अपने आतंकवाद-रोधी एजेंडे** को प्राथमिकता देकर भारत स्पष्ट संदेश देता है कि वह बहुपक्षीय मंचों पर भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा।
- **चयनात्मक सहभागिता:** भारत उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहाँ सहयोग सबसे अधिक लाभकारी है, जैसे **आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयास।**
  - चुनौतियों के बावजूद, भारत क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये SCO के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है, विशेष रूप से मध्य एशिया में, जहाँ इसके हित SCO के कुछ सदस्यों के साथ जुड़े हुए हैं।
- **प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों में संतुलन:** भारत केवल एससीओ पर निर्भर नहीं है, बल्कि **अमेरिका, ब्रिटेन और इज़रायल** जैसे अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ भी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिये जुड़ा हुआ है।
  - प्रमुख देशों के साथ मज़बूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखकर भारत यह सुनिश्चित करता है कि उसके क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा लक्ष्य केवल SCO के भीतर की गतिशीलता से निर्धारित न हों।
- **सामरिक स्वायत्तता:** SCO के प्रति भारत का दृष्टिकोण **सामरिक स्वायत्तता के अपने व्यापक विदेश नीति सिद्धांत को** प्रतिबिंबित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए बहुपक्षीय मंचों पर कार्य कर सके।
  - भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने के लिये प्रतिबद्ध है और SCO के भीतर किसी भी गुटीय राजनीति में शामिल होने से बचता है।
- **वैकल्पिक बहुपक्षीय मंचों के साथ सहभागिता:** SCO की सीमाओं को पहचानते हुए, भारत अपने क्षेत्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जैसे वैकल्पिक मंचों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
  - छोटे, अधिक केंद्रित बहुपक्षीय मंचों के साथ संबंधों को मज़बूत करने का भारत का निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के प्रति उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

"भारत की कूटनीति व्यावहारिकता में निहित है, जो राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है और शांति, सुरक्षा एवं समृद्धि की खोज से निर्देशित होती है।" जैसे-जैसे भारत चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों की जटिलताओं को संभालते हुए SCO से लाभ प्राप्त करता है, उसकी विदेश नीति "सावधानीपूर्वक संवाद और स्पष्टता के साथ सहयोग" के सिद्धांत से ही निर्देशित होती रहती है।

प्रश्न : "हिंद-प्रशांत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक रणनीतिक दृष्टिकोण है।" चीन की आक्रामकता और विकसित होते क्षेत्रीय गठबंधनों की पृष्ठभूमि में भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्त्व और समसामयिक घटनाओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- भारत के लिये एक रणनीतिक दृष्टिकोण के रूप में हिंद-प्रशांत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- एक रणनीतिक चुनौती के रूप में चीन की मुखरता पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- क्षेत्रीय गठबंधनों के विकास में भारत के लिये अवसरों पर प्रकाश डालिये।
- भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को सुदृढ़ करने के उपाय बताइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC)** का आरंभ और **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन** (वर्ष 2025-27) **की भारत की आगामी अध्यक्षता,** हिंद-प्रशांत को **केवल एक भौगोलिक विस्तार के रूप में नहीं,** बल्कि एक **रणनीतिक रंगमंच के रूप में** भारत के विकसित होते दृष्टिकोण को दर्शाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 — SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस — SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स — SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप — SCAN ME

मुख्य भाग:

भारत के लिये एक रणनीतिक दृष्टिकोण के रूप में हिंद-प्रशांत क्षेत्र:

- **समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता:** भारत का **95% से अधिक व्यापार और ऊर्जा आयात** हिंद-प्रशांत क्षेत्र से होकर गुजरता है, खासकर **होर्मुज़ और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे अवरोध बिंदुओं** से।
  - भारत का SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) **सिद्धांत** और मिशन-आधारित तैनाती **चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति का मुकाबला** करने में उसके समुद्री-प्रथम दृष्टिकोण का संकेत देती है।
- **आर्थिक विकास और व्यापार विविधीकरण: इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक फ्रेमवर्क (IPEF)** में शामिल होकर और **ऑस्ट्रेलिया व UAE के साथ FTA पर हस्ताक्षर** करके, हिंद-प्रशांत क्षेत्र चीन पर अत्यधिक निर्भरता से जोखिम कम करने के भारत के प्रयासों का आधार है।
  - भारत **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं,** विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और स्वच्छ प्रौद्योगिकी में एकीकरण के लिये **चाइना प्लस वन रणनीति का लाभ** उठा रहा है।
- **संपर्क और बुनियादी अवसंरचना कूटनीति:** IMEC गलियारा और चाबहार बंदरगाह का पुनरोद्धार, **अंतर-क्षेत्रीय संपर्क को आकार देने के भारत के उद्देश्य** को दर्शाता है।
  - भारत द्वारा वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भंडार (GDPIR) का आरंभ, **डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से उसके सॉफ्ट-पावर नेतृत्व** को दर्शाता है।
- **ब्लू इकॉनमी और जलवायु अनुकूलन:** भारत **IORA, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** और **ब्लू इकॉनमी पहलों के माध्यम से महासागरीय संधारणीयता का नेतृत्व** कर रहा है, जिसका उद्देश्य जलवायु-संवेदनशील विकास के साथ **चीन के अवसंरचना-प्रधान BRI का मुकाबला** करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

चीन की हठधर्मिता: एक रणनीतिक चुनौती

- **समुद्री सैन्यीकरण:** दक्षिण चीन सागर में **चीन का विस्तार, जिबूती, ग्वादर और हंबनटोटा** में दोहरे उपयोग वाले बंदरगाहों का विकास एवं PLA नौसेना का आधुनिकीकरण, दक्षिण चीन सागर सुरक्षा (SLOC) के लिये खतरे उत्पन्न करते हैं।
- **ऋण कूटनीति और भू-आर्थिक लाभ:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) **के माध्यम से, चीन ने आर्थिक निर्भरताएँ स्थापित कर ली हैं,** जिसका **भारत स्थायी बुनियादी अवसंरचना की कूटनीति के माध्यम से मुकाबला करता है।**
    - चीन अपनी गहरी आर्थिक स्थिति के कारण भू-आर्थिक रूप से भी प्रभावी है, जबकि भारत को **वित्तीय कमी, तकनीकी प्रगति और धीमी परियोजना क्रियान्वयन की समस्या** से जूझना पड़ रहा है।
- **डिजिटल और मानक प्रतिद्वंद्विता:** GDPIR और G20 कूटनीति के माध्यम से भारत के ओपन डिजिटल पब्लिक गुड्स मॉडल के विपरीत, चीन बंद, **राज्य-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा** दे रहा है।

उभरते क्षेत्रीय गठबंधन: भारत के लिये अवसर

- **मिनी-लेटरल और रणनीतिक अभिसरण: क्वाड** (भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया) समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृंखलाओं और उभरती तकनीक पर केंद्रित है।
    - **भारत-फ्राँस-ऑस्ट्रेलिया** और **भारत-इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय संगठन** हिंद महासागर एवं प्रशांत क्षेत्र में मुद्दा-आधारित गठबंधनों को बढ़ावा देते हैं।
- **बहुपक्षीय आर्थिक मंच:** यद्यपि भारत ने व्यापार स्तंभ से बाहर रहने का विकल्प चुना है, फिर भी **IPEF आपूर्ति शृंखला लचीलापन,** स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष मानकों के लिये एक अवसर प्रदान करता है।
    - **BIMSTEC और IPOI** में भारत की भागीदारी आर्थिक और सुरक्षा अभिसरण वाले क्षेत्रीय समूहों में इसकी उपस्थिति को मज़बूत करती है।

भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति का सुदृढ़ीकरण

- **समुद्री क्षमता और अग्रिम उपस्थिति का विस्तार: नौसेना आधुनिकीकरण,** मिशन-आधारित तैनाती में तेज़ी लाना चाहिये और **हिंद-प्रशांत देशों के साथ दोहरे उपयोग वाले लॉजिस्टिक्स समझौते** विकसित किया जाना चाहिये।
    - **गहरे समुद्र के बंदरगाहों, MDA** (समुद्री डोमेन जागरूकता) प्रणालियों और **तटीय रडार नेटवर्क में निवेश** किया जाना चाहिये।
- **आर्थिक एकीकरण बढ़ाएँ: ASEAN**, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को गहरा बनाया जाना चाहिये और **आपूर्ति शृंखला, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं IPEF के स्वच्छ प्रौद्योगिकी** स्तंभों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाना चाहिये।
    - व्यापार सुगमता **अवसंरचना, सीमा शुल्क दक्षता और व्यापार सुगमता** का विस्तार किया जाना चाहिये।
    - यदि भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनना चाहता है, तो उसे अगले 10-15 वर्षों में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये **निवेश में वृद्धि, परियोजना निष्पादन में सुधार और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने** की आवश्यकता है।
- **ब्लू इकॉनमी और जलवायु कूटनीति में नेतृत्व:** ISA और CDRI जैसे भारत-नेतृत्व वाले मंचों के तहत ब्लू इकॉनमी, **द्वीपीय संधारणीयता और जलवायु वित्तपोषण** को मुख्यधारा में लाने के लिये IORA अध्यक्षता का उपयोग किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत की इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) नीति को अलग-अलग पहलों के समूह से आगे बढ़कर एक स्पष्ट और बहुआयामी रणनीति का रूप लेना चाहिये, जो सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण, जलवायु कूटनीति एवं सभ्यतागत नेतृत्व को साथ जोड़ती हो।

"हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अशांत जल में वही देश भविष्य की दिशा तय करेंगे जो दूरदृष्टि, मूल्यों और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे।" — भारत को ऐसे ही एक राष्ट्र के रूप में उभरने की आवश्यकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामाजिक न्याय

प्रश्न : भारत में दिव्यांगजनों के लिये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियाँ कितनी प्रभावी हैं? इन नीतियों के कार्यान्वयन में अभी भी मौजूद कमियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों को कायम रखने वाली एक हालिया उपलब्धि को रेखांकित करते हुए उत्तर लेखन की शुरुआत कीजिये।
- भारत में दिव्यांगजनों के लिये सामाजिक न्याय की प्रमुख नीतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- नीतियों की प्रभावशीलता को रेखांकित कीजिये।
- नीतियों के कार्यान्वयन में कमियों का उल्लेख कीजिये और सुधार के उपायों का सुझाव दीजिये।
- एक संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का उदहारण देते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

हाल ही में **राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ (2023) मामले** में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: स्पष्ट किया कि **सेवाओं और अवसरों तक पहुँच का अधिकार** दिव्यांगजनों का अधिकार एक मूल मानवाधिकार है।

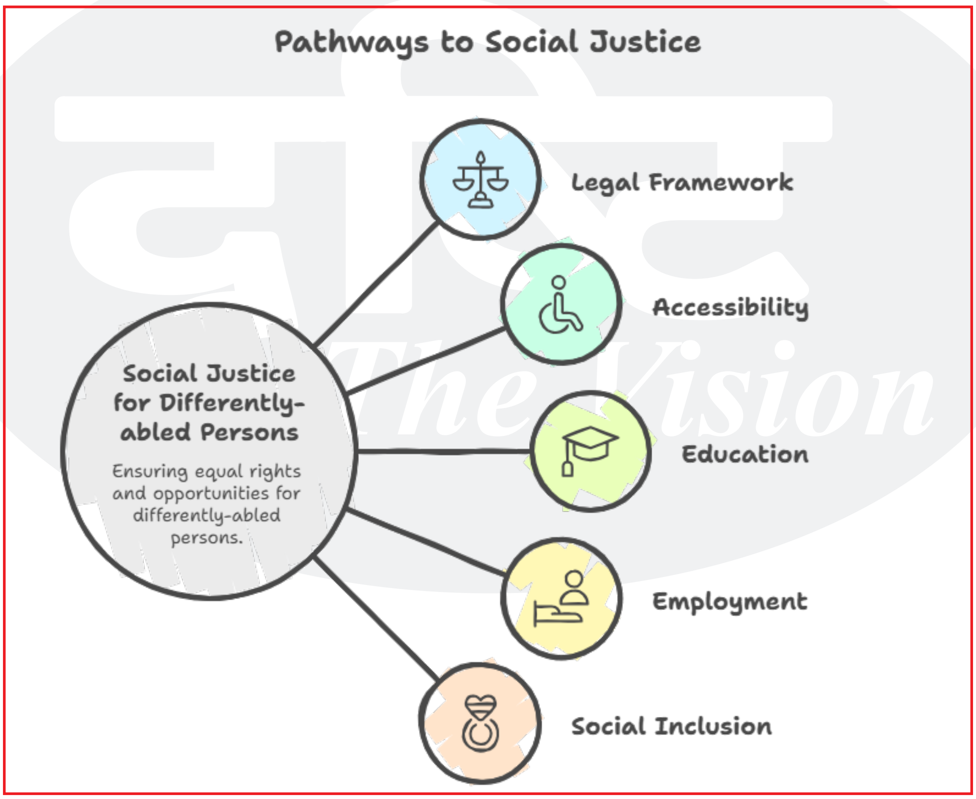

- हालाँकि, **दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016** जैसी कानूनी प्रगतियों के बावजूद, इन अधिकारों के कार्यान्वयन में अंतराल बने हुए हैं तथा दिव्यांगजनों को अभी भी सुगम्यता, शिक्षा और रोज़गार में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

भारत में दिव्यांगजनों के लिये सामाजिक न्याय हेतु प्रमुख नीतियाँ:

- **दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016:** RPWD अधिनियम दिव्यांगता की परिभाषा को बढ़ाकर 21 श्रेणियों तक विस्तारित करता है और **शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा तथा सुलभता के क्षेत्र में दिव्यांगजनों के अधिकारों की गारंटी** देता है।
  - इस अधिनियम में **सरकारी नौकरियों में 4% तथा उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण का प्रावधान** किया गया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।
- **सुगम्य भारत अभियान:** वर्ष 2015 में शुरू किया गया यह अभियान दिव्यांगजनों के लिये सार्वजनिक स्थानों, परिवहन प्रणालियों और डिजिटल बुनियादी अवसंरचना के अभिगम में सुधार लाने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999:** यह अधिनियम ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता तथा एकाधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी उपायों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** यह मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों और देखभाल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसका उद्देश्य समावेशी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करना है।

नीतियों की प्रभावशीलता:

- **सकारात्मक प्रगति:**
  - **मीडिया प्रतिनिधित्व के लिये सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश** रूढ़िवादिता को चुनौती देने तथा दिव्यांगजनों के लिये अधिक समावेशी और सम्मानजनक समाज को बढ़ावा देने में सहायता कर रहे हैं।
    - इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण हाल ही में आई फिल्म **'सितारे ज़मीन पर'** है, जो इस तरह के सकारात्मक चित्रण की एक बानगी है।
  - **वेब सामग्री सुगम्यता दिशानिर्देश (WCAG) 2.1** में वेब कंटेंट को अधिक सुलभ बनाने के लिये विस्तृत सिफारिशें शामिल हैं।
    - **IPL मैचों का सांकेतिक भाषा में प्रसारण सही** दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **सीमित प्रभावशीलता के क्षेत्र:**
  - **डिजिटल एक्सक्लूज़न:** डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन (**DEF, 2024**) द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि **केवल 36.61% दिव्यांगजन नियमित रूप से डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते हैं,** जिसका मुख्य कारण वेबसाइट की अपर्याप्त सुलभता और सहायक प्रौद्योगिकी का अभाव है।
  - **रोज़गार संबंधी बाधाएँ:** कार्यस्थल पर भेदभाव, भौतिक रूप से दुर्गम कार्य वातावरण और सीमित व्यावसायिक प्रशिक्षण के कारण दिव्यांगजनों को रोज़गार पाने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
    - 4% आरक्षण के बावजूद, **1.3 करोड़ रोज़गार योग्य दिव्यांगजनों में से केवल 34 लाख ही रोज़गार प्राप्त** कर पाए हैं।

नीतियों के कार्यान्वयन में अंतराल:

- **कानूनी और प्रशासनिक बाधाएँ:** प्रशासनिक अक्षमताओं के कारण नीतियों का कार्यान्वयन प्रायः कागज़ों तक ही सीमित रह जाता है।
  - उदाहरण के लिये, कई राज्यों ने **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के अनुसार **दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं** किया है।
  - जटिल प्रक्रियाओं और डिजिटल बुनियादी अवसंरचना की कमी के कारण दिव्यांगजनों को प्रायः **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना** करना पड़ता है, जिससे लाभ तक उनकी पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **सामाजिक कलंक और जागरूकता की कमी:** कानूनी कार्यढाँचों के बावजूद, सामाजिक दृष्टिकोण अभी भी सक्षमतावाद में गहराई से जड़ जमाए हुए हैं। दिव्यांगजनों को समानता के बजाय दया के नज़रिये से देखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक, शैक्षिक और रोज़गार के क्षेत्रों में उनका अपवर्जन होता है।
    - दिव्यांगजनों का मीडिया में प्रतिनिधित्व न्यूनतम और प्राय: रूढ़िवादी होता है, जिससे नकारात्मक धारणाएँ प्रबल होती जाती हैं।
- **ग्रामीण एवं हाशिये पर स्थित समुदायों में अभिगम-अक्षमता:** दिव्यांगजन आबादी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा (**लगभग 69%) ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है,** जहाँ **अभिगम-अक्षमता एक प्रमुख मुद्दा** बना हुआ है।
    - लिंग, जाति एवं ग्रामीण-शहरी विभाजन जैसे कारक इन चुनौतियों को और जटिल बना देते हैं, विशेषकर महिलाओं और वंचित समूहों के लिये, जिन्हें बहुस्तरीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **बुनियादी अवसंरचना और स्वास्थ्य देखभाल में अंतराल:** हालाँकि RPWD अधिनियम सुलभ बुनियादी अवसंरचना को अनिवार्य करता है, लेकिन **भारत की केवल 3% इमारतें पूरी तरह से सुलभ** हैं।
    - इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाएँ प्राय: दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं होती हैं तथा आयुष्मान भारत जैसी **सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएँ सहायक साधनों या दीर्घकालिक दिव्यांगता देखभाल को पर्याप्त रूप से कवर नहीं करती हैं।**

नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय:

- **कार्यान्वयन और निगरानी को सुदृढ़ बनाना: RPWD अधिनियम, 2016** का पूर्ण प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दिशा में निगरानी और उत्तरदायित्व के लिये मज़बूत तंत्र स्थापित किये जाने चाहिये।
    - **गैर-अनुपालन को दूर करने के लिये दिव्यांगता-समावेशी उपायों के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुपालन का नियमित ऑडिट** आवश्यक है।
- **समावेशी रोज़गार प्रथाएँ: राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता-समावेशी रोज़गार नीति** को लागू किया जाना चाहिये, जो **सुलभ कार्य वातावरण, उचित समायोजन और नियुक्ति प्रक्रियाओं में लचीलेपन को अनिवार्य बनाती है।**
    - कंपनियों को दिव्यांगजनों को नियुक्त करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना तथा उनकी रोज़गार प्रगति पर नजर रखना आवश्यक है।
- **व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ:** आयुष्मान भारत जैसी **राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में दिव्यांगता-विशिष्ट आवश्यकताओं को एकीकृत करना**, जिसमें सहायक उपकरण, दीर्घकालिक पुनर्वास और विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।
- **प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना: विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)** प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिये तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से कल्याणकारी आवेदनों को अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दिव्यांगजन प्रशासनिक विलंब के बिना आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें।
- **जागरूकता और संवेदनशीलता में वृद्धि:** सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और दिव्यांगजनों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिये।
    - स्कूलों, कार्यस्थलों और मीडिया को **दिव्यांगजनों के प्रति सम्मान एवं सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा** देने के लिये शामिल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

"वास्तव में दिव्यांगता केवल यह है कि हम भिन्नताओं को स्वीकारने और सम्मान देने में असमर्थ हों।" भारत के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि वह केवल नियमों के पालन तक सीमित मानसिकता से आगे बढ़े और समावेशन की एक पूर्ण संस्कृति को बढ़ावा दे, ताकि दिव्यांगजन डिजिटल और भौतिक, दोनों ही क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति में सार्थक रूप से भागीदारी कर सकें तथा **संयुक्त राष्ट्र 'दिव्यांगजन के अधिकारों पर अभिसमय' (CRPD) की** भावना को सशक्त रूप से प्रतिपादित किया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "भारत में सामाजिक न्याय की संकल्पना समानता, सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक सशक्तीकरण के सिद्धांतों से गहनता से जुड़ी हुई है।" इस पर चर्चा कीजिये कि भारतीय संविधान किस प्रकार सामाजिक न्याय, (विशेषत: वंचित समुदायों के संदर्भ में) सुनिश्चित करता है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्शों के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये तथा बविवेचना कीजिये कि यह समानता, सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक सशक्तीकरण के सिद्धांतों के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है।
- संविधान में समानता के सिद्धांतों, सकारात्मक कार्रवाई और सीमांत समुदायों एवं सामाजिक सशक्तीकरण के लिये विशेष प्रावधानों के पक्ष में तर्क दीजिये।
- एक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक ऐसी न्यायसंगत और समतामूलक समाज की रचना करना है जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों की विषमताओं को दूर किया जाये, समान अवसर सुनिश्चित किये जायें तथा सीमांत वर्ग के लोगों को सशक्त किया जाये। संविधान की पहचान-पत्र के रूप में भूमिका (प्रस्तावना) इस दिशा में भारतीय राज्य की प्रतिबद्धता को **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** के रूप में स्पष्ट करती है।

- इसे **मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़** होता है; यह **समानता, सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक सशक्तीकरण** के सिद्धांतों से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है।

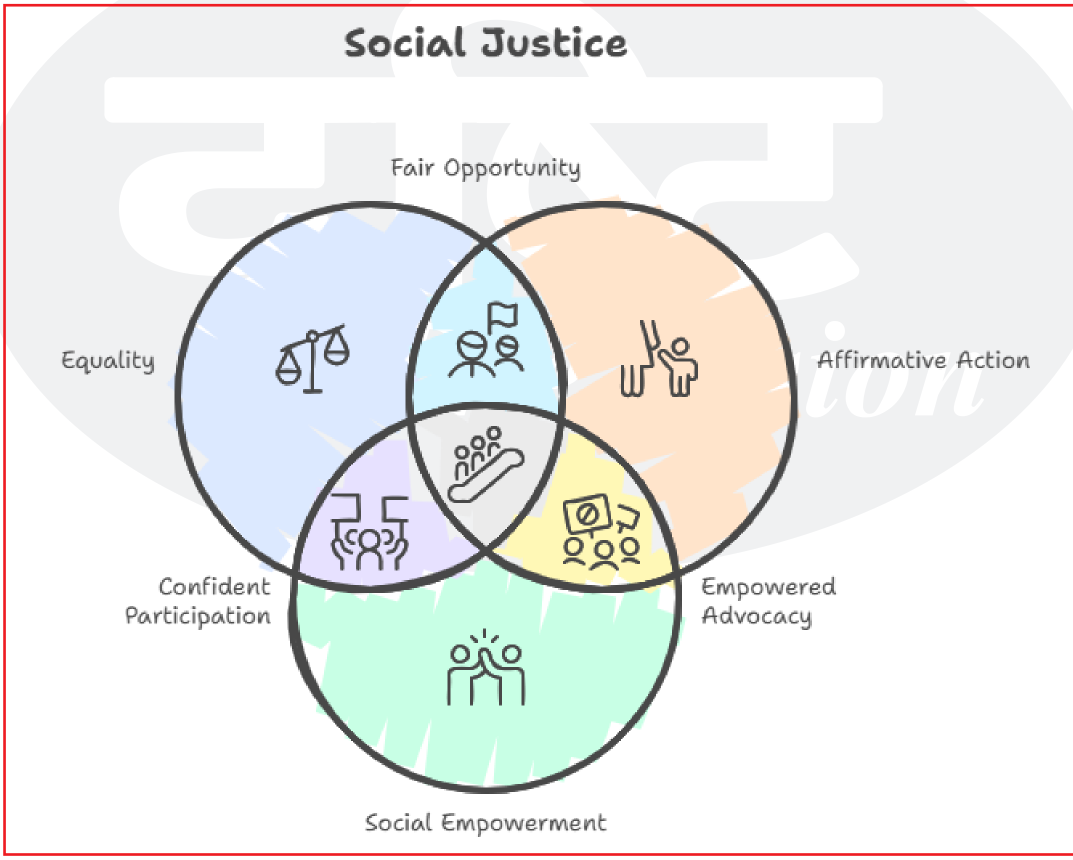

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

मुख्य भाग:

संविधान में समानता के सिद्धांत

- **विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14):** अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि **सभी नागरिक विधि के समक्ष समान** हैं और उन्हें **विधियों के समान संरक्षण का अधिकार** प्राप्त है।
  - यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव न हो, जिससे भारतीय लोकतंत्र में समता की नींव स्थापित होती है।
- **भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15):** अनुच्छेद 15 **पंथ, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान** के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि **सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों या रोज़गार में सीमांत समुदायों के साथ भेदभाव नहीं** किया जा सके।
- **अवसर की समानता (अनुच्छेद 16):** अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में **अवसर की समानता** सुनिश्चित करता है।
  - यह विशेष रूप से **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान** के आधार पर रोज़गार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है तथा इस विचार को पुष्ट करता है कि सार्वजनिक सेवा सभी नागरिकों के लिये सुलभ होनी चाहिये।
  - ये प्रावधान सामाजिक न्याय की नींव बनाते हैं जो विशेष रूप से वंचित और सीमांत वर्गों के लिये समानता एवं भेदभाव-रहित व्यवहार सुनिश्चित करते हैं।

सीमांत समुदायों के लिये सकारात्मक कार्रवाई और विशेष प्रावधान:

- **विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 81 और 170):** संविधान में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये **लोकसभा** एवं **राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान** है।
  - **नारी शक्ति वंदन अधिनियम** के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में **महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित** की गई हैं।
- **शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 15(5)):** अनुच्छेद 15(4) राज्य को **सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान** करने का अधिकार देता है।
  - इसी प्रकार, अनुच्छेद 15(5) विशेष रूप से **शैक्षणिक संस्थानों** में **OBC, SC** और **ST समुदायों के लिये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण** का प्रावधान करता है जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो तथा वे निर्धनता एवं पिछड़ेपन के चक्र से बाहर निकल सकें।
- **रोज़गार में आरक्षण (अनुच्छेद 16(4)):** सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये, अनुच्छेद 16(4) **सार्वजनिक रोज़गार** में **पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों** एवं **अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण** का प्रावधान करता है।
  - इससे सरकारी नौकरियों में इन समुदायों के ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व को सुधारने में सहायता मिलती है, जो सामाजिक गतिशीलता और सशक्तीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 46):** अनुच्छेद 46 राज्य को **अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा** तथा इसकी अनुशंसा करने का निर्देश देकर उनके **कल्याण को बढ़ावा** देता है।
  - यह शोषण के विरुद्ध इन समुदायों के हितों की रक्षा पर ज़ोर देता है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

सामाजिक सशक्तीकरण:

- **गरिमामय जीवन का अधिकार: शिक्षा का अधिकार** (अनुच्छेद 21a) और **जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार** (अनुच्छेद 21) जैसे अधिकार विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। ये अधिकार **व्यक्ति को शोषण और भेदभाव से सुरक्षा** प्रदान करते हैं तथा **सशक्तीकरण के अवसर** प्रदान करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **शोषण से सुरक्षा (अनुच्छेद 23 और 24):** अनुच्छेद 23 **मानव तस्करी** और **बलात् श्रम पर प्रतिबंध** लगाता है, जो सीमांत समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार, **अनुच्छेद 24** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है, जो समाज के कमज़ोर वर्गों के शोषण को सीधे तौर पर प्रतिबंधित करता है।
- **भारत एक कल्याणकारी राज्य (DPSP) के रूप में:** यद्यपि नीति-निदेशक तत्त्व (DPSP) न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, तथापि ये राज्य की सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की आकांक्षा को प्रकट करते हैं।
  - **अनुच्छेद 38** राज्य से न्याय पर आधारित **सामाजिक व्यवस्था** सुनिश्चित करके **लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का आग्रह** करता है और **अनुच्छेद 39a** समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का आह्वान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रह जाए।

सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने के लिये विशेष कानून और कार्यक्रम

संविधान **विशिष्ट कानूनों और कार्यक्रमों के माध्यम से सीमांत समुदायों के सशक्तीकरण को भी सुगम** बनाता है, जिसका उद्देश्य उनके सामने आने वाले ऐतिहासिक और प्रणालीगत अन्याय को दूर करना है।

- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य अस्पृश्यता** और **शोषण** जैसे अपराधों के लिये कानूनी उपाय एवं दंड प्रदान करके अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के **शोषण और भेदभाव को रोकना** है।
  - इससे सीमांत समुदायों के लिये **सम्मान और समानता** के संविधान के दृष्टिकोण को बल मिलता है।
- संविधान में नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और इन समुदायों के हितों की रक्षा के लिये **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग** (NCSC) और **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग** (NCBC) **जैसे निकायों की स्थापना** की गई है।
- **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996** (PESA) और **वन अधिकार अधिनियम, 2006 भूमि, संसाधनों** एवं **शासन संरचनाओं पर उनके अधिकारों को मान्यता** देकर जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाते हैं।
  - ये कानूनी प्रावधान स्थानीय शासन में **जनजातीय लोगों के समावेशन और सशक्तीकरण तथा उनके संसाधनों के संरक्षण का समर्थन** करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत का संविधान **सामाजिक न्याय** को किसी अमूर्त आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि **समावेशी राष्ट्र-निर्माण के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत** के रूप में ग्रहण करता है। जैसा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने उचित ही कहा था— ***"न्याय संविधान की आत्मा है"।***

इस आत्मा को सही मायने में साकार करने के लिये राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि न्याय केवल वादा भर न रह जाये, बल्कि यह वहाँ प्रदान भी किया जाए जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

प्रश्न : उपभोग समानता के मामले में भारत का स्थान उच्च है, फिर भी यहाँ धन का संकेंद्रण बढ़ता जा रहा है। भारत में आर्थिक वृद्धि और न्यायसंगत वितरण के बीच बढ़ते अंतर का विश्लेषण कीजिये। इस अंतर को न्यूनतम करने के लिये किन नीतिगत उपायों की आवश्यकता है? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में उपभोग समानता और बढ़ते धन संकेंद्रण के विरोधाभास का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- भारत में आर्थिक विस्तार और वितरणात्मक न्याय के बीच के वियोग का विश्लेषण कीजिये।
- इस अंतर को न्यूनतम करने के लिये आवश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिये।
- एक विवेकपूर्ण टिप्पणी के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

भारत, जो अब **विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** (PIB के अनुसार) है, एक आश्चर्यजनक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। उपभोग के मामले में यह सबसे समान समाजों में शुमार है, जिसका **गिनी गुणांक 25.5 (विश्व बैंक)** है, जो इसे विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रखता है, फिर भी यह **गंभीर धन संकेंद्रण से ग्रस्त** है।

मुख्य भाग:

उपभोग समानता

- **कल्याणकारी योजनाएँ बुनियादी समानता सुनिश्चित करती हैं:**
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), PM-KISAN, आयुष्मान भारत और MGNREGA जैसी सरकारी योजनाओं ने गरीबों को न्यूनतम उपभोग सुरक्षा प्रदान की है।
  - इन योजनाओं ने **उपभोग समानता को बढ़ावा** दिया है, जो उपभोग पर गिनी गुणांक जैसे मानकों में परिलक्षित होता है।
- **संपत्ति समानता का अभाव:**
  - यद्यपि उपभोग अस्थायी रूप से समान है, धन-सृजन संसाधनों—शिक्षा, नौकरी, संपत्ति, ऋण तक पहुँच अत्यधिक विषम बनी हुई है।
  - इस प्रकार, दैनिक उपभोग स्तरों की सतह के नीचे **संरचनात्मक असमानता** बनी रहती है।

विकास और वितरण के बीच वियोजन

- **ऑक्सफैम इंडिया (2023):** शीर्ष 1% **भारतीयों के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक** है।
- **विश्व असमानता रिपोर्ट (2022):** भारत विश्व के सबसे असमान देशों में से एक है, जहाँ **शीर्ष 10% और शीर्ष 1% आबादी के पास** कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57% एवं 22% हिस्सा है।
  - निम्नतम 50% का हिस्सा घटकर 13% रह गया है।

बढ़ती संपत्ति असमानता के कारण

- **प्रतिगामी कर व्यवस्थाएँ:** कॉर्पोरेट और संपत्ति कराधान में गिरावट; अप्रत्यक्ष कर का बढ़ता बोझ।
- **संपत्ति स्वामित्व में असमानता:** भूमि, स्टॉक और अचल संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित हैं।
- **बेरोज़गारी में वृद्धि:** स्वचालन, गिग इकॉनमी और अनौपचारिकीकरण ने आय के अवसरों को सीमित कर दिया है।
  - अनौपचारिक क्षेत्र **90% से अधिक कार्यबल को रोज़गार** देता है, लेकिन फिर भी उसे कम वेतन मिलता है।
- **सीमित सामाजिक गतिशीलता:** गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा ऋण की समुचित उपलब्धता न होने के कारण सामाजिक उन्नयन की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।
  - भारत की लगभग 74% आबादी स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती थी और 39% को पर्याप्त पोषक आहार नहीं मिल पाता था।
- **कॉर्पोरेट-केंद्रित वृद्धि:** आर्थिक उदारीकरण ने MSME की तुलना में बड़े उद्यमों को प्राथमिकता दी।
- **क्रोनी कैपिटलिज़्म:** निजीकरण और नियामक नियंत्रण ने असमान रूप से व्यावसायिक अभिजात वर्ग को प्राथमिकता दी है।
- **गरीबों पर कर का बोझ:** देश में कुल वस्तु एवं सेवा कर (GST) का लगभग 64% हिस्सा निचले 50% आबादी से आया, जबकि सत्र 2021-22 में केवल 4% हिस्सा शीर्ष 10% से आया। (ऑक्सफैम रिपोर्ट, 2023)

वितरणात्मक न्याय के निहितार्थ

- **सामाजिक विखंडन:** बढ़ती असमानता आक्रोश और पहचान-आधारित राजनीति को बढ़ावा दे सकती है।
- **सामाजिक गतिशीलता में कमी:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल उपकरणों तक पहुँच की कमी गरीबों को गरीबी में फँसाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **लोकतांत्रिक घाटा:** नीति-निर्माण पर असमान प्रभाव एक-व्यक्ति-एक-मत के आदर्श को कमज़ोर करता है।

इस अंतर को न्यूनतम करने के लिये नीतिगत उपाय

- **प्रगतिशील कराधान:** उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों के लिये उत्तराधिकार कर को पुन: लागू करने और पूंजीगत लाभ कराधान पर पुनर्विचार करने पर विचार किया जाना चाहिये।
- **सार्वभौमिक बुनियादी सेवाएँ:** क्षमताओं को बढ़ाने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट तक अभिगम सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **श्रम बाज़ार सुधार:** न्यूनतम वेतन कानूनों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये।
- **संपत्ति पुनर्वितरण:** भूमि सुधार, भूमिहीनों के लिये आवास और लक्षित MSME ऋण सुनिश्चित किये जाने चाहिये।
- **ग्रामीण रोज़गार और बुनियादी अवसंरचना:** MGNREGA का विस्तार किया जाना चाहिये और ग्रामीण संपर्कता में निवेश किया जाना चाहिये।
- **पारदर्शी आँकड़े:** लक्षित नीतियों को सूचित करने के लिये नियमित असमानता ऑडिट किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि अमर्त्य सेन कहते हैं, **वास्तविक विकास केवल आर्थिक विकास में नहीं,** बल्कि **क्षमताओं के विस्तार और समानता को बढ़ावा देने में निहित** है। सतत् विकास लक्ष्य SDG10 (असमानताएँ कम करना) को पूरा करने के लिये **लक्षित नीतियों, पुनर्वितरणीय कराधान और सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम की आवश्यकता** है। केवल ऐसे उपायों के माध्यम से ही **आर्थिक विस्तार न्याय वितरण के साथ संरेखित** हो सकता है।

■■■

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : "लॉजिस्टिक्स किसी भी राष्ट्र की आर्थिक दक्षता की रीढ़ है और इसकी प्रगति, भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा के लिये आवश्यक है।" विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के संबंध में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- आर्थिक दक्षता के मजबूत समर्थन के रूप में लॉजिस्टिक्स के पक्ष में तर्क दीजिये।
- स्पष्ट कीजिये कि किस प्रकार लॉजिस्टिक्स आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
- भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हो रही परिवर्तनकारी वृद्धि की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिये।
- भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा कीजिये और परिवर्तनकारी सुधारों पर सुझाव दीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

परिवहन, भंडारण और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन सहित लॉजिस्टिक्स, वस्तुओं तथा सेवाओं की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करके आर्थिक विकास को सक्षम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 13-14% का योगदान देता है, जो कि वैश्विक औसत (~ 8%) से कहीं अधिक है, जो इसके महत्त्व और अक्षमताओं दोनों को दर्शाता है।

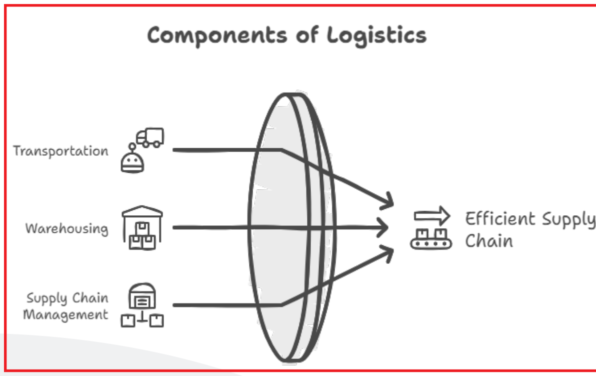

मुख्य भाग:

आर्थिक दक्षता का मूल आधार: लॉजिस्टिक्स

- **आपूर्ति शृंखला लचीलापन सक्षम करना:** लॉजिस्टिक्स वस्तुओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करता है, जो फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - **सुदृढ़ कोल्ड चेन प्रणाली कटाई के बाद होने वाले नुकसान (लगभग ₹92,000 करोड़ प्रति वर्ष) को कम करती है,** जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।
- **विनिर्माण और निर्यात को समर्थन: PLI योजनाओं और 'मेक इन इंडिया' के साथ, विनिर्माण-आधारित विकास के लिये** मज़बूत एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये **भारत का व्यापारिक निर्यात वर्ष 2022-23 में 447.46 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया,** जो कुशल बंदरगाह और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक निर्भर है।
- **रोज़गार और औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना:** इस क्षेत्र में **22 मिलियन लोग कार्यरत हैं, तथा 2027 तक 10 मिलियन एवं नौकरियाँ** जुड़ने की उम्मीद है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- GST और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी नीतियों के माध्यम से औपचारिकीकरण से उत्पादकता और कार्यबल कौशल में वृद्धि होती है।
- **क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्क को सक्षम बनाना: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) तथा सागरमाला** जैसी पहल व्यापार संबंधों एवं समुद्री दक्षता में सुधार करती हैं।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास के रुझान:

- **मज़बूत बाज़ार विस्तार:** यह क्षेत्र **11% CAGR (2019-24) की दर से बढ़ा** और वर्ष **2029 तक 35.3 ट्रिलियन रुपये तक पहुँचने का अनुमान है।**
- **नीतिगत समर्थन और सरकारी हस्तक्षेप: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) का** लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 8% तक कम करना है।
  - **पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान** 1400 से अधिक डेटा परतों का एकीकरण करता है, जिससे बहु-माध्यम (मल्टीमॉडल) अवसंरचना की योजना निर्माण में सुधार होता है।
- **बुनियादी ढाँचा तथा मॉडल बदलाव:** समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFC), **भारतमाला के तहत 35 मल्टीमॉडल पार्क** और बेहतर बंदरगाह संपर्क मॉडल मिश्रण को नया रूप दे रहे हैं।
  - **सड़क परिवहन से रेल, तटीय मार्गों और अंतर्देशीय जलमार्गों की ओर परिवहन का बदलाव** लागत दक्षता के लिये **अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।**
- **डिजिटल परिवर्तन: ULIP, ई-संचित** जैसे प्लेटफॉर्म और **FASTag, IoT** तथा **AI आधारित मार्ग अनुकूलन** जैसे उपकरण लॉजिस्टिक्स को अधिक सुगम और कुशल बना रहे हैं।
  - भारत ने विश्व बैंक के **लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स** (2023) में अपनी स्थिति में **6 स्थानों का सुधार** करते हुए **38वाँ स्थान** हासिल किया है।
- **ई-कॉमर्स और लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स का उदय:** ई-कॉमर्स बाज़ार के वर्ष **2026 तक $200 बिलियन** तक पहुँचने का अनुमान है, जिसमें **Delhivery** जैसी लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ **लास्ट-माइल दक्षता** को बढ़ावा दे रही हैं।
  - प्रौद्योगिकी-सक्षम माइक्रो-वेयरहाउसिंग और रिवर्स लॉजिस्टिक्स का विस्तार टियर-II/III शहरों में हो रहा है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियाँ:

चुनौती	आशय
उच्च रसद लागत	भारतीय निर्यात और MSME की प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो जाती है
मॉडल असंतुलन	**सड़क पर अत्यधिक निर्भरता** (66%) लागत और उत्सर्जन को बढ़ाती है
खंडित और असंगठित बाजार	90% से अधिक **अनौपचारिक बने हुए हैं,** जिससे तकनीक अपनाने में बाधा आ रही है
स्थिरता के मुद्दे	डीजल पर निर्भरता और वाणिज्यिक रसद के लिये केवल 6,000 EV चार्जिंग स्टेशन।
साइबर सुरक्षा जोखिम	बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण SME को डेटा उल्लंघन और साइबर हमलों का खतरा बढ़ रहा है।

दक्षता बढ़ाने के लिये परिवर्तनकारी सुधार:

- **एकीकृत अवसंरचना विकास:** फास्ट-ट्रैक DFC, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और अंतिम मील ग्रामीण कनेक्टिविटी।
  - जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक पहुँच में सुधार के लिये **मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक** जैसे मॉडल का अनुकरण करना।
- **विनियामक सरलीकरण और एकल खिड़की मंज़ूरी: ई-संचित को** सभी रसद-संबंधी प्रक्रियाओं तक विस्तारित किया जाएगा।
  - राज्य विनियमों में सामंजस्य स्थापित करना तथा **फेसलेस सीमा शुल्क निकासी को सक्षम** बनाना।
- **डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन:** सब्सिडी और **ULIP API तक पहुँच के माध्यम से MSME में प्रौद्योगिकी अपनाने** को बढ़ावा देना।
  - स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी में भारत-विशिष्ट लॉजिस्टिक्स नवाचारों का विकास करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **कौशल विकास एवं प्रमाणन:** अंतिम-स्तरीय कौशल कार्यक्रमों के लिये ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ साझेदारी करना।
    - लॉजिस्टिक्स-विशिष्ट ITI और प्रमाणन मानक स्थापित करना।
- **ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा: ग्रीन लॉजिस्टिक्स प्रमाणन कार्यक्रम** शुरू करना। **EV अपनाने**, तटीय शिपिंग और कम कार्बन वाले गलियारों (जैसे, सागर सेतु) को बढ़ावा दें।
- **बहु-माध्यम एकीकरण और माल परिवहन का सुव्यवस्थितकरण: आर्थिक क्लस्टरों** में **मल्टीमॉडल हब्स** की स्थापना की जाए, ताकि विभिन्न परिवहन साधनों के बीच समन्वय बेहतर हो और माल ढुलाई अधिक कुशल एवं किफायती बने।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय **लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)** भारत के लॉजिस्टिक्स दृष्टिकोण में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को **सकल घरेलू उत्पाद के 8% तक कम करना, बहु-मॉडल एकीकरण को बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करना है। प्रभावी कार्यान्वयन के साथ यह भारत को विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने में** एक प्रमुख कारक बन सकती है, जिससे आर्थिक **दक्षता, निर्यात वृद्धि और समावेशी विकास** को बढ़ावा मिलेगा।

प्रश्न : "एक ऐसे देश में जहाँ वंचना अनेक रूपों में विद्यमान है, वहाँ आर्थिक नीति का आरंभ मध्य बिंदु से नहीं, बल्कि हाशिये से होना चाहिये।" भारत में गरीबी उन्मूलन रणनीतियों के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में गरीबी और प्रमुख अभाव कारकों के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- भारत में गरीबी उन्मूलन रणनीतियों का मध्यिका से सीमांत तक गहन अध्ययन प्रस्तुत कीजिये।
- भारत में अभाव के वर्तमान पहलुओं पर प्रकाश डालिये।
- सीमांत गरीबी से निपटने के लिये नीतिगत सुझाव दीजिये।
- एक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत ने **गरीबी उन्मूलन में सराहनीय प्रगति** की है, जहाँ **गरीबी सूचकांक** सत्र 2013-14 में 29.17% से **घटकर सत्र 2022-23 में 11.28%** हो गया है। फिर भी, **12.9 करोड़ लोग अभी भी $2.15/दिन से कम पर जीवन यापन** कर रहे हैं, **अभाव बहुआयामी** बना हुआ है, जिसमें **पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और आजीविका की असुरक्षा** शामिल है, जिसके लिये **मध्यिका** (विकास से लाभान्वित होने वाला औसत आय वर्ग) **से लेकर से सीमांत** (अति-गरीब और सबसे अधिक वंचित) **वर्ग तक के लिये नीतिगत बदलाव** की आवश्यकता है, **जहाँ भेद्यता सबसे अधिक** है।

मुख्य भाग:

भारत में गरीबी उन्मूलन रणनीतियाँ: मध्यिका से सीमांत तक

- **पारंपरिक दृष्टिकोण: मध्यिका-केंद्रित**
    - **कैलोरी-आधारित गरीबी रेखाएँ** (दांडेकर-रथ, 1971; लकड़ावाला, 1993)।
    - **तेंदुलकर समिति (2009)** ने एक **व्यापक उपभोग टोकरी** प्रस्तुत की।
        - ये दृष्टिकोण, उपयोगी होते हुए भी, **बहुआयामी अभाव को समझने में विफल** रहे।
- **वर्तमान प्रतिमान: सीमांत-केंद्रित**
    - बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में **स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर** शामिल हैं।
    - गरीबी उन्मूलन के लिये भारत द्वारा **क्रमिक दृष्टिकोण (BRAC मॉडल) का अंगीकरण:**
        - **आजीविका सहायता, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा** को जोड़ता है।
        - अल्पकालिक राहत के बजाय **स्थायी गरीबी उन्मूलन पर ध्यान** केंद्रित करता है।

भारत में अभाव के वर्तमान स्वरूप:

- **आय और धन असमानता: शीर्ष 10% के पास राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा** है, जबकि **निचले 50% के पास केवल 13%** (विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022) हिस्सा है।
    - विकास ने असमान रूप से उच्च वर्गों को लाभान्वित किया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अनौपचारिक क्षेत्र की भेद्यता: 80% से अधिक श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में हैं,** जहाँ उन्हें **नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक लाभों का अभाव** है।
    - **शहरी बेरोज़गारी दर 8.9%** (CMIE, 2024) **के उच्च स्तर पर** बनी हुई है।
- **ग्रामीण-कृषि संकट:** कृषि में **46% कार्यबल कार्यरत** है, लेकिन **सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल 18%** है।
    - **80% से अधिक किसान लघु और सीमांत** हैं; उनकी आय **मूल्य झटकों और जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य** है।
- **स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित अभाव:** कुल **स्वास्थ्य व्यय का 58.7% स्वयं द्वारा किया जाने वाला व्यय** है।
    - **56.1% भारतीय बच्चे अपर्याप्त अधिगम से पीड़ित हैं** (विश्व बैंक, महामारी से पहले), ग्रामीण क्षेत्र के कक्षा 3 के 80% बच्चे कक्षा 2 की किताब नहीं पढ़ सकते (ASER 2022)।
- **जलवायु भेद्यता:** जलवायु परिवर्तन **कृषि, मत्स्यन और गरीबों की आजीविका पर असमान रूप से प्रभाव** डालता है।
    - चक्रवात **अम्फान** (2020) जैसी घटनाओं ने **2.4 मिलियन लोगों को विस्थापित किया,** जिनमें से **अधिकांश गरीब समुदायों से** थे।

सीमांत वर्ग की गरीबी को दूर करने के लिये नीतिगत सुझाव

- **सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करना:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), आयुष्मान भारत और **PM-KISAN के कवरेज एवं दक्षता का विस्तार** अति-निर्धन वर्ग की **जीवन-क्षमता में सुधार** ला सकता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका विविधीकरण:** कौशल-आधारित और परिसंपत्ति-निर्माण गतिविधियों के साथ **MGNREGA को सुदृढ़ करके स्थायी आजीविका को बढ़ावा** दिया जा सकता है।
    - **DAY-NRLM के तहत स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम** जैसी योजनाओं को एकीकृत करने से **ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है और कृषि पर निर्भरता कम** हो सकती है।
- **कौशल विकास और रोज़गार सृजन:** स्थानीय, उद्योग-संरेखित प्रशिक्षण के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (**PMKVY**) **का पुनर्गठन सीमांत वर्ग के लोगों के लिये रोज़गार के परिणामों में सुधार** लाएगा।
    - निजी उद्यमों और MSME के साथ साझेदारी (विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में) माँग-आधारित रोज़गार का सृजन कर सकती है।
- **महिलाओं और सीमांत समूहों का सशक्तीकरण: स्वयं सहायता समूहों के कवरेज का विस्तार** और **स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से ऋण सुलभता में सुधार,** महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सक्षम बना सकता है।
    - लैंगिक बजट और भूमि अधिकार सुधारों को लागू करने से कमज़ोर समुदायों के लिये संस्थागत सहायता सुनिश्चित हो सकती है।
- **पोषण और बुनियादी सेवाओं की सुलभता:** पोषण अभियान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ खाद्यान्नों से सुदृढ़ बनाने से **उच्च बोझ वाले ज़िलों में कुपोषण कम** होगा।
- **जलवायु-अनुकूल विकास:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विस्तार और **PM-KUSUM** के माध्यम से **सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को प्रोत्साहित करने से किसानों की आय सुरक्षित** रहेगी।
    - जल सुरक्षा बढ़ाने और ग्रामीण संकट को कम करने के लिये **सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल शक्ति अभियान का विस्तार** किया जाना चाहिये।
- **डिजिटल और बुनियादी अवसंरचना समावेशन: BharatNet के कार्यान्वयन में तीव्रता और ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान** डिजिटल अंतराल को कम कर सकते हैं।
    - **ई-श्रम जैसे प्लेटफॉर्म अनौपचारिक श्रमिकों को लाभ,** वित्तीय साधनों और रोज़गार के अवसरों से जोड़ सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **क्षेत्र-विशिष्ट गरीबी उन्मूलन रणनीतियाँ:** गरीबी उन्मूलन के लिये **एक समान दृष्टिकोण** प्राय: विभिन्न क्षेत्रों की **विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करने में विफल** रहता है। इसलिये समावेशी और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए संदर्भ-विशिष्ट हस्तक्षेप आवश्यक हैं।
  - आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम के अंतर्गत अनुकूलित हस्तक्षेप स्थानीय विकास अंतरालों को कम कर सकते हैं।
  - बाढ़-प्रवण राज्यों को सुदृढ़ बुनियादी अवसंरचना की आवश्यकता है, जबकि **जनजातीय क्षेत्रों को स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि अधिकारों में निवेश** की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, ***"किसी समाज का वास्तविक मापदंड यह है कि वह अपने सबसे कमज़ोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है।"***

एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिये भारत को नीति-निर्माण की प्रक्रिया को समाज के हाशिये पर स्थित वर्गों से आरंभ करने की आवश्यकता है— यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बने।

प्रश्न : विश्व स्तर पर सबसे बड़ा कपास उत्पादक होने के बावजूद, भारत उत्पादकता में पिछड़ रहा है। भारत में कपास उत्पादकता की प्रमुख चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा इन चुनौतियों के समाधान में हाल ही में आरंभ किये गए 'कपास उत्पादकता मिशन' की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, लेकिन उत्पादकता के मामले में इसकी रैंकिंग काफी नीचे है।
- भारत में कपास उत्पादकता में प्रमुख चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
- हाल ही में शुरू किये गए "कपास उत्पादकता मिशन" की इन समस्याओं के समाधान में भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

कपास का एक प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद, भारत की उत्पादकता केवल **448 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर** है, जो **वैश्विक मानकों से काफी कम** है। यह **उपज अंतर संरचनात्मक और कृषि संबंधी चुनौतियों** से जुड़ा हुआ है। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिये **"कपास उत्पादकता मिशन"** की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य **लक्षित, प्रौद्योगिकी-आधारित और किसान-केंद्रित रणनीतियों** के माध्यम से उत्पादन में सुधार लाना है।

मुख्य भाग:

भारत में कपास उत्पादकता में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **निम्न उत्पादकता:** भारत विश्व स्तर पर कपास की खेती वाले क्षेत्र में पहले स्थान पर है, जहाँ लगभग 130.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की खेती होती है, जो विश्व की कुल कपास क्षेत्रफल (324.16 लाख हेक्टेयर) का लगभग 40% हिस्सा है।
  - हालांकि उत्पादकता के मामले में भारत विश्व में 39वें स्थान पर है, जहाँ औसत उपज मात्र 447 किलोग्राम/हेक्टेयर है।
- **आयात पर बढ़ती निर्भरता:** कपास का आयात वर्ष 2023-24 में 518.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, जबकि निर्यात 729.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 660.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।
- **सफलता के बाद ठहराव: Bt (बेसिलस थुरिनजिनेसिस)** कपास और **बोल्गार्ड-II तकनीकों** की सफलता के बावजूद भारत ने वर्ष 2006 के बाद से किसी भी नए आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) कपास किस्म को मंज़ूरी नहीं दी है।
- **संक्रमण:** कपास उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से **पिंक बॉलवर्म (PBW)** के बढ़ते संक्रमण के कारण है।
  - प्रारंभ में Bt कपास ने कीट नियंत्रण में प्रभावी परिणाम दिये, लेकिन समय के साथ पिंक बॉलवर्म (PBW) ने Bt प्रोटीन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली।
- **वैश्विक बाज़ारों में छूटे अवसर:** अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देश, जहाँ जैव प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाया गया है, वे अब उस निर्यात बाज़ार पर कब्जा कर रहे हैं जिस पर कभी भारत का प्रभुत्व था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

कपास उत्पादकता मिशन की भूमिका:

- यह भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू की गई एक **पाँच वर्षीय पहल** है, जिसका उद्देश्य देश में कपास उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य उन्नत वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर तथा **एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS)** कपास सहित जलवायु-स्मार्ट, कीट-प्रतिरोधी और **उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित** करके कपास की उत्पादकता को बढ़ाना है।
    - **कृषि निर्यात नीति (2018)** में भारत की वैश्विक कृषि बाज़ारों में भूमिका को मज़बूत करने के लिये ELS कपास जैसी निर्यात-केंद्रित किस्मों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- यह कपास किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, **जो सरकार के 5F दृष्टिकोण- खेत से रेशा, रेशा से कारखाना, कारखाने से फैशन, फैशन से विदेश-** के साथ सुमेलित है, जो वस्त्र क्षेत्र के लिये है।
- यह फाइबर की गुणवत्ता में सुधार के लिये उन्नत प्रजनन तकनीकों और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करेगा।
    - **डिजिटल कृषि मिशन 2021-25 कृषि** में उभरती हुई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- यह किसानों को उन्नत तकनीक से लैस करेगा ताकि वे जलवायु और कीटों से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों।
    - **अशोक दलवाई समिति** ने जल संकट से निपटने के लिए जलवायु-लचीले तरीकों की सिफारिश की है।

निष्कर्ष:

यदि इसे तेज़ी और वैज्ञानिक दृढ़ता के साथ क्रियान्वित किया जाए, तो **कपास उत्पादकता मिशन** उपज बढ़ा सकता है, आयात पर निर्भरता कम कर सकता है, निर्यात को पुनर्जीवित कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है तथा कपास मूल्य शृंखला को हरित बना सकता है। इससे सीधे तौर पर **सतत् विकास लक्ष्य-2 (शून्य भूख एवं उत्पादकता), सतत् विकास लक्ष्य-8 (सम्मानजनक कार्य व आर्थिक विकास) एवं सतत् विकास लक्ष्य-9 (नवाचार)** को भी बढ़ावा मिलेगा।

जैव विविधता और पर्यावरण

प्रश्न : "यद्यपि भारत का नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण आवश्यक है, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है।" बड़े पैमाने पर सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं में पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक समझौतों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्त्वाकांक्षाओं के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।
- भारत के लिये नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता और इसकी सीमाओं पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक समझौतों पर प्रकाश डालिये।
- न्यायसंगत और सतत् ऊर्जा परिवर्तन के लिये उपायों का सुझाव दीजिये और उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत की नवीकरणीय क्षमता वर्ष 2024 में 200 गीगावाट से अधिक हो गई, इसलिये यह परिवर्तन उत्सर्जन को कम करने और वर्ष 2030 तक **500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समयोचित एवं आवश्यक** है।

- हालाँकि, यह **परिवर्तन अभी पर्याप्त नहीं** है, क्योंकि **बड़े पैमाने पर सौर और पवन परियोजनाएँ प्राय: जटिल पर्यावरणीय व सामाजिक-आर्थिक समझौते उत्पन्न करती हैं**, जिससे उनकी दीर्घकालिक संवहनीयता, समता एवं समावेशिता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन: आवश्यकता बनाम सीमाएँ

नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता	यह परिवर्तन अभी तक पर्याप्त क्यों नहीं है
जलवायु प्रतिबद्धताएँ: भारत **ग्रीनहाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्सर्जक** है। पेरिस समझौते और सतत् विकास लक्ष्य 13 के तहत राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों (NDC) को पूरा करने के लिये **जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना महत्त्वपूर्ण** है।	**पारिस्थितिक न्याय की अनदेखी: कई नवीकरणीय परियोजनाएँ निष्कर्षण मॉडल का पालन करती हैं,** जिससे **जैवविविधता को नुकसान** पहुँचता है और **पिछले पर्यावरणीय अन्यायों की पुनरावृत्ति** होती है।
ऊर्जा सुरक्षा: 85% कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता के साथ, नवीकरणीय ऊर्जा बाह्य भेद्यताओं को कम कर सकती है तथा आत्मनिर्भरता बढ़ा सकती है।	**सामाजिक-आर्थिक असमानता:** ग्रामीण गरीब, जनजातीय और महिलाएँ जैसे सीमांत समूह **प्रायः नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के लाभों से वंचित** रह जाते हैं।
बढ़ती ऊर्जा माँग: अगले दो दशकों में भारत 25% की दर से **ऊर्जा माँग वृद्धि में सबसे बड़ा हिस्सा** बनाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा इस वृद्धि को पूरा करने का एक स्थायी तरीका प्रदान करती है।	**अविकसित चक्रीय अर्थव्यवस्था:** सौर पैनलों और टरबाइन ब्लेडों के लिये **प्रभावी ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों का अभाव** दीर्घकालिक स्थिरता के लिये खतरा है।
वैश्विक और घरेलू नेतृत्व: ISA और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी पहल भारत की वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा स्थिति को बढ़ावा देती हैं।	**ग्रिड और स्टोरेज चुनौतियाँ: ग्रिड एकीकरण और भंडारण की कमी से ऊर्जा में कटौती** होती है, जिससे **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की दक्षता कम** हो जाती है। वर्तमान में, भारत को वर्ष 2032 तक **74GW/411GWh ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता** है।

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में पर्यावरणीय समझौते

- **भूमि उपयोग और आवास विखंडन:** सौर और पवन फार्मों के लिये **विशाल भूमि की आवश्यकता** होती है।
  - उदाहरण के लिये **कर्नाटक में पावगड़ा सौर पार्क 13,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विस्तृत** है। ऐसी परियोजनाएँ **प्रायः सार्वजनिक भूमि, वन भूमि या पारिस्थितिक रूप से सुभेद्य क्षेत्रों पर अतिक्रमण** करती हैं, जिससे **निर्वनीकरण होता है और जैवविविधता का नुकसान** होता है।
- **वन्यजीवों और पक्षियों पर प्रभाव: पवन टर्बाइनों को पक्षियों की उच्च मृत्यु दर से जोड़ा गया है,** जिनमें **राजस्थान और गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ** भी शामिल हैं।
  - **सौर फार्म मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं,** सतह के एल्बिडो को बदल सकते हैं तथा **स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को नुकसान** पहुँचा सकते हैं।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज निष्कर्षण का दबाव:** नवीकरणीय ऊर्जा **आपूर्ति श्रृंखला दुर्लभ मृदा धातुओं और महत्त्वपूर्ण खनिजों** (लिथियम, कोबाल्ट, निकल) **पर निर्भर** करती है, जिनके निष्कर्षण से महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षरण होता है तथा प्रायः मूल निवासियों के भूमि अधिकारों का उल्लंघन होता है, विशेषकर विकासशील देशों में।
- **सौर ऊर्जा का वाटर फूटप्रिंट:** हालाँकि सौर PV प्रणालियाँ संचालन के दौरान कम जल का उपयोग करती हैं, **सौर तापीय संयंत्रों को ठंडा करने और सफाई के लिये पर्याप्त जल की आवश्यकता** होती है, जिससे **राजस्थान जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों पर दबाव** पड़ सकता है।
- **जीवन-अंत निपटान और ई-अपशिष्ट:** अनुमान है कि वर्ष 2050 तक, भारत में 1.8 मिलियन टन सौर PV अपशिष्ट उत्पन्न होगा। एक **मज़बूत पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र के अभाव में,** यह एक **गंभीर पर्यावरणीय खतरा** उत्पन्न करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

बड़े पैमाने की परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक समझौते

- **भूमि अधिग्रहण और आजीविका विस्थापन:** परियोजनाएँ प्राय: लघु और सीमांत किसानों, पशुपालकों एवं वन-आश्रित **समुदायों को विस्थापित करती हैं।** गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, नवीकरणीय पार्कों के कारण मालधारी **पशुपालक समुदायों के साथ संघर्ष** हुआ है, जिससे **पारंपरिक चरागाह अधिकार प्रभावित हुए** हैं।
- **ऊर्जा सुलभता और केंद्रीकरण:** हालाँकि **बड़े पैमाने की परियोजनाएँ केंद्रीय ग्रिड में** ऊर्जा पहुँचाती हैं, लेकिन वे प्राय: ऊर्जा की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को दरकिनार कर देती हैं। यह केंद्रीकृत मॉडल उद्योग और शहरी केंद्रों को लाभान्वित करता है, लेकिन **विकेंद्रीकृत ऊर्जा सुलभता एवं स्थानीय विकास के लिये बहुत कम योगदान** देता है।
- **रोज़गार सृजन बनाम रोज़गार गुणवत्ता:** नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, हालाँकि रोज़गार सृजनकारी हैं, प्राय: अस्थायी, कम-कुशल निर्माण कार्य प्रदान करते हैं।
- सामुदायिक भागीदारी का अभाव: कई परियोजनाएँ **स्थानीय समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) के बिना क्रियान्वित** की जाती हैं, जिससे सामाजिक अशांति उत्पन्न होती है। **अपर्याप्त पारदर्शिता और मुआवज़ा तंत्र का अभाव असंतोष को बढ़ाता है।**

एक न्यायसंगत और सतत् ऊर्जा परिवर्तन की ओर

- **विकेंद्रीकृत नवीकरणीय मॉडलों को बढ़ावा:** स्थानीय लाभ सुनिश्चित करने और भूमि उपयोग संबंधी विवादों को कम करने के लिए ये ग्रामीण एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रूफटॉप सौर ऊर्जा, समुदाय-आधारित माइक्रोग्रिड व सौर-पवन हाइब्रिड परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **पर्यावरणीय विनियमन को सुदृढ़ करना:** बड़े पैमाने की परियोजनाओं, विशेष रूप से पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में, के लिये व्यापक पर्यावरणीय और वन्यजीव प्रभाव आकलन (EIA/WIA) को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- **समावेशी भूमि और आजीविका नीतियाँ सुनिश्चित करना:** निष्पक्ष भूमि अधिग्रहण प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिये, FPIC, समय पर मुआवज़ा और आजीविका बहाली सुनिश्चित किया जाना चाहिये। भूमि पट्टा मॉडल किसानों के लिये नियमित आय भी सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के लिये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था विकसित करना:** सौर PV पुनर्चक्रण के लिये दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिये और कम प्रभाव वाली प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ हरित खनिज आपूर्ति श्रृंखला ओं में निवेश किया जाना चाहिये।
- **ग्रिड और भंडारण अवसंरचना में सुधार:** रुकावटों को प्रबंधित करने और ऊर्जा कटौती को कम करने के लिये स्मार्ट ग्रिड, बैटरी भंडारण एवं पंप हाइड्रो में निवेश किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन कम कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसे केवल तकनीकी रूप से कुशल होने से आगे बढ़कर **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एवं सामाजिक रूप से समावेशी** बनने की आवश्यकता है। अंतत:, ***"संवहनीयता केवल स्वच्छ ऊर्जा की ओर स्थानांतरण करना ही नहीं है - बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के बारे में है कि उस ऊर्जा का लाभ सभी तक पहुँचे।"***

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्रश्न : चिकित्सा अनुप्रयोगों, विशेषकर दवा वितरण प्रणालियों में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका की जाँच कीजिये। इसके व्यापक उपयोग से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिम और नियामक चुनौतियाँ क्या हैं? (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- चिकित्सा में नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में उदाहरण सहित संक्षिप्त जानकारी देकर उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- चिकित्सा अनुप्रयोगों में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- संभावित स्वास्थ्य जोखिमों और विनियामक चुनौतियों पर गहन विचार कीजिये।
- चिकित्सा में नैनो प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग के लिये उपाय सुझाएँ
- उपर्युक्त निष्कर्ष निकालें

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

परिचय:

नैनो प्रौद्योगिकी, विशेषकर दवा वितरण प्रणाली में, तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तनकारी संभावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के लिये **नैनोकण-आधारित कोविड-19 टीके (जैसे फाइज़र-बायोएनटेक)** mRNA पहुँचाने के लिये लिपिड नैनोकणों का उपयोग करते हैं, जिससे टीकों की दक्षता और लक्ष्यीकरण में काफी सुधार होता है।

चिकित्सा अनुप्रयोगों में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **लक्षित दवा वितरण:** नैनोकणों के माध्यम से दवाओं को सीधे प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे प्रणालीगत दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं।
  - उदाहरण के लिये **डोक्सिल, जो कि कीमोथेरेपी दवा** डोक्सोरूबिसिन का एक लिपोसोमल फार्मूलेशन है, कैंसर कोशिकाओं को अधिक कुशलता से लक्षित करता है तथा स्वस्थ कोशिकाओं को होने वाली हानि को न्यूनतम करता है।
- **उन्नत जैवउपलब्धता:** नैनोकण अवशोषण और वितरण में सुधार करके खराब घुलनशील दवाओं की जैवउपलब्धता बढ़ाते हैं।
  - इसका एक उदाहरण **पैक्लिटैक्सेल** जैसी दवाओं के **नैनोक्रिस्टल फॉर्मूलेशन** हैं जो कैंसर उपचार की प्रभावकारिता में सुधार करते हैं।
- **नियंत्रित एवं सतत् विमोचन:** नैनो प्रौद्योगिकी दवाओं को समय के साथ विमोचित करने में सक्षम बनाती है, जिससे निरंतर चिकित्सीय स्तर सुनिश्चित होता है।
  - **चुंबकीय नैनोकणों** का उपयोग ट्यूमर को लक्षित करने और नियंत्रित तरीके से दवा जारी करने के लिये किया जा सकता है, जिससे कैंसर के उपचार में सुधार होगा और बार-बार दवा देने की आवश्यकता कम होगी।
- **जीन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी:** जीन थेरेपी के लिये कोशिकाओं तक आनुवंशिक सामग्री पहुँचाने के लिये नैनोकणों का उपयोग किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, नैनोकणों का उपयोग टीकों में **सहायक के रूप में किया जा** रहा है, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बढ़ती है। उदाहरण के लिये, **नैनोकण-आधारित HIV टीके** प्रतिरक्षा में सुधार करने में आशाजनक साबित होते हैं।
- **निदान और इमेजिंग:** नैनोमटेरियल इमेजिंग को बढ़ाकर निदान तकनीकों में सुधार करते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों के लिये परीक्षणों के रिज़ॉल्यूशन और संवेदनशीलता को बढ़ाने हेतु **सीटी स्कैन** और **MRI** जैसी इमेजिंग तकनीकों में **सोने के नैनोकणों** का उपयोग किया जा रहा है।

संभावित स्वास्थ्य जोखिम

- **विषाक्तता:** अपने छोटे आकार और उच्च सतह क्षेत्र के कारण, नैनोकण विषाक्त प्रभाव दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिये, **चांदी के नैनोकण शरीर** में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन उत्पन्न कर सकते हैं।
- **अनपेक्षित वितरण: नैनोकण यकृत, गुर्दे और तिल्ली** जैसे अंगों में जमा हो सकते हैं, जिससे समय के साथ अंगों को नुकसान या शिथिलता हो सकती है। यदि नैनोकणों को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है, तो यह संचय अप्रत्याशित परिणाम भी उत्पन्न कर सकता है।
- **प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रियण:** नैनोकण प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे सूजन या एलर्जी हो सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **कार्बन नैनोट्यूब** को सांस के माध्यम से अंदर लेने पर फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं से जोड़ा गया है, जिससे सांस के माध्यम से उपचार में उनके उपयोग को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **अज्ञात दीर्घकालिक प्रभाव:** शरीर के भीतर नैनोकणों के दीर्घकालिक प्रभाव पूरी तरह से समझ में नहीं आये हैं।
  - जैविक प्रणालियों के साथ निरंतर संचय या अंत:क्रिया से दीर्घकालिक रोग या अन्य अप्रत्याशित स्वास्थ्य जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** यदि नैनो कण पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश कर जाएँ तो वे पर्यावरणीय जोखिम भी उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे पौधों, पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर संभावित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

विनियामक चुनौतियाँ:

- **स्पष्ट विनियमनों का अभाव:** वर्तमान चिकित्सा विनियमन पारंपरिक दवाओं और उपकरणों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं तथा यह **नैनोमटेरियल के अद्वितीय गुणों** को ध्यान में रखकर तैयार नहीं किये गए हैं।
    - उदाहरण के लिये, विषाक्तता के परीक्षण के मौजूदा मानक आणविक स्तर पर नैनोकणों के व्यवहार को ध्यान में नहीं रख सकते हैं।
- **सुरक्षा और विषाक्तता परीक्षण:** पारंपरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल नैनोमटेरियल के जोखिमों को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाते हैं।
    - जैविक प्रणालियों में नैनोकणों के विशिष्ट व्यवहार को ध्यान में रखते हुए नए परीक्षण प्रोटोकॉल विकसित किये जाने चाहिये, ताकि नैदानिक उपयोग के लिये उन्हें अनुमोदित करने से पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- **असंगत वैश्विक मानक:** नैनोमेडिसिन को विनियमित करने के लिये विभिन्न देशों के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं।
    - इससे नैनोटेक्नोलॉजी आधारित उपचारों की वैश्विक स्वीकृति और मानकीकरण के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। असंगत नियमन इन उपचारों को व्यापक रूप से अपनाने में भी देरी कर सकते हैं।
- **नैतिक विचार:** नैनो प्रौद्योगिकी नैतिक चिंताओं को जन्म (विशेष रूप से आणविक स्तर पर मानव जीव विज्ञान को बदलने की इसकी क्षमता के संबंध में) देती है।
    - **सूचित सहमति, गोपनीयता और दुरुपयोग की संभावना (जैसे, जीन थेरेपी में)** जैसे मुद्दों को व्यापक रूप से अपनाने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

चिकित्सा में नैनो प्रौद्योगिकी के ज़िम्मेदार उपयोग के लिये उपाय:

- **कठोर सुरक्षा परीक्षण:**
    - **इन विवो और इन विट्रो परीक्षण:** नैनोमटेरियल की विषाक्तता और दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिये विशेष प्रोटोकॉल विकसित करना और उन्हें लागू करना है।
        - यह सुनिश्चित करना कि नैनोकणों का मानव ऊतकों और जैविक प्रणालियों के साथ उनकी अंत:क्रिया का अनुकरण करने के लिये **उन्नत परीक्षण मॉडलों का उपयोग करते हुए गहन** सुरक्षा मूल्यांकन किया जाए।
    - **नैनोटॉक्सिकोलॉजी अनुसंधान:** जैविक वातावरण में नैनोमटेरियल के व्यवहार को समझने, अंगों में किसी भी संभावित हानिकारक अंत:क्रिया या संचय की पहचान करने पर केंद्रित अनुसंधान में निवेश करना।
- **मानकीकृत विनियामक ढाँचे**
    - **स्पष्ट, एकीकृत वैश्विक विनियम:** सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों (**जैसे, WHO, FDA, EMA**) को चिकित्सा में नैनो प्रौद्योगिकी के लिये विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए स्पष्ट और मानकीकृत विनियम विकसित करने की आवश्यकता है।
        - इसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल, अनुमोदन प्रक्रिया तथा किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी के लिये बाज़ार में आने के बाद की निगरानी शामिल है।
    - **अनुकूल विनियामक मार्ग:** नियामकों को नैनो प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये अनुकूल और अनुकूली ढाँचे को अपनाना चाहिये।
        - इसमें **अच्छी तरह से अध्ययन किये गए नैनोकणों के लिये तेजी से अनुमोदन प्रक्रिया** और बाज़ार में आने के बाद उनकी निरंतर निगरानी शामिल हो सकती है।
- **नैतिक निरीक्षण**
    - **नैतिक समीक्षा बोर्ड:** नैनोमेडिसिन अनुप्रयोगों को उनके निहितार्थों का आकलन करने के लिये नैतिक समीक्षा से गुजरना चाहिये, विशेष रूप से जीन थेरेपी जैसे क्षेत्रों में, जहां जैविक परिवर्तन शामिल हैं।
        - इन समीक्षाओं से यह सुनिश्चित होना चाहिये, कि संभावित **उपचारों में रोगी के अधिकारों और स्वायत्तता** का सम्मान किया जाए।
    - **सूचित सहमति:** मरीजों को नैनो-प्रौद्योगिकी आधारित उपचारों के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिये, विशेष रूप से नैनोकणों के उपयोग के संबंध में, जिनके दीर्घकालिक प्रभाव अज्ञात हो सकते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना:**
  - **सतत् उत्पादन:** पारिस्थितिक प्रभावों को कम करने के लिये नैनोकणों और अन्य नैनो सामग्रियों के उत्पादन में पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये।
    - इसमें **जब भी संभव हो, बायोडिग्रेडेबल या गैर विषैले पदार्थों** का उपयोग करना शामिल है।
  - **अपशिष्ट निपटान विनियम:** नैनो सामग्रियों के लिये उचित निपटान विधियाँ स्थापित करना साथ ही यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये नैनोकणों वाले किसी भी अपशिष्ट को सावधानीपूर्वक संभाला जाए।
- **जन जागरूकता और शिक्षा**
  - **जनता को शामिल करना:** सरकारों, विनियामक निकायों और शोध संस्थानों को नैनो प्रौद्योगिकी के लाभों और जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए जनता के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिये। यह पारदर्शिता विश्वास को कायम रखने में मदद करती है तथा रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करती है।
  - **शैक्षिक कार्यक्रम: नैनोमेडिसिन** के सुरक्षित और ज़िम्मेदार उपयोग में भावी स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिये चिकित्सा और वैज्ञानिक पाठ्यक्रम में नैनो प्रौद्योगिकी को शामिल करना।

निष्कर्ष:

नैनोप्रौद्योगिकी चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की अपार संभावनाएँ रखती है, विशेष रूप से दवा वितरण, नैदानिक प्रक्रियाओं, और इम्यूनोथेरेपी के क्षेत्र में। हालाँकि, इसके व्यापक उपयोग में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम और नियामक चुनौतियाँ प्रमुख बाधाएँ हैं। इन चुनौतियों का समाधान एक सतर्क और संतुलित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये, जिसमें 3N शामिल हैं: नवाचार को पोषित करना (Nurturing Innovation), सुरक्षा की दिशा में मार्गदर्शन (Navigating Safety) और विनियमन को समझदारी से संभालना (Navigating Regulations)।

प्रश्न : एक्सिओम मिशन में भारत की भागीदारी वैश्विक मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग की दिशा में एक परिवर्तन का प्रतीक है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- एक्सिओम-4 मिशन का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिये इसके महत्त्व और निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताते हुये हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

25 जून, 2025 को प्रक्षेपित **एक्सिओम-4 मिशन, चार दशकों** से भी अधिक समय के बाद **मानवयुक्त अंतरिक्ष यान में** भारत की आधिकारिक वापसी का प्रतिनिधित्व करता है। **स्पेसएक्स, नासा, ESA और इसरो** के साथ साझेदारी में **एक्सिओम स्पेस द्वारा आयोजित** इस मिशन में एक **विविध अंतर्राष्ट्रीय दल** शामिल था, जिसमें **भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला** मिशन पायलट के रूप में कार्यरत थे।

मुख्य भाग:

महत्त्व और वैश्विक सहयोग की ओर बदलाव:

- **चार दशकों बाद अंतरिक्ष में वापसी:** शुभांशु शुक्ला की यह अंतरिक्ष यात्रा भारत के पहले और एकमात्र अंतरिक्ष यात्री **राकेश शर्मा** (1984) की उड़ान के **41 वर्षों बाद** हुई है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान समुदाय में **वापसी को चिह्नित** करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक साझेदारियों को अपनाना: निजी तौर पर संगठित, बहुराष्ट्रीय मिशन** में भारत की भागीदारी **द्विपक्षीय, सरकार-से-सरकार मिशनों** से **वैश्विक रूप से एकीकृत, वाणिज्यिक** रूप से संचालित सहयोग की ओर संक्रमण का संकेत प्रदान करती है।
- **वैश्विक मंचों के माध्यम से सीखना:** शुक्ला ने **रूस के गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर** और **नासा/इसरो** के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा **स्पेसएक्स ड्रैगन** और **आईएसएस** पर **व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया, जो पाँच प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों** के तत्वावधान में संचालित होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिये महत्त्वपूर्ण निहितार्थ

- **प्रत्यक्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान अनुभव:** भारतीय टीमों ने उच्चतम स्तर पर **प्रक्षेपण-पूर्व, कक्षा में और ज़मीनी परिचालनों में भाग लिया तथा अंतर्राष्ट्रीय चालक दल प्रथाओं, कक्षीय आपातकालीन प्रबंधन** और **जैव-चिकित्सा निगरानी का ज्ञान प्राप्त किया,** जो **भविष्य के मिशनों** के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **गगनयान से पहले महत्त्वपूर्ण सीख: एक्ज़िऑम-4 से प्राप्त सबक** भारत के आगामी **गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान (मानव रहित प्रक्षेपण लक्ष्य: दिसंबर 2025; मानव सहित प्रक्षेपण: 2026-27)** के लिये चालक **दल के प्रशिक्षण, मिशन योजना, अंतरिक्ष यात्री चिकित्सा प्रोटोकॉल और संचार प्रक्रियाओं** को सूचित कर रहे हैं।
- **प्रौद्योगिकी साझाकरण:** इस मिशन में **स्वदेशी रूप** से विकसित प्रयोग किटों (IIT, IISC, DBT द्वारा) का उपयोग किया गया, जिसमें **भारतीय जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और सामग्री प्रौद्योगिकी का वास्तविक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण** में परीक्षण किया गया, जो भारतीय टीमों के लिये अभूतपूर्व था।
    - प्रयोगों में **सूक्ष्म शैवाल** (दीर्घ अवधि के मिशनों के लिये संभावित सतत् भोजन) **की वृद्धि, प्रोटीन क्रिस्टलीकरण** और **मांसपेशी कोशिका अनुसंधान** का अध्ययन शामिल था, जिससे गगनयान और अंतरिक्ष स्टेशन योजना को प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ।
- **अंतरिक्ष स्टार्टअप्स का विकास:** भारत की **अंतरिक्ष नीति सुधारों** और ऐसे ऐतिहासिक मिशनों के कारण वर्ष 2025 तक अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या **328 से ज़्यादा** हो जाएगी। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र का **बजट लगभग तीन गुना बढ़कर 2025-26 तक ₹13,416** करोड़ हो गया है।
    - **उदारीकृत FDI मानदंड (कई अंतरिक्ष गतिविधियों में** 100% तक), साथ ही **IN-SPACe** और **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड** जैसे प्लेटफॉर्म, **विदेशी निवेश** को आकर्षित कर रहे हैं तथा **घरेलू उद्यमिता** को बढ़ावा दे रहे हैं।
- **विश्वसनीय साझेदार के रूप में पहचान:** अंतर्राष्ट्रीय दल में भागीदारी और प्रमुख अंतरिक्ष राष्ट्रों के साथ सहयोग, भारत को एक **समान, सक्षम और भरोसेमंद साझेदार** के रूप में प्रस्तुत करता है। यह **संयुक्त अभियानों, साझा अनुसंधान** और भविष्य में **अंतरिक्ष स्टेशन सहयोग** के लिये विश्वास को मज़बूत करता है।

निष्कर्ष:

एक्ज़िऑम-4 मिशन में भारत की भागीदारी, भारत को न केवल एक भागीदार के रूप में, बल्कि **वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण** में एक सह-नेता के रूप में भी स्थापित करती है। **यह वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन** के निर्माण के भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की नींव भी रखता है, जो एक **आत्मनिर्भर** और **सहयोगात्मक अंतरिक्ष भविष्य** की ओर भारत के निरंतर बढ़ते कदम को दर्शाता है।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : "भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति समय के साथ आतंकवाद के बदलते स्वरुप के जवाब में विकसित हुई है"। भारत की वर्तमान आतंकवाद विरोधी रणनीति के प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिये तथा सीमा पार आतंकवाद को रोकने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति के बारे में जानकारी देकर उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत की वर्तमान आतंकवाद-रोधी रणनीति के प्रमुख विकासशील घटकों पर गहन विचार कीजिये
- सीमा पार आतंकवाद को रोकने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये
- एक उद्धरण के साथ निष्कर्ष लिखिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति वैश्विक और क्षेत्रीय आतंकवाद की बदलती गतिशीलता के जवाब में (विशेष रूप से **पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद** के संदर्भ में) विकसित हुई है।

- भारत की विकसित होती रणनीति का एक हालिया उदाहरण **पहलगाम आतंकवादी हमले** के प्रतिशोध में मई 2025 में शुरू किया गया **ऑपरेशन सिंदूर** था।

मुख्य भाग:

भारत की वर्तमान आतंकवाद-रोधी रणनीति के प्रमुख घटक:

- **अवरोधन की रणनीति में परिवर्तन (नकारात्मक प्रतिक्रिया से दंडात्मक प्रतिक्रिया की ओर):** भारत ने सीमा पार आतंकवाद के प्रति अपने दृष्टिकोण को अधिक सक्रिय और सैन्य रूप में परिवर्तित किया है, जैसा कि **ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक (2016)** जैसे प्रतिशोधात्मक उपायों में देखा गया।
  - यह रणनीति यह संकेत देती है कि आतंकवादी कार्रवाइयों को अब युद्ध के कार्यों के रूप में लिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य स्तर पर उसका उत्तर दिया जाएगा।
    - इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को बाधित करना और यह संदेश देना है कि भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले शत्रु देशों को **असमान और गंभीर क्षति** पहुँचाएगा।
- **बढ़ी हुई खुफिया और निगरानी क्षमताएँ:** भारत ने **एनआईए (NIA), रॉ (RAW), और आईबी (IB)** जैसी एजेंसियों के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने खुफिया तंत्र को मज़बूत किया है।
  - **नैटग्रिड (NatGrid)** उन्नत डेटा विश्लेषण का उपयोग करके आतंकवाद के वित्तपोषण और नेटवर्क को पहचानने और बाधित करने में मदद करता है।
- **विधायी ढाँचा विकसित करना: यूएपीए (UAPA) और एनएसए (NSA)** जैसे कानूनों में किये गए संशोधन रोकथाम, संपत्ति जब्ती और आतंकी संगठनों को नामित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
- **राष्ट्रीय स्तर की आतंकवाद-रोधी एजेंसियाँ: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)** और **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)** अब आतंकवाद-रोधी अभियानों, उच्च जोखिम वाले खतरों के प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
  - राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ उनका समन्वय आतंकवाद के प्रति एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
  - **NIA ने हाल ही में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए इसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहियाँ** भी शामिल की हैं, जिससे सीमा पार आतंकवाद से निपटने में भारत की क्षमता में सुधार हुआ है।
- **बढ़ी हुई सीमा सुरक्षा:** भारत ने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में संवेदनशील सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन, और यूएवी (UAVs) में निवेश किया है। ये उपाय सीमा पार घुसपैठ की घटनाओं को कम करते हैं और स्थितिगत जागरूकता को बढ़ाते हैं।
- **प्रतिगामी सोच के विरुद्ध अभियान और सामुदायिक सहभागिता:** भारत की कट्टरपंथ विरोधी पहल, वैचारिक उग्रवाद और स्थानीय शिकायतों सहित आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने पर केंद्रित है।
  - **समुदायों के साथ सहभागिता,** विशेषकर कश्मीर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में, युवाओं को आतंकवादी समूहों में शामिल होने से रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - **उदाहरण: जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना** का उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों और विकास परियोजनाओं के माध्यम से स्थानीय आबादी का **"दिल और दिमाग"** जीतना है।
- **कूटनीतिक और आर्थिक लाभ: आर्थिक प्रतिबंधों** और **समझौतों को रद्द करने** सहित भारत के कूटनीतिक उपायों का लक्ष्य आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश, विशेष रूप से पाकिस्तान हैं।
  - हाल में, भारत ने **सिंधु जल संधि (IWT)** को निलंबित किया, जो यह दर्शाता है कि भारत अब **राजनयिक साधनों का रणनीतिक उपयोग** करके आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सीमा पार आतंकवाद पर अंकुश लगाने में प्रभावशीलता का मूल्यांकन:

- **सफलता**
  - **सर्जिकल स्ट्राइक** और **बालाकोट हवाई हमलों** जैसी भारत की **त्वरित प्रतिक्रियाओं** ने जवाबी कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया है, जिससे आतंकवादी नेटवर्क ध्वस्त हो गए हैं तथा भविष्य में होने वाले हमलों पर रोक लगाई गई है।
  - NIA और RAW जैसी एजेंसियों के माध्यम से **खुफिया जानकारी साझा करने** से भारत भर में सक्रिय कई आतंकवादी समूहों को सफलतापूर्वक नष्ट करने में मदद मिली है।
  - भारत की रक्षा क्षमताएँ **बुनियादी जमीनी बलों से लेकर S-400 जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों** तक विकसित हो चुकी हैं।
    - इससे भारत की हवाई खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ गई है, जिसमें ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करने वाले आतंकवादी संगठनों द्वारा उत्पन्न खतरे भी शामिल हैं।
- **चुनौतियाँ**
  - भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के बावजूद, पाकिस्तान अपनी सेना और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखे हुए है।
    - **लगातार कूटनीतिक दबाव** के अभाव के कारण कभी-कभी पाकिस्तान को गंभीर परिणामों से बचने का मौका मिल जाता है।
  - **पुलवामा हमले (2019)** जैसे आतंकवादी हमले दर्शाते हैं कि दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद सीमापार आतंकवाद एक सतत् खतरा बना हुआ है।
  - **स्थानीय कट्टरपंथ** और **साइबर आतंकवाद** लगातार बढ़ते खतरे उत्पन्न कर रहे हैं, जिनका मुकाबला केवल पारंपरिक सैन्य उपायों से करना कठिन है।

निष्कर्ष:

*भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो अब **आक्रामक प्रतिरक्षा और रक्षात्मक आक्रमण** के संतुलन पर आधारित है, जिसे **डोभाल सिद्धांत** में समाहित किया गया है। भविष्य की रणनीति को **"समूची सरकार के दृष्टिकोण"** पर केंद्रित होना चाहिये, जिसमें सभी सरकारी विभाग, एजेंसियाँ और स्तर समन्वित रूप से कार्य करें। साथ ही, रणनीति को निरंतर परिवर्तनशील और अनुकूलनशील बनाए रखना आवश्यक है ताकि पारंपरिक आतंकवाद हो या साइबर युद्ध जैसे आधुनिक खतरे—हर प्रकार के आतंक को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है, **"यह युद्ध का युग नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं है।"** यह संदेश भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह हर स्वरूप में आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेगा।*

प्रश्न : "स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है"। भारत के उभरते सुरक्षा परिदृश्य के संदर्भ में इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के महत्त्व को रेखांकित करते हुए किसी हालिया घटना का उल्लेख कीजिये।
- स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के पक्ष में तर्क देते हुए भारत की सामरिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त करने में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिये तथा इससे जुड़े प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिये।
- स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त करने हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

हाल ही में हुए **पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में** चलाया गया **'ऑपरेशन सिंदूर' भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता के महत्त्व** को रेखांकित करता है। इस दौरान स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक प्लेटफॉर्म **LCH प्रचण्ड** की तैनाती ने यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार **स्वदेशी रक्षा तकनीक संकट की घड़ी में भारत की परिचालन स्वायत्तता** को मज़बूत बनाती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मुख्य भाग:

स्वदेशी रक्षा तकनीक: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त करने में भूमिका

- **विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता में कमी:** स्वदेशी रक्षा तकनीक भारत को महत्त्वपूर्ण सैन्य उपकरणों के लिये विदेशों पर निर्भरता कम करने में सक्षम बनाती है।
  - यह एक उभरते सुरक्षा परिदृश्य में आवश्यक है जहाँ भू-राजनीतिक तनाव आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं, जैसा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा गया था, जिससे आयुध प्रणालियों की आपूर्ति प्रभावित हुई।
  - उदाहरण के लिये **तेजस लड़ाकू विमान** और **ATAGS तोप प्रणाली** यह सुनिश्चित करते हैं कि **भारत संकट के समय रणनीतिक संसाधनों के लिये विदेशी देशों पर निर्भर न रहे।**
  - '**SPRINT**' योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों द्वारा विशिष्ट रक्षा तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना है।
- **संकट के दौरान परिचालन निरंतरता:** पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध जैसी उच्च-दाँव वाली स्थितियों में, रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता उसे आयातित आपूर्ति की प्रतीक्षा किये बिना या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण विलंब का सामना किये बिना सैन्य अभियान जारी रखने में सक्षम बनाती है।
  - **स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे: INS विक्रांत** (विमानवाहक पोत) और **आकाश मिसाइल सिस्टम** भारत को तेज़ी से एवं स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मज़बूत होती है।
- **उन्नत तकनीकी क्षमता और नवाचार:** स्वदेशी रक्षा नवाचार भारत को AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और मानवरहित प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने में सहायता करता है।
  - भारत की **iDEX पहल ने अनुसंधान एवं विकास में योगदान देने वाले 619 स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया** है, जिससे भारत को उपभोक्ता के बजाय एक तकनीकी महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिली है।
  - साथ ही, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा विकसित SRIJAN पोर्टल का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में **'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा** देना है।
- **वैश्विक रक्षा कूटनीति को सुदृढ़ करना:** स्वदेशी रक्षा तकनीकों को विकसित करके, **भारत वैश्विक क्षेत्र में एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक** के रूप में उभर रहा है।
  - BrahMos मिसाइल और **तेजस** जैसे रक्षा उपकरण रक्षा कूटनीति में भारत के प्रभाव को बढ़ाते हैं तथा **अमेरिका, फ्राँस एवं दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों के साथ उसके संबंधों को मज़बूत करते हैं।**
  - रक्षा निर्यात का यह विस्तार न केवल **भारत की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करता है,** बल्कि इसकी **सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाता है,** जो तेज़ी से **बहुध्रुवीय होते विश्व के लिये महत्त्वपूर्ण** है।
- **आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा:** स्वदेशी रक्षा उत्पादन आर्थिक विकास में, विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में, महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - **उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भारत के रक्षा गलियारे** रोज़गार सृजन एवं एयरोस्पेस, धातु विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में **नवाचार को बढ़ावा देने में सहायता** कर रहे हैं।

स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ी समस्याएँ और समाधान:

- **तकनीकी अंतराल:** उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, भारत को एयरो-इंजन, सेमीकंडक्टर और उन्नत रडार प्रणालियों जैसी **महत्त्वपूर्ण तकनीकों के विकास में चुनौतियों का सामना** करना पड़ रहा है।
  - यह **भारत के पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में बाधा** डालता है, क्योंकि लड़ाकू जेट इंजन जैसे **रणनीतिक प्लेटफॉर्म अभी भी विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त** किये जा रहे हैं।
- **निजी क्षेत्र की न्यून भागीदारी:** हालाँकि सरकार ने निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी पर ज़ोर दिया है, लेकिन **निजी कंपनियाँ कुल रक्षा उत्पादन में केवल 21% का योगदान देती हैं,** जिससे **नवाचार, प्रतिस्पर्द्धा और उन्नत प्रौद्योगिकी निर्माण का विस्तार सीमित** हो रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास में अपर्याप्त निवेश:** कुछ **प्रगति के बावजूद,** रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किये जाने वाले **सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वैश्विक मानकों से कम** बना हुआ है।
    - यह **अपर्याप्त वित्त पोषण** भारत की अगली पीढ़ी की **सैन्य तकनीकों को विकसित करने की क्षमता को सीमित करता है।**
- **निर्यात बाज़ार में प्रभाव:** भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन जैसे स्थापित देशों से प्रतिस्पर्द्धा के कारण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रभावी होने में अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत के रक्षा क्षेत्र की विकास क्षमता सीमित हो रही है।

स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय:

- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास निवेश को मज़बूत करना:** भारत को रक्षा क्षेत्र में अपने अनुसंधान एवं विकास खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है, जिसका लक्ष्य कुल रक्षा बजट का कम से कम 3-5% होना चाहिये।
    - DRDO, निजी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ, **कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हाइपरसोनिक्स एवं निर्देशित ऊर्जा हथियारों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान** केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- **निजी क्षेत्र और MSME की भागीदारी बढ़ाना:** स्वदेशी उत्पादन की पूरी क्षमता का सदुपयोग करने के लिये, भारत को निजी फर्मों और MSME के तीव्र प्रवेश के लिये खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिये।
    - **द्रुत अनुमोदन, प्रोत्साहन और परीक्षण एवं प्रमाणन तक आसान अभिगम** प्रदान करने से एक अधिक **प्रतिस्पर्द्धी, नवोन्मेषी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता** मिलेगी।
- **रक्षा खरीद प्रणाली में सुधार:** तेज़ खरीद समयसीमा और सरल अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिये **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) में सुधार** किया जाना चाहिये।
    - एकल-खिड़की मंज़ूरी प्रणाली, **निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी** ला सकती है, जिससे **महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का समय पर समावेश** सुनिश्चित हो सकता है।
- **रक्षा निर्यात रणनीति का विस्तार:** भारत को **अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका** जैसे नए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करके अपने **रक्षा निर्यात बाज़ारों में विविधता लाने पर ध्यान** केंद्रित करना चाहिये।
    - राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने और रक्षा प्रदर्शनियों में भाग लेने से वैश्विक बाज़ारों तक अभिगम आसान होगा, जिससे भारत को **वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात में ₹50,000 करोड़ के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता** मिलेगी।
- **परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना में वृद्धि:** स्वदेशी उत्पादन में तेज़ी लाने के लिये भारत को अपनी परीक्षण सुविधाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना चाहिये, विशेष रूप से **UAV, AI-संचालित प्रणालियों एवं मिसाइल प्रौद्योगिकियों** जैसे अत्याधुनिक प्लेटफॉर्मों के लिये।
    - रक्षा गलियारों में कुशल दोहरे उपयोग वाली परीक्षण अवसंरचना बनाने के लिये **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का लाभ** उठाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत का **स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी पर ज़ोर,** अस्थिर वैश्विक परिवेश में अपनी **राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण** है।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि ***"वास्तविक सुरक्षा दूसरों पर निर्भरता में नहीं, बल्कि अपने भीतर विकसित की गई शक्ति में निहित है।"***

यह **आत्मनिर्भरता** रक्षा और वैश्विक प्रभाव, दोनों ही क्षेत्रों में **भारत के भविष्य की आधारशिला** है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : "चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए, भारत को अपने आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यढाँचे में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को तत्काल सम्मिलित करने की आवश्यकता है।" हाल की घटनाओं और नीतिगत प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत भारत की जलवायु प्रेरित आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता का संक्षिप्त परिचय देते हुए कीजिये।
- जलवायु अनुकूलन को DRM में एकीकृत करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालिये।
- हाल की नीतिगत उपायों और उनकी कमजोरियों में गहन विश्लेषण कीजिये।
- आपदा जोखिम प्रबंधन ढाँचे में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करने हेतु सुझाव दीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है, प्रतिवर्ष (IMD, 2023) **300 से अधिक चरम मौसम घटनाओं** का सामना करता है। **चक्रवातों, बाढ़ों, सूखे और हीटवेव की तीव्रता** में हो रही **वृद्धि भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली पर अत्यधिक दबाव** डाल रही है।

- इस संदर्भ में **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) को आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM)** में एकीकृत करना अब वैकल्पिक नहीं रह गया है, बल्कि लचीलेपन और सतत् विकास के लिये एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गया है।

जलवायु अनुकूलन को DRM में एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता:

- **जलवायु-प्रेरित आपदाओं में वृद्धि: चक्रवात मोखा (2023)** और **हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड** तोड़ बारिश (2023) के कारण बड़े पैमाने पर मानवीय और आर्थिक क्षति हुई।
  - भारत ने वर्ष **2023 में 365 में से 314 दिनों** पर चरम मौसम की घटनाओं का सामना किया (CSE रिपोर्ट), जो दर्शाता है कि **जलवायु जोखिम आकस्मिक नहीं, बल्कि प्रणालीगत** हैं।
- **शहरी कमजोरियाँ: चेन्नई बाढ़ (2021)** और **बेंगलुरु बाढ़** (2022) ने खराब नियोजन, **आर्द्रभूमियों पर अतिक्रमण** तथा **पुरानी जल निकासी प्रणाली** की गंभीर खामियों को उजागर किया।
- **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता: केदारनाथ बाढ़ (2013)** और **चमोली आपदा (2021)** और हाल ही में **जोशीमठ भूमि धँसने** जैसी घटनाएँ, तापमान वृद्धि तथा विकास के कारण ग्लेशियर के पीछे हटने और भूस्खलन के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं।
- **सूखा और जल संकट: अव्यवस्थित मानसून** और **हीटवेव** (लू) ने **कृषि संकट** को बढ़ा दिया है। **नीति आयोग** के अनुसार, **वर्ष 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या को पीने के पानी की कमी** का सामना करना पड़ सकता है।
- **बढ़ती वनाग्नि:** वन सर्वेक्षण रिकॉर्ड के अनुसार, भारत के **54.40% वन क्षेत्र** कभी-कभी **वनाग्नि** की चपेट में आते हैं। **उत्तराखंड** ने वर्ष **2022-23 में 5,351 वनाग्नि की घटनाएँ** दर्ज कीं (ISFR) गई, जिससे **जैव विविधता** और **कार्बन सिंक** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

हालिया नीतिगत प्रतिक्रियाएँ और अंतराल:

- **सकारात्मक पहल:**
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2019 अद्यतन)** में जलवायु जोखिम शामिल है।
  - **पीएम गति शक्ति, स्मार्ट सिटी मिशन** और **नमामि गंगे** जैसे कार्यक्रम जलवायु लचीलेपन को एकीकृत करते हैं।
    - सूरत और पुणे जैसे शहरों ने **बाढ़ पूर्वानुमान** और आपदा से पूर्व प्रतिक्रिया के लिये एकीकृत कमांड सेंटर लागू किये हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है,** इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों की लचीलापन को बढ़ावा देना है।
  - परिवहन, ऊर्जा और संचार अवसंरचना में जलवायु अनुकूलन को मुख्यधारा में लाने में सहायता करता है।
- **समस्याएँ बनी हुई हैं:**
  - राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (NDRMF) का केवल 20% हिस्सा आपदा रोकथाम (Mitigation) में जाता है, जबकि 80% भाग आपदा प्रतिक्रिया(Response) पर केंद्रित है।
  - खंडित संस्थागत समन्वय और जलवायु अनुकूलन के लिये सीमित बजटीय प्रावधान।
  - कमज़ोर **प्रारंभिक चेतावनी प्रसार और वास्तविक समय जलवायु-भेद्यता मानचित्रण** का अभाव।
  - हिमालय जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में अभी भी **अनिवार्य जोखिम-संवेदनशील भूमि उपयोग योजना** का अभाव है।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को आपदा जोखिम प्रबंधन ढाँचे में एकीकृत करना:

- **जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण:** संवेदनशील क्षेत्रों में चक्रवात और बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण करके संरचनात्मक लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना।
  - उदाहरण के लिये ओडिशा के **बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों** और **ऊँचें आवासों** पर बने चरम घटनाओं के दौरान हताहतों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से कम किया है।
  - शहरी क्षेत्रों में **जलवायु सहनशील जल निकासी प्रणाली** लागू की जाए, जैसी कि **सूरत की वास्तविक समय बाढ़ निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली** है।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुदृढ़ बनाना: कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) का विस्तार और स्थानीयकरण** किया जाए, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं और समुदाय-विशेष चेतावनियों को शामिल किया जाए, ताकि लास्ट-माइल कम्युनिकेशन प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
  - **सूक्ष्म-स्तरीय संवेदनशीलता मानचित्रण, आपदा पूर्वानुमान** और **निकासी योजना** के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** तथा **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** का उपयोग किया जाए।
  - ISRO (उपग्रह आधारित निगरानी हेतु) और IMD (**उच्च-रिज़ॉल्यूशन मौसम पूर्वानुमान के लिये**) जैसी संस्थाओं की भूमिका को अधिकतम किया जाए, ताकि **वास्तविक समय में उपयोगी और क्रियाशील चेतावनियाँ** प्रसारित की जा सकें।
- **प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) को बढ़ावा देना:** बाढ़, चक्रवात और सूखे के प्रभाव को कम करने वाले **मैंग्रोव, आर्द्रभूमि** तथा **वनों** जैसे **पारिस्थितिक सुरक्षा कवचों** का **संरक्षण एवं पुनर्स्थापन** किया जाए। **सुंदरबन क्षेत्र** तूफानों से होने वाली समुद्री लहरों (स्टॉर्म सर्ज) के खिलाफ **मैंग्रोव-आधारित संरक्षण** का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करता है।
  - **नमामि गंगे, आर्द्रभूमि पुनरुद्धार** और **नदी बेसिन नियोजन को** एकीकृत दृष्टिकोण से जोड़कर शहरी बाढ़ लचीलेपन को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के साथ एकीकृत करना।
  - प्राकृतिक जल निकासी को बढ़ाने और शहरी गर्मी को कम करने के लिये शहरी वनों, बायोस्वेल्स और पारगम्य फुटपाथ जैसे **हरित बुनियादी ढाँचे को** प्रोत्साहित करना।
- **संस्थागत और नीतिगत सुधार:** आपदा प्रबंधन ढाँचे को अधिक प्रभावी बनाने के लिये NDMA की **आपदा न्यूनीकरण रणनीतियों** को **पेरिस समझौते** के तहत भारत की **राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs)** के साथ एकीकृत किया जाए। इससे **आपदा जोखिम न्यूनीकरण** तथा **जलवायु अनुकूलन** के बीच बेहतर समन्वय एवं **सहक्रियात्मक प्रभाव (Synergy)** स्थापित किया जा सकेगा।
  - राज्य और नगर निगम नियोजन ढाँचे में जलवायु जोखिमों को मुख्यधारा में लाकर **जलवायु-लचीले बजट को** प्रोत्साहित करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **जोखिम न्यूनीकरण पहल के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना: आपदा मित्र** कार्यक्रम का विस्तार किया जाए ताकि जलवायु आपदाओं से प्रभावित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अधिक संख्या में **सामुदायिक आपदा स्वयंसेवकों** को प्रशिक्षित किया जा सके।
  - **स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और स्थानीय पंचायतों को संगठित करना** ताकि वे MGNREGA के तहत **चेक डैम, ऊँची सड़कें, वर्षा जल संचयन प्रणाली और तूफानी आश्रय स्थलों** जैसे जलवायु-सहनशील संरचनाओं का सह-निर्माण और रखरखाव कर सकें।

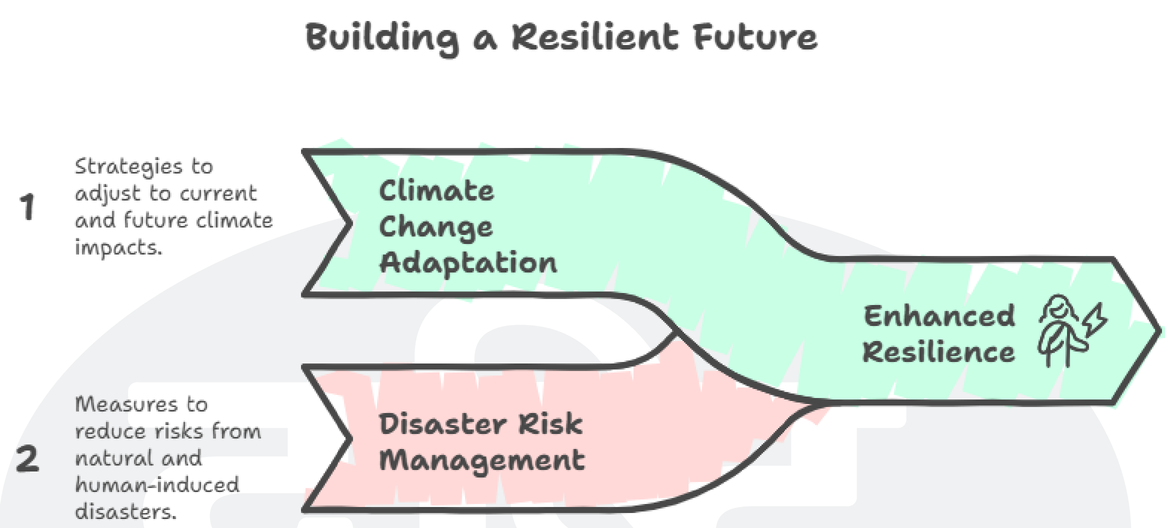

निष्कर्ष:

भारत में प्रभावी आपदा प्रबंधन को **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के साथ समन्वित रूप से चलाना** अनिवार्य है। **राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC)** इस समेकन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने के लिये राज्य स्तरीय परियोजनाओं का समर्थन करता है।

प्रश्न : "भारत में आपदाएँ प्राय: केवल प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि वे विकास संबंधी विकल्पों का परिणाम भी होती हैं।" परीक्षण कीजिये कि अनियोजित शहरीकरण ने आपदा जोखिम को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- शहरीकरण के बढ़ते स्तर और उससे जुड़ी आपदाओं की समस्याओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिये।
- अव्यवस्थित शहरीकरण के कारण आपदा जोखिम किस प्रकार बढ़ता है, इस संदर्भ में तर्क प्रस्तुत कीजिये।
- सतत् शहरीकरण को बढ़ावा देने और आपदा जोखिम को घटाने के उपायों का सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

भारत में, पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण तेज़ी से बढ़ा है और **अब 34% से भी अधिक आबादी शहरों में रहती है।** हालाँकि, इस **अनियोजित शहरीकरण ने गंभीर कमज़ोरियों को जन्म दिया** है, जिससे **आपदा जोखिम बढ़ गए हैं।**

- भारत में कई आपदाएँ केवल प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम होने के बजाय, **अकुशल शहरी नियोजन, बुनियादी अवसंरचना की कमी एवं पर्यावरणीय क्षरण के कारण और भी गंभीर** हो जाती हैं, जिससे शहरी क्षेत्र चरम मौसमी घटनाओं, बाढ़ व अन्य **प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक सुभेद्य** हो जाते हैं।

मुख्य भाग:

अनियोजित शहरीकरण के कारण आपदा जोखिम में वृद्धि:

- **नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव और अत्यधिक हीट वेव्स:** दिल्ली जैसे शहरों में **अनियोजित शहरीकरण ने नगरीय ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव को बहुत गंभीर बना दिया** है, जहाँ बसे हुए क्षेत्र अपने **ग्रामीण परिवेश की तुलना में अधिक गर्म** हो जाते हैं।
  - उदाहरण के लिये **वर्ष 2024 में, दिल्ली में 49.9°C तापमान दर्ज किया** गया और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने वर्ष 2000-2020 के दौरान **हीट वेव्स वाले दिनों में वृद्धि** दर्ज की।
- **बाढ़ और जल निकासी तंत्र का विफल होना:** अनियोजित **शहरी विस्तार के कारण** शहरों में सड़कों और भवनों के पक्के निर्माणों ने **वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषण को बाधित किया** है।
  - बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के व्यापक शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अत्यधिक वर्षा ने बेंगलुरु एवं चेन्नई जैसे शहरी क्षेत्रों को बार-बार होने वाली बाढ़ के प्रति अत्यधिक सुभेद्य बना दिया है।
- **तटीय भेद्यता और समुद्र-स्तर में वृद्धि:** भारत के **विशाल तटीय क्षेत्र,** जैसे मुंबई और कोच्चि, **समुद्र-स्तर में वृद्धि, तटीय अपरदन और लवण जल की अंतर्विष्टि के बढ़ते खतरों का सामना** कर रहे हैं।
  - इन क्षेत्रों में **अनियंत्रित नगरीकरण ने मैन्ग्रोव वनों का विनाश किया** है, जो **चक्रवातीय तूफानों और तटीय क्षरण के प्रति प्राकृतिक सुरक्षा** प्रदान करते थे।
  - वर्ष 2019 के '**चक्रवात वायु**' और वर्ष 2023 के '**चक्रवात बिपरजॉय**' **ने हज़ारों लोगों को विस्थापित किया** तथा **अधोसंरचना को व्यापक क्षति** पहुँचाई।
    - **तटीय क्षेत्रों में अंधाधुंध बंदरगाह विस्तार और रेत खनन** जैसी गतिविधियाँ **प्राकृतिक सुरक्षा-प्रणालियों को कमज़ोर कर रही हैं।**
- **जल संकट और सूखे की स्थिति:** अनियोजित शहरीकरण शहरों में जल संकट को और बढ़ा देता है। **भूजल के अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और अकुशल जल प्रबंधन** प्रणालियों के कारण चेन्नई एवं बंगलुरु जैसे **शहरों में जल संकट** उत्पन्न हो गया है।
  - **भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भूजल स्तर में गिरावट** आई है (विशेषकर पंजाब में) और जल आपूर्ति प्रणालियों पर भारी दबाव पड़ा है, जिससे **शुष्क मौसम में जल संकट उत्पन्न** हो गया है।
- **भूकंपीय क्षेत्रों में भूकंप का खतरा:** भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण जोखिम: **कई शहरी क्षेत्र**, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत और हिमालयी राज्यों में, **भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं।**
  - परंतु इन क्षेत्रों में **बिना नियमन और भवन संहिताओं के उल्लंघन के साथ किये गये अनौपचारिक निर्माण, बड़े पैमाने पर क्षति की आशंका** को और बढ़ाते हैं।
  - उदाहरण के लिये **सिक्किम** में, जहाँ वर्ष 2023 में ग्लेशियल लेक बर्स्ट की घटना में भारी बाढ़ एवं जनहानि हुई, जिसमें **अस्थिर भूमि पर अनियोजित शहरीकरण ने क्षति को और गंभीर बना दिया।**
- **पर्यावरणीय तनाव और संसाधन प्रबंधन चुनौतियाँ:** भारत के **शहरी केंद्र भी बढ़ते पर्यावरणीय तनावों का सामना कर रहे** हैं, जिनमें प्रदूषण, अपशिष्ट कुप्रबंधन एवं अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान प्रणालियाँ शामिल हैं, जिसने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के प्रभावों को और बढ़ा दिया है।
  - दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहर लगातार वायु एवं जल प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, जो लू व बाढ़ जैसी **आपदाओं के दौरान जन स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।**
    - ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अभाव इन चुनौतियों को और बढ़ा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सतत् शहरीकरण को बढ़ावा देने और आपदा जोखिम को कम करने हेतु उपाय

- **एकीकृत शहरी नियोजन और क्षेत्र निर्धारण नियम:**
  - शहरी विकास की योजना इस तरह से बननी चाहिये कि वह न केवल **पर्यावरण के प्रति सुभेद्य क्षेत्रों** (जैसे: बाढ़ मैदान, समुद्री तट, ढाल प्रवणता वाले क्षेत्र) **की रक्षा** करे बल्कि आपदाओं के प्रति **मज़बूत अवसंरचना को भी प्राथमिकता** दे।
  - क्षेत्र निर्धारण के नियमों के माध्यम से **उन स्थानों पर निर्माण कार्य रोका जाना चाहिये जो बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील** हैं।
- **हरित अवसंरचना और शहरी पारितंत्र सेवाएँ:**
  - **शहरी वनों, पार्कों और ग्रीन रूफ्स को बढ़ावा** देकर हरित आवरण में वृद्धि, नगरीय ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव को महत्त्वपूर्ण रूप से कम कर सकती है तथा शहरों में तापमान कम कर सकती है, जिससे **हीट वेव्स का प्रभाव कम** हो सकता है।
  - **वर्षा जल संचयन, आर्द्रभूमि पुनर्भरण और शहरी जल निकायों का निर्माण,** स्टॉर्मवाटर प्रबंधन को बेहतर बना सकता है, जिससे अकुशल जल निकासी के कारण शहरी बाढ़ का जोखिम कम हो सकता है।
  - **सड़कों और फुटपाथों के लिये पारगम्य सामग्रियों के उपयोग** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि बेहतर जल अवशोषण हो और जलभराव कम हो।
- **जलवायु-अनुकूल अवसंरचना और निर्माण डिज़ाइन:**
  - **आपदा-प्रतिरोधी निर्माण मानकों को भवन डिज़ाइनों में शामिल** किया जाना चाहिये। शहरी क्षेत्रों को बाढ़, हीट-वेव्स और चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने के लिये जलवायु-प्रतिरोधी सामग्रियों को अपनाना चाहिये।
  - अतिवृष्टि की घटनाओं से निपटने के लिये **डिज़ाइन की गई ऊँची सड़कों, बाढ़-रोधी अवरोधों, स्टॉर्म-वाटर ड्रेन्स में निवेश** करके शहरी बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है।
- **सतत् गतिशीलता और कार्बन उत्सर्जन में कमी:**
  - **सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटर चालित परिवहन** (पैदल चलना, साइकिल चलाना) **को बढ़ावा** देने से शहरी कार्बन उत्सर्जन एवं वायु प्रदूषण में कमी आ सकती है, जो भीषण गर्मी के दौरान एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
  - **इलेक्ट्रिक वाहनों और कार-मुक्त क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने से** वायु प्रदूषण कम हो सकता है तथा स्वच्छ, स्वस्थ शहरों के निर्माण में योगदान मिल सकता है।
  - **स्मार्ट यातायात प्रबंधन और वाहनों की भीड़भाड़ में कमी** भी शहरी तनाव को कम करने एवं समग्र अनुकूलन बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण:**
  - **घरेलू और सामुदायिक स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण एवं खाद बनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये** ताकि लैंडफिल पर बोझ कम किया जा सके, जो प्रायः प्रदूषण व अग्निकांड के खतरों का स्रोत होते हैं।
  - **अपशिष्ट न्यूनीकरण और संसाधन दक्षता** सुनिश्चित करने तथा पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिये **चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिये**।

निष्कर्ष:

जैसा कि जॉन एफ. कैनेडी ने एक बार कहा था, ***"छत की मरम्मत का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा हो।"***

भारत को बढ़ते जोखिमों को कम करने और अपनी बढ़ती शहरी आबादी को प्राकृतिक आपदाओं के मंडराते खतरे से बचाने के लिये **सतत् शहरी नियोजन, आपदा-रोधी बुनियादी अवसंरचना और पर्यावरण प्रबंधन में निवेश** करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : अंजलि वर्मा, एक युवा तथा अत्यंत प्रेरित भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं जिन्हें एक वर्ष से अधिक समय से प्रवर्तन निदेशालय (ED) में नियुक्त किया गया है। वे एक परिश्रमी और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं, जो विधि के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिये प्रसिद्ध हैं। हाल ही में, अंजलि को शहर के एक प्रसिद्ध व्यावसायिक समूह पर छापेमारी की कार्रवाई की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। इस कंपनी के मालिक, जो एक प्रभावशाली उद्योगपति हैं, पर बड़े पैमाने पर कर-चोरी, धन-शोधन तथा अवैध वित्तीय लेन-देन का संदेह है।

जैसे-जैसे छापे की कार्रवाई आगे बढ़ती है, अंजलि की टीम को कई महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें अदृश्य संपत्तियाँ और अघोषित विदेशी बैंक खातों की जानकारी शामिल है। लेकिन जैसे ही यह कार्रवाई अपने अंतिम चरण में पहुँचती है, अंजलि को एक गुमनाम फोन कॉल प्राप्त होता है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि उन्हीं के एक करीबी रिश्तेदार, जो उसी व्यावसायिक समूह में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं, इन अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं। हालाँकि, कॉल करने वाला कोई ठोस प्रमाण नहीं देता, केवल एक अस्पष्ट दावा करता है।

अंजलि एक नैतिक और व्यावसायिक दुविधा में हैं। वह सदैव अपने कर्त्तव्य के प्रति दृढ़ निष्ठा रखती रही हैं और सामाजिक या राजनीतिक परिणामों की परवाह किये बिना न्याय की स्थापना को प्राथमिकता देती आई हैं। परंतु अब, जब मामला उनके परिवार से जुड़ता प्रतीत हो रहा है, तो उनके व्यक्तिगत जीवन में जटिलताएँ उत्पन्न होने लगी हैं। उन्हें भय है कि यदि वह अपने रिश्तेदार की भूमिका की जाँच को आगे बढ़ाती हैं, तो इससे उनके परिवार को मानसिक आघात पहुँच सकता है और यह उनके पारिवारिक संबंधों तथा कॅरियर दोनों पर विपरीत असर डाल सकता है।

इस व्यावसायिक साम्राज्य का व्यापारिक एवं राजनीतिक दायरों में अच्छा संबंध है और अंजलि पर यह दबाव डाला जा रहा है कि इस छापे को शीघ्रता से और बिना अधिक सार्वजनिक असर के समाप्त कर दिया जाये। इसके बावजूद, अंजलि को लगता है कि अब तक मिले साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि अपराध गंभीर हैं और इनकी गहन जाँच अनिवार्य है।

उनके प्रत्यक्ष उच्चाधिकारी ने उनसे छापे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है और यह संकेत दिया है कि मामले को 'बिना अनावश्यक उथल-पुथल के' सुलझाया जाये। ऐसे में अंजलि पर जाँच की निष्पक्षता के साथ-साथ व्यक्तिगत और पेशेवर प्रभावों को संतुलित करने का बहुत दबाव है, जिसका सामना उन्हें अपने रिश्तेदार की इस मामले में संलिप्तता के लिये करना पड़ सकता है।

1. इस स्थिति में प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
2. अंजलि के लिये सबसे उपयुक्त कार्रवाई क्या होगी, साथ ही यह भी चर्चा कीजिये कि नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिये कौन-सा नैतिक कार्यढाँचा उसका मार्गदर्शन करेगा।
3. उच्च-स्तरीय जाँच में पेशेवर ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखने में जाँच अधिकारियों को सहायता देने के लिये कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियाँ क्रियान्वित की जा सकती हैं?

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

एक IRS अधिकारी अंजलि वर्मा, एक प्रभावशाली व्यावसायिक समूह के विरुद्ध एक हाई-प्रोफाइल छापेमारी का नेतृत्व कर रही हैं। इसी अभियान के दौरान उन्हें एक गुमनाम सूचना मिलती है जिसमें उनके एक करीबी रिश्तेदार की भी इन वित्तीय अपराधों में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। अब वह अपने कर्त्तव्य और व्यक्तिगत निष्ठा के बीच गहरी दुविधा में पड़ जाती हैं। उन पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी तीव्र होता जा रहा है।

- **यह मामला हितों के टकराव, ईमानदारी और निष्पक्षता से जुड़ी** एक क्लासिक नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता है । यह मामला हितों के टकराव, ईमानदारी और निष्पक्षता से जुड़ी एक विशिष्ट नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता है।

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं ?

- **पेशेवर कर्त्तव्य बनाम व्यक्तिगत निष्ठा:** अंजलि एक ईमानदार और निष्पक्ष भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी के रूप में एक संवेदनशील जाँच का नेतृत्व कर रही है।
  - ऐसे में उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे। किंतु जब इस मामले में उसका कोई निकट संबंधी संलिप्त प्रतीत होता है, तब उसकी व्यक्तिगत निष्ठा की परीक्षा हो जाती है।
  - अब उसे विधि का पालन करने और पारिवारिक संबंधों की रक्षा करने के बीच चुनाव करना है।
- **नैतिकता बनाम पारिवारिक दबाव:** उसकी भूमिका पूर्ण नैतिक निष्ठा की माँग करती है, जिसमें यह साहस भी अपेक्षित है कि जाँच के निष्कर्ष जहाँ भी पहुँचें, वह उनका निडर होकर अनुसरण करे, चाहे उन निष्कर्षों में कोई परिचित या संबंधी ही क्यों न हो।
  - दूसरी ओर, उसका परिवार उससे यह उम्मीद कर सकता है कि वह अपने परिजन को कानूनी कार्रवाई से बचाने का प्रयास करे।
  - यह स्थिति उसके भीतर भावनात्मक तनाव उत्पन्न करती है और उसकी नैतिक दृढ़ता को चुनौती देती है।
- **कानून का शासन बनाम राजनीतिक और सामाजिक दबाव:** साक्ष्य गंभीर वित्तीय अपराधों का संकेत देते हैं और एक लोक सेवक के रूप में, वह कानून के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य है।
  - परंतु उसे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावशाली राजनीतिक और व्यावसायिक हस्तियों की ओर से जाँच को धीमा या रोक देने का दबाव झेलना पड़ रहा है।
  - ऐसे में वह संस्था की गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिये सामाजिक दबावों का प्रतिरोध करने की कठिन स्थिति में है।
- **जनहित बनाम व्यक्तिगत हित:** इस जाँच का निष्कर्ष न्याय की स्थापना कर सकता है और भविष्य में **सफेदपोश अपराधों को हतोत्साहित** कर सकता है, जिससे राष्ट्र को लाभ होगा।
  - परंतु इस प्रक्रिया में गहराई तक जाने से उसे व्यक्तिगत क्षति, सार्वजनिक विवाद तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचने की आशंका है।
  - अब उसे राष्ट्रहित और पारिवारिक परिणामों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **न्यायिक प्रक्रिया बनाम तात्कालिकता:** उसे अपने संबंधी के विरुद्ध प्राप्त गुमनाम सूचना की जाँच कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से सावधानीपूर्वक करनी है।
  - लेकिन उस पर यह दबाव भी है कि वह छापे की कार्रवाई शीघ्रता से पूरी करे, जिससे लापरवाही या त्रुटियाँ होने की आशंका है।
  - ऐसी परिस्थिति में उसे राजनीतिक अपेक्षाओं की परवाह किये बिना विधिसम्मत प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा।

2. अंजलि के लिये सबसे उपयुक्त कार्रवाई क्या होगी, साथ ही यह भी चर्चा कीजिये कि नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिये कौन-सा नैतिक कार्यढाँचा उसका मार्गदर्शन करेगा।

- **आरोप की सूचना में पारदर्शिता:** अंजलि को चाहिये कि वह बिना कोई पूर्वग्रह बनाये या सूचना को छिपाये अपने संबंधी के विरुद्ध प्राप्त गुमनाम आरोप की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को दे दें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह पारदर्शिता प्लेटो के आदर्श व्यक्ति के सिद्धांत को दर्शाती है, जो अपने व्यक्तिगत संबंधों को सार्वजनिक दायित्व पर हावी नहीं होने देता।
- यह कौटिल्य के राजधर्म के अनुरूप भी है, जो सत्यनिष्ठा और संस्था के प्रति निष्ठा को व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर मानता है।

- **हितों के टकराव से बचाव हेतु स्वयं को अलग करना:** न्याय की निष्पक्षता बनाये रखने के लिये अंजलि को चाहिये कि वह उस जाँच प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर लें, जिसमें उनके संबंधी शामिल हैं और इसकी ज़िम्मेदारी किसी अन्य अधिकारी को सौंपें।
  - यह न्याय के प्रमुख नैतिक गुण (Cardinal Virtue) की माँग है, जो निर्णय लेने में निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। इस प्रकार अंजलि न केवल नैतिक मूल्यों की रक्षा करती हैं, बल्कि हितों के टकराव की स्थिति से भी बचती हैं।
- **मुख्य जाँच का संतुलित क्रम:** उसे चाहिये कि वह, बिना उस अपुष्ट सूचना से विचलित हुए अब तक एकत्र प्रमाणों के आधार पर मुख्य जाँच को निर्बाध रूप से जारी रखे।
  - यहां, **अरस्तू का स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत** लागू होता है - **निष्क्रियता (गंभीर अपराधों की अनदेखी) और अति प्रतिक्रिया (बिना साक्ष्य के परिवार का पीछा करना) दोनों चरम सीमाओं से बचना।**
  - उनका संतुलित दृष्टिकोण व्यावसायिक जिम्मेदारी और भावनात्मक संयम दोनों को बढ़ावा देता है। यहाँ अरस्तू का स्वर्ण मध्य मार्ग (Golden Mean) का सिद्धांत— **न तो निष्क्रियता की ओर झुकाव** (गंभीर अपराध की अनदेखी) और **न ही अति प्रतिक्रिया** (सिर्फ पारिवारिक संबंध के कारण कठोरता)।
  - उनका संतुलित दृष्टिकोण पेशेवर दायित्व और भावनात्मक संयम दोनों को दर्शाता है।
- **दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियात्मक अखंडता: अंजलि को जाँच के प्रत्येक चरण का सावधानीपूर्वक दस्तावेज़ीकरण** करना चाहिये, **पारदर्शिता** बनाए रखनी चाहिये और **उचित प्रक्रिया का पालन** करना चाहिये।
  - यह न केवल उसे भविष्य में आरोपों से बचाता है, बल्कि **गांधीवादी सत्यनिष्ठा की भावना** को भी दर्शाता है, जहाँ पारदर्शिता और अंकेक्षण सार्वजनिक उत्तरदायित्व की नींव माने गये हैं।
  - साथ ही यह कांट के कर्त्तव्य-प्रधान नैतिकतावाद (Deontological Ethics) की भी अभिव्यक्ति है, जहाँ परिणाम से पहले कर्त्तव्य और प्रक्रिया की प्राथमिकता होती है।
- **बाह्य दबाव का उत्तरदायितापूर्ण विरोध:** हालाँकि प्रभावशाली व्यक्ति उस पर मामले को चुपचाप निपटाने के लिये दबाव डाल सकते हैं, लेकिन **उसे दृढ़ रहना चाहिये और ऐसे हस्तक्षेप का विरोध करना चाहिये** बशर्ते वह विधि एवं शिष्टाचार की सीमाओं के भीतर रहे।
  - यहाँ उपयोगितावाद (Utilitarianism) सुसंगत है, क्योंकि प्रभावशाली अपराधियों के विरुद्ध कानून की रक्षा कर वे जनता का विश्वास अर्जित करती हैं, जो समाज के लिये दीर्घकालिक दृष्टि से अधिक अच्छा है।
- **पारिवारिक स्थितियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** उसे अपने परिवार के साथ संवाद करना चाहिये तथा यह स्पष्ट करना चाहिये कि उसके कार्य कानून द्वारा निर्देशित हैं, न कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह द्वारा।
  - इस प्रकार वह गांधीवादी आदर्श के नैतिक साहस और करुणा से युक्त व्यवहार की भावना को मूर्त रूप दे सकती है।
- **आत्म-चिंतन और नैतिक आधार:** अंततः, अंजलि को नियमित आत्मनिरीक्षण करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके निर्णय भय या दबाव से नहीं बल्कि उसके अंत:करण की नैतिक स्पष्टता से प्रेरित हैं।
  - यह उपनिषदों में वर्णित 'आत्म-निरीक्षण' की अवधारणा के अनुरूप है, जो व्यक्ति को आंतरिक सत्य से जुड़ने की प्रेरणा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

3. उच्च-स्तरीय जाँच में पेशेवर ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखने में जाँच अधिकारियों को सहायता देने के लिये कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियाँ क्रियान्वित की जा सकती हैं?

- **हितों के टकराव की अनिवार्य घोषणा:** जाँच में संलग्न किसी भी अधिकारी के लिये यह कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वह जाँच के विषय से संबंधित किसी भी निजी, पारिवारिक या आर्थिक संबंध की स्पष्ट घोषणा करे।
  - यदि ऐसी कोई घोषणा की जाती है तो एक संस्थागत वियोग तंत्र (Recusal Mechanism) स्वचालित रूप से सक्रिय होना चाहिये, जिससे संबंधित अधिकारी को उस जाँच से बहिष्कार किया जा सके।
  - यह व्यवस्था जाँच की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है तथा आंतरिक पक्षपात या हस्तक्षेप से उसकी शुचिता की रक्षा करती है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध विधिक संरक्षण:** संवेदनशील जाँचों के दौरान अधिकारियों को मनमाने तबादलों या दबाव से बचाने के लिये एक मज़बूत कानूनी कार्यढाँचा निर्मित किया जाना चाहिये।
  - उन्हें विधिक प्रतिरक्षा तथा कार्यपालिका के हस्तक्षेप से संरक्षण प्राप्त होना चाहिये, जिससे संस्थागत स्वायत्तता बनी रहे।
  - यह व्यवस्था अधिकारियों को भय या प्रभाव से मुक्त होकर कानून और साक्ष्य के आधार पर कार्य करने में समर्थ बनाती है।
- **प्रमुख जाँच पदों पर सुनिश्चित कार्यकाल:** जाँच अधिकारियों को एक निश्चित कार्यकाल की गारंटी दी जानी चाहिये, विशेष रूप से ED, CBI या आयकर जैसे संस्थानों में।
  - यह व्यवधानों को रोकता है और जाँच के दौरान राजनीतिक रूप से प्रेरित स्थानांतरण से उन्हें बचाता है।
  - स्थायी कार्यकाल से अधिकारी समयबद्ध, गहन और निष्पक्ष जाँच करने में सक्षम होते हैं।
- **अधिकारियों हेतु सशक्त व्हिसलब्लोअर सुरक्षा:** व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर आंतरिक अधिकारियों को भी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये, जो अनुचित हस्तक्षेप की रिपोर्ट करते हैं।
  - ऐसे व्हिसलब्लोअर को गोपनीयता, विधिक संरक्षण तथा कॅरियर सुरक्षा दी जानी चाहिये।
  - यह आंतरिक पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और संस्थानों के भीतर अनैतिक व्यवहार को रोकने में सहायक होता है।
- **संस्थागत नैतिकता प्रशिक्षण और व्यावहारिक अभ्यास:** जाँच अधिकारियों को समय-समय पर नैतिक निर्णय-निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण दिये जाने चाहिये, जिनमें वास्तविक जीवन के उदाहरण और भूमिका-निर्वाह (Role-play) शामिल हों।
  - कर्त्तव्य नैतिकता (Deontology), सद्गुण नैतिकता (Virtue Ethics) तथा भारतीय दर्शन जैसे सिद्धांतों से परिचय अधिकारियों की नैतिक विवेकशीलता को मज़बूत बनाता है।
  - इस प्रकार, नैतिकता केवल सैद्धांतिक न होकर प्रचालित कौशल बन जाती है।
- **संवेदनशील मामलों के लिये स्वतंत्र पर्यवेक्षण समितियाँ:** राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मामलों की समीक्षा हेतु स्वायत्त समितियों का गठन किया जाना चाहिये, जिनमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासक तथा विधिक विशेषज्ञ सम्मिलित हों।
  - इन समितियों की उपस्थिति जाँच की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है तथा अधिकारियों को राजनीतिक प्रतिशोध से सुरक्षित रखती है।
  - ये समितियाँ जाँच एजेंसियों और राजनीतिक दबाव के मध्य एक रक्षक स्तर (Buffer) का कार्य करती हैं।
- **मीडिया प्रोटोकॉल और नियंत्रित संचार कार्यढाँचा:** जाँच की प्रक्रिया के दौरान सूचनाओं के सार्वजनिक प्रकटन हेतु सख्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अपनायी जानी चाहिये।
  - सूचना लीक और अनधिकृत मीडिया ब्रीफिंग पर नियंत्रण होना चाहिये ताकि अधिकारियों को मीडिया ट्रायल से बचाया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- इससे साक्ष्य आधारित प्रक्रिया को प्राथमिकता मिलती है, न कि सार्वजनिक विमर्श की धारणाओं को।

- **प्रौद्योगिकी-सक्षम ऑडिट ट्रेल्स और पारदर्शिता उपकरण:** जाँच से संबंधित सभी कार्रवाइयों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड, समय-चिह्नित और प्रवेश लॉग सहित संग्रहित किया जाना चाहिये।
  - छेड़छाड़-रोधी प्रणाली के प्रयोग से उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है और रिकॉर्ड्स में हेरफेर को रोका जा सकता है।
  - इस प्रकार, प्रौद्योगिकी एक मौन नैतिक संरक्षक के रूप में कार्य करती है जो प्रक्रियागत शुचिता को बनाये रखती है।

निष्कर्ष:

जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है— ***"कर्त्तव्य का पालन आसक्ति रहित होकर करो, क्योंकि ऐसा करने से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है।"***

यह शाश्वत शिक्षा प्रशासनिक सेवकों को यह स्मरण कराती है कि निष्काम कर्म, जो धर्म पर आधारित हो और फल की अपेक्षा से रहित हो, वही राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च मार्ग है। उच्च-स्तरीय जाँचों में पेशेवर ईमानदारी बनाये रखना केवल व्यक्तिगत सद्गुण का विषय नहीं है, इसके लिये संस्थागत सहयोग, विधिक संरक्षण, मानसिक दृढ़ता तथा नैतिक स्पष्टता की भी आवश्यकता होती है।

प्रश्न : सूरतवाड़ा ज़िले के ज़िलाधिकारी के रूप में आप एक सरकार-प्रायोजित ग्रामीण विकास परियोजना की निगरानी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य बुनियादी अवसंरचना में सुधार लाना है। हालाँकि, शीघ्र ही आपको पता चलता है कि सड़क, स्वच्छता व्यवस्था और किफायती आवास निर्माण से संबद्ध जिन ठेकेदारों को ठेके दिये गये हैं, उनके स्थानीय तथा राज्य स्तर के राजनेताओं से मज़बूत राजनीतिक संबंध हैं। इन ठेकेदारों का पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है। पिछली परियोजनाओं में घटिया काम और वित्तीय कुप्रबंधन के इतिहास के बावजूद, इन ठेकेदारों को उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण आकर्षक निविदाएँ मिलती रहती हैं।

परियोजना की समीक्षा करने पर, आपको पता चलता है कि धन का दुरुपयोग हो रहा है, निर्माण लागत बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा रही है और निम्नस्तरीय सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय भ्रष्ट अधिकारी अनुमोदन प्रक्रिया में हेरफेर करने में सहभागी पाये जाते हैं। यह जानते हुए भी, आप पर अपने राजनीतिक वरिष्ठों और प्रभावशाली स्थानीय हस्तियों, दोनों की ओर से परियोजना को बिना किसी हस्तक्षेप के जारी रखने देने का भारी दबाव है। यदि आप इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो परियोजना रुक सकती है, जिससे ज़िले का विकास प्रभावित होगा और साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रिया के चलते आपको स्थानांतरण या अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

आप एक गंभीर द्वंद्व में फँस गए हैं: क्या आपको भ्रष्टाचार का उजागर करके अपने कॅरियर और परियोजना के पूरा होने को जोखिम में डालना चाहिये या यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से जनता के प्रति आपके नैतिक दायित्व से समझौता होगा, मौन हो जाना चाहिये? यह निर्णय इस बात से और भी जटिल हो जाता है कि आपके कार्यों से परियोजना का भविष्य और ज़िले में शासन की आपकी समग्र क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।

1. **परियोजना में भ्रष्टाचार की गहन जाँच सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिये आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?**
2. **अपनी निष्ठा बनाए रखने तथा जाँच को निरंतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?**
3. **भविष्य में सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की इसी तरह की स्थिति को रोकने के लिये आप अपने ज़िले में कौन-से दीर्घकालिक सुधार लागू करने पर विचार करेंगे और आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिरोध के बावजूद ऐसे सुधार सफल हों?**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

ज़िला कलेक्टर को **एक सरकारी वित्त पोषित ग्रामीण विकास परियोजना में गहन भ्रष्टाचार से जुड़ी एक जटिल नैतिक दुविधा का सामना** करना पड़ रहा है। इस स्थिति में राजनीतिक रूप से जुड़े ठेकेदारों की अनियमितताओं को उजागर करने तथा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, साथ ही प्रशासनिक निष्पक्षता और पेशेवर कर्त्तव्य को भी बनाए रखना होगा।

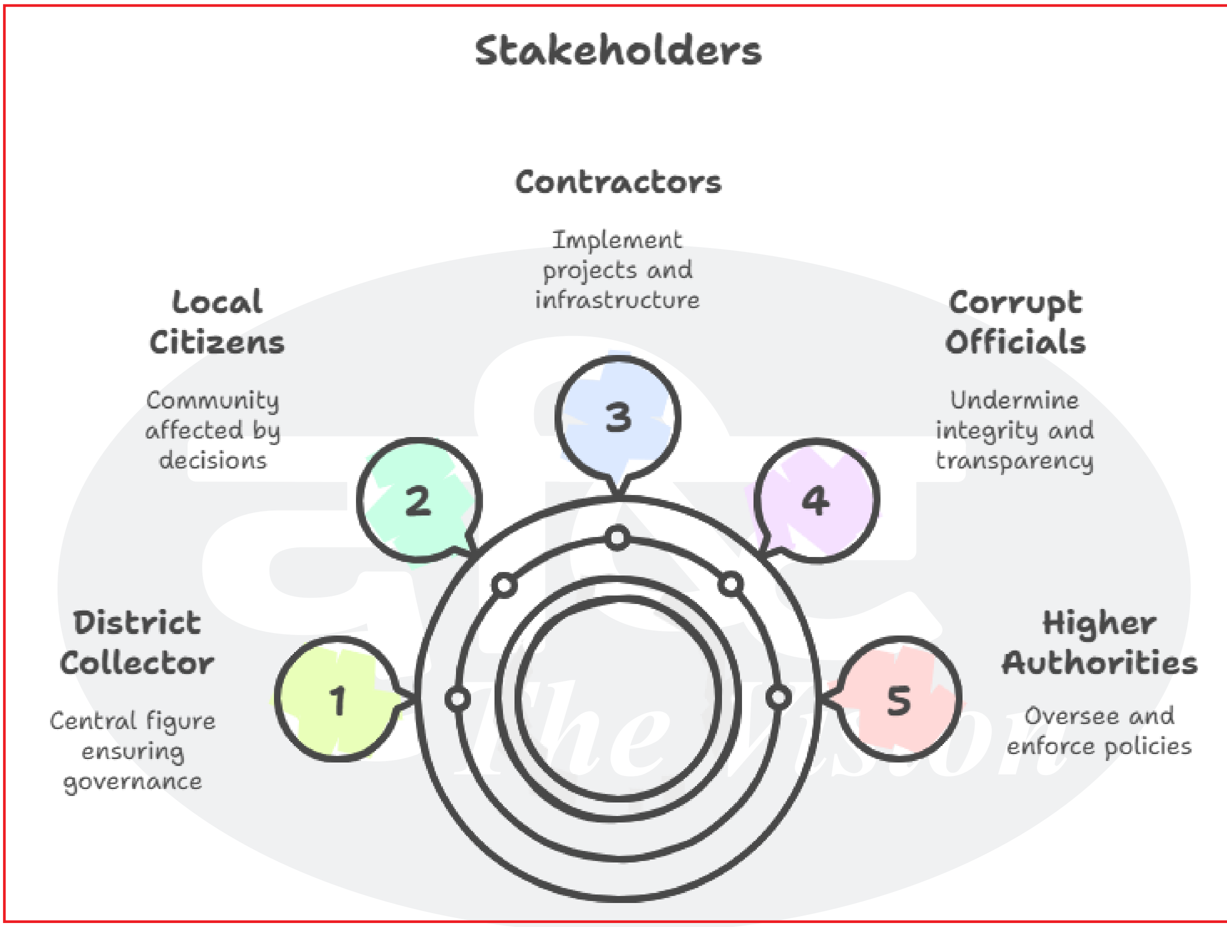

मुख्य भाग:

1. परियोजना में भ्रष्टाचार की गहन जाँच सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिये आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

विकल्प 1: सख्त कानूनी कार्रवाई और पूर्ण प्रकटीकरण

- **कार्रवाई:** भ्रष्टाचार की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों और भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसियों को दिया जाना चाहिये। चल रही परियोजना को निलंबित किया जाना चाहिये, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिये तथा शामिल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संभावित परिणाम:**
    - **सकारात्मक:** भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा संदेश जायेगा; व्यक्तिगत निष्ठा बनी रहेगी; प्रणालीगत जवाबदेही की शुरुआत होगी।
    - **नकारात्मक:** परियोजना रुक जायेगी जिससे आवश्यक बुनियादी अवसंरचना में विलंब होगा; राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना है; व्यक्तिगत कॅरियर को स्थानांतरण या हाशिये पर डालने जैसे दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

विकल्प 2: सार्वजनिक प्रकटीकरण के बिना सुधारात्मक पर्यवेक्षण

- **कार्रवाई:** परियोजना को जारी रखते हुए तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षक तथा तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिये ताकि गुणवत्ता एवं व्यय पर सख्त निगरानी रखी जा सके। ठेकेदारों को अनौपचारिक चेतावनी दी जानी चाहिये, सुधार की माँग की जानी चाहिये तथा सबसे अधिक अनियमित ठेकेदारों को चुपचाप बदल दिया जाना चाहिये।
- **संभावित परिणाम:**
    - **सकारात्मक:** सेवाएँ निर्बाध रूप से बेहतर निगरानी के साथ चलती रहेंगी; सार्वजनिक व्यवधान न्यूनतम होगा।
    - **नकारात्मक:** मूलभूत भ्रष्टाचार आंशिक रूप से अनसुलझा रह जाएगा; दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही न करने से नैतिक समझौता होगा।

विकल्प 3: संस्थागत चैनलों के माध्यम से रणनीतिक रिपोर्टिंग

- **कार्रवाई:** सावधानीपूर्वक साक्ष्य एकत्र कर मामले को गोपनीय रूप से उच्च प्रशासनिक व सतर्कता अधिकारियों तक पहुँचाया जाना चाहिये। औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा की जाये और इस बीच आवश्यक न्यूनतम कार्य को कड़ी निगरानी में जारी रखा जाना चाहिये।
- **संभावित परिणाम:**
    - **सकारात्मक:** औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार का समाधान; व्यक्तिगत जोखिम कम होगा; विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
    - **नकारात्मक:** ठोस कार्रवाई में विलंब होगा; जनता को निष्क्रियता प्रतीत हो सकती है; राजनीतिक दबाव बना रह सकता है।

विकल्प 4: पारदर्शिता के लिये समुदाय और मीडिया की सहभागिता

- **कार्रवाई:** अनियमितताओं को पारदर्शी तरीके से उजागर करने के लिये स्थानीय नागरिक समाज और मीडिया को शामिल किया जाना चाहिये। निष्पक्ष जाँच और ठेकेदार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक ऑडिट किया जाना चाहिये और जनता पर दबाव बनाया जाना चाहिये।
- **संभावित परिणाम:**
    - **सकारात्मक:** जनता की एकजुटता से विश्वास बढ़ता है; भ्रष्टाचार पर व्यापक ध्यान दिया जाता है; दीर्घकालिक संस्थागत सुधार संभव है।
    - **नकारात्मक:** राजनीतिक प्रतिरोध तीव्र हो सकता है; कॅरियर जोखिम में पड़ सकता है; विवाद के कारण काम रुक सकता है।

2. अपनी निष्ठा बनाए रखने तथा जाँच को निरंतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?

कार्रवाई की रूपरेखा विकल्प 2 और 3 का समन्वित रूप होगी:

- **परियोजना को रोके बिना सुधारात्मक उपाय आरंभ करना:** परियोजना को जारी रहने देना चाहिये, लेकिन चल रहे कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिये तुरंत एक **तृतीय-पक्ष तकनीकी ऑडिट टीम** (जैसे: सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज या PWD विशेषज्ञ) को बुलाया जाना चाहिये। **(विकल्प 2)**
    - घटिया कार्य की पहचान और उसमें सुधार करते हुए सार्वजनिक सेवाओं (सड़क, स्वच्छता, आवास) की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- **मुद्दे को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाना:** भ्रष्टाचार के साक्ष्य का दस्तावेज़ीकरण किया जाना चाहिये और **मुख्य सचिव**, **राज्य सतर्कता आयोग** एवं **महालेखाकार** को एक **गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत** किया जाना चाहिये, जिसमें उनसे औपचारिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया जा सकता है। **(विकल्प 3)**
    - यह तंत्र के भीतर कार्य करने, उचित प्रक्रिया का पालन करने तथा कानूनी रूप से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **निगरानी और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना: रियल-टाइम मॉनिटरिंग टूल्स** स्थापित किये जाने चाहिये (जैसे: जियो-टैग्ड प्रोग्रेस फ़ोटो, कॉन्ट्रेक्टर परफॉरमेंस डैशबोर्ड) और विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों या सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल करते हुए **स्थानीय स्तर पर सोशल ऑडिट** शुरू किया जाना चाहिये। (**विकल्प 2**)
  - इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, कार्यों पर निगरानी रहेगी और निधियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा।
- **गंभीर उल्लंघन करने वालों को दंडित करें और प्रतिस्थापित करना:** जिन ठेकेदारों के विरुद्ध सबसे गंभीर गड़बड़ियाँ पाई जायें, उनके विरुद्ध खरीद नियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही (या आंशिक रूप से ब्लैक लिस्टेड) की जानी चाहिये तथा पूरी परियोजना को रोके बिना उनकी हिस्सेदारी पुन: निविदा प्रक्रिया के तहत अन्य को सौंपी जानी चाहिये।
  - इससे उत्तरदायित्व का संदेश जाएगा और अन्य उचित कार्य आगे बढ़ते रहेंगे।
- **नैतिक और कानूनी दस्तावेजीकरण बनाये रखना:** सभी निर्णयों, साक्ष्यों व संप्रेषणों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिये। (**विकल्प 3**)
  - यदि राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो यह दस्तावेज़ी कार्यवाही संतुलित नीति और वैधानिक कार्य प्रणाली का समर्थन करेगी।

यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है:

- विधिसम्मत और दस्तावेज़ीकृत कृत्यों के माध्यम से नैतिकता को कायम रखा जाता है। (यह **कर्त्तव्य-नैतिकता के अनुरूप** है, जो कांट के सिद्धांतों के अनुसार कर्त्तव्य, नियम-आधारित आचरण एवं नैतिक दायित्व के अनुरूप कार्य करने पर ज़ोर देती है।)
- बिना किसी आकस्मिक व्यवधान के **भ्रष्टाचार का समाधान** किया जाता है।
- ज़िलाधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए सार्वजनिक सेवाएँ सतत् रूप से जारी रखनी चाहिये। (यह भूमिका-आधारित नैतिकता या व्यावसायिक धर्म को दर्शाता है, जहाँ नैतिक ज़िम्मेदारी जवाबदेही और निष्पक्षता के साथ अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों का पालन करने में निहित है।)
- व्यक्तिगत जोखिम को न्यूनतम किया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से हम नियमों के दायरे में रहते हुए कार्य करते हैं और अलग-थलग या टकराव वाले कदम उठाने के बजाय संस्थाओं को शामिल करते हैं। (यह **सद्गुण नैतिकता,** विशेष रूप से विवेक, साहस और व्यावहारिक ज्ञान के गुणों के अनुरूप है; साथ ही संस्थागत अहिंसा एवं नैतिक प्रतिरोध के गांधीवादी नैतिकता के अनुरूप भी है।)

3. भविष्य में सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की इसी तरह की स्थिति को रोकने के लिये आप अपने ज़िले में कौन-से दीर्घकालिक सुधार लागू करने पर विचार करेंगे और आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिरोध के बावजूद ऐसे सुधार सफल हों?

- **ई-निविदा प्रणाली एवं पूर्णत: डिजिटल पारदर्शिता:** निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारों का चयन, कार्यादेश तथा धनराशि के वितरण को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाना चाहिये तथा इन्हें एक ई-शासन मंच पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
  - इससे मानवीय हस्तक्षेप और राजनीतिक दखल को कम किया जा सकता है तथा एक मज़बूत लेखा-परीक्षा प्रणाली निर्मित होती है।
  - राज्य स्तरीय ई-निविदा पोर्टलों से इसका एकीकरण किया जाना चाहिये और ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रकाशित किये जाने चाहिये।
- **ठेकेदार प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली:** प्रत्येक ज़िले में ठेकेदारों के लिये गुणवत्ता, समयबद्धता और नियमों के अनुपालन के आधार पर एक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली शुरू की जानी चाहिये।
  - यह राजनीतिक सिफारिश की बजाय योग्यता के आधार पर चयन को प्रोत्साहित करता है।
- **सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक निगरानी को संस्थागत स्वरूप देना:** एक निश्चित बजट से ऊपर के सभी महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिये।
  - जन-सक्रिय निगरानी पारदर्शी निष्पादन का दबाव बनाती है तथा ज़मीनी स्तर पर होने वाले विचलनों को उजागर करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निगरानी इकाइयाँ (TPMU):** ज़िला कलेक्टर के कार्यालय के अधीन एक 'ज़िला परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ' गठित किया जाना चाहिये जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, अभियंता तथा शिक्षाविद् शामिल हों।
  - यह विभागीय प्रभाव से स्वतंत्र तकनीकी जाँच सुनिश्चित करेगा।
- **अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और नैतिकता प्रशिक्षण: कर्मचारियों हेतु क्षमता संवर्द्धन एवं नैतिक प्रशिक्षण:** कनिष्ठ अभियंताओं, बी.डी.ओ. एवं लिपिक कर्मचारियों के लिये नियमित रूप से नैतिक शासन, सतर्कता नियम तथा परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।
  - यह नियमों के प्रति सजगता बढ़ाता है, मिलीभगत को कम करता है और प्रशासनिक पेशेवरता को सुदृढ़ करता है।
- **खरीद सुधार और बोली-पूर्व जांच:** सख्त **पात्रता मानदंड लागू करें** (जैसे, वित्तीय इतिहास, गुणवत्ता रिकॉर्ड) और बोली-पूर्व जांच को अनिवार्य बनाएं। **निविदा सुधार एवं पूर्व-निविदा जाँच:** पात्रता मानकों (जैसे: वित्तीय पृष्ठभूमि, गुणवत्ता का रिकॉर्ड) को सख्त किया जाना चाहिये और पूर्व-निविदा जाँच अनिवार्य बनायी जानी चाहिये।
  - इससे बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को तंत्र में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक विरोध के बीच कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:

- **राज्य एवं केंद्रीय दिशा-निर्देशों में सुधारों को समाहित करना:** सुधारों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), अमृत मिशन (AMRUT) तथा CVC/CPWD जैसे केंद्रीय कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों से जोड़ दिया जाना चाहिये ताकि स्थानीय स्तर पर इनका विरोध कठिन हो जाये।
- **सुधारों को दक्षता और लागत-बचत के उपायों के रूप में प्रस्तुत करना:** पारदर्शिता सुधारों को न केवल भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, बल्कि उन्हें **तेज़ी से क्रियान्वयन, लागत-दक्षता** और बेहतर सार्वजनिक संतुष्टि के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिससे वे राजनीतिक अभिकर्त्ताओं के लिये अधिक स्वीकार्य बन सकें।
- **हितधारक स्वामित्व का निर्माण:** सुधार संवाद में स्थानीय विधायकों, सांसदों और पंचायत प्रमुखों को आरंभिक रूप से शामिल किया जाना चाहिये। इस बात पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि स्वच्छ परियोजनाएँ किस प्रकार उनकी सार्वजनिक छवि और चुनावी समर्थन को मज़बूत करती हैं।
- **प्रायोगिक मॉडल और सफलता का प्रदर्शन:** एक या दो विकास खंडों में इन सुधारों को प्रायोगिक रूप से लागू किया जाना चाहिये, वहाँ से मिली सफलता (जैसे: लागत में बचत, जन-प्रशंसा) को दस्तावेज़ित कर पूरे ज़िले में विस्तार किया जाना चाहिये।
- **नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग और मान्यता:** मासिक प्रगति रिपोर्टें सार्वजनिक की जानी चाहिये, स्वच्छ परियोजनाओं को मीडिया में उजागर किया जाना चाहिये और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिये, इससे जवाबदेही की संस्कृति निर्मित होगी।
- **मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) के माध्यम से संस्थागत स्मृति:** परियोजना निगरानी हेतु SOPs तैयार और लागू किये जाने चाहिये ताकि प्रक्रियाएँ व्यक्ति-केंद्रित नहीं बल्कि व्यवस्था-केंद्रित बन सकें।

निष्कर्ष:

भारतीय दर्शन के अनुसार धर्म का तात्पर्य है— **नि:स्वार्थ भाव से न्यायोचित कर्त्तव्य का निर्वहन**। सत्य और कर्त्तव्य को निभाने से दीर्घकालिक न्याय तथा जनहित सुनिश्चित होता है।

एक लोकसेवक को निष्काम कर्म के मार्ग पर चलना चाहिये, जहाँ सेवा व्यक्तिगत लाभ या भय से नहीं, बल्कि नैतिक दृढ़ता से प्रेरित होती है।

प्रश्न : विक्रम, राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत एक पर्यावरण अधिकारी हैं जो निर्माण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय नियमों की निगरानी और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है। हाल ही में, एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने शहर के बाह्य क्षेत्र में एक नए आवासीय परिसर का प्रस्ताव रखा है और विक्रम के विभाग को इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है। कंपनी ने

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

आवश्यक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें कहा गया है कि निर्माण का स्थानीय पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्ट की समीक्षा करते समय, विक्रम को कई विसंगतियाँ और चूक नज़र आती हैं। स्थानीय वन्यजीवों, मृदा की गुणवत्ता और जल स्रोतों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण विवरणों को या तो कम दर्शाया गया है या पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है। विक्रम के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि निर्माण का स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन डेवलपर्स ने एक स्थानीय चैरिटी को एक बड़ा दान दिया है जिससे विक्रम का विभाग जुड़ा हुआ है। इस चैरिटी ने पूर्व में में कई पर्यावरणीय पहलों को वित्त पोषित किया है, साथ ही विक्रम को पता है कि यह चैरिटी, विभाग की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा तथा भविष्य में और अधिक वित्तीय संसाधन आकर्षित करेगा।

इसके अतिरिक्त, विक्रम के वरिष्ठ अधिकारी, जो विभाग के प्रमुख हैं, ने सार्वजनिक रूप से इस परियोजना की सराहना करते हुए इसे शहर के विकास के लिये अत्यंत आवश्यक बताया है तथा संकेत दिया है कि यदि पर्यावरणीय रिपोर्ट अनुकूल पाई जाती है तो रियल एस्टेट कंपनी को शीघ्र स्वीकृति मिल सकती है।

विक्रम पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के अपने कर्त्तव्य, दीर्घकालिक पारिस्थितिक परिणामों को लेकर अपनी चिंता और अपने विभाग के लिये भविष्य में वित्त पोषण के अवसरों के बदले में विकास का समर्थन करने के दबाव के बीच उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं।

(a) पर्यावरणीय समीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये विक्रम को इस स्थिति में क्या करना चाहिये?

(b) यदि रियल एस्टेट कंपनी विसंगतियों के बावजूद विक्रम पर रिपोर्ट को स्वीकृति देने का दबाव डालती है, तो वह अपने निर्णय को किस प्रकार उचित ठहरा सकता है?

(c) इस मामले में व्यक्तिगत हित और बाह्य दबाव पर्यावरणीय नैतिकता से किस प्रकार समझौता करते हैं तथा भविष्य की परियोजनाओं में इस तरह के टकराव को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

परिचय:

एक पर्यावरण अधिकारी के रूप में, **विक्रम को एक विशिष्ट नैतिक दुविधा** का सामना करना पड़ता है जिसमें पेशेवर कर्त्तव्य और **बाह्य दबावों —संस्थागत एवं व्यक्तिगत** दोनों, के बीच द्वंद्व शामिल है। उनके निर्णयों में शासन के **नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए पारिस्थितिक संधारणीयता, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा और जनहित के बीच संतुलन** बनाए रखना आवश्यक है।

(a) पर्यावरणीय समीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये विक्रम को इस स्थिति में क्या करना चाहिये?

- **EIA रिपोर्ट का विस्तृत पुनर्मूल्यांकन:** विक्रम को **विसंगतियों को इंगित करते हुए एक तथ्यात्मक और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन** तैयार करना चाहिये।
  - पर्यावरण संबंधी चिंताओं की पुष्टि करने के लिये **वैज्ञानिक डेटा, उपग्रह इमेजरी या विशेषज्ञ परामर्श** का उपयोग करना चाहिये।
- **सभी अवलोकनों एवं संवादों का वस्तुनिष्ठ दस्तावेजीकरण:** व्यक्तिगत दायित्व से बचने के लिये **अवलोकनों और संवादों का** विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिये।
  - इससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है और मनमाने निर्णयों से सुरक्षा मिलती है।
- **चिंताओं का आंतरिक तथा औपचारिक ढंग से प्रस्तुतीकरण:** आंतरिक रिपोर्ट के माध्यम से **विभाग प्रमुख** को निष्कर्षों से अवगत कराया जाना चाहिये।
  - मामले को **सार्वजनिक हित और दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षति** के मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, **न कि व्यक्तिगत राय के रूप में।**
  - भाषा संयमित होनी चाहिये, अर्थात् भावनात्मक अथवा आरोपात्मक शैली से बचना चाहिये तथा शासकीय और नैतिक शिष्टाचार का पालन करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **शमन उपायों और विकल्पों का सुझाव:** सिफारिश करना चाहिये कि परियोजना को **केवल सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ ही स्वीकृति** दी जाए।
  - एक **संशोधित EIA रिपोर्ट, अतिरिक्त पर्यावरणीय ऑडिट** अथवा **स्थल-विशिष्ट शमन योजनाएँ** (जैसे: बफर ज़ोन, जल संरक्षण रणनीतियाँ) प्रस्तावित की जा सकती हैं।
  - **यह दृष्टिकोण स्थायी विकास के सिद्धांतों के अनुरूप** है, न कि केवल विरोध या अनियंत्रित अनुमोदन के।
- **विधिक और संस्थागत कार्यढाँचे का उपयोग:** जाँच को उचित ठहराने के लिये **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, EIA अधिसूचना (2006)** या **जैव विविधता अधिनियम** के प्रावधानों का उपयोग करें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, EIA अधिसूचना (2006), या जैवविविधता अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए समुचित जाँच को न्यायोचित ठहराया जाना चाहिये।
  - यदि विभागीय स्तर पर **निराकरण संभव न हो, तो स्वतंत्र मूल्यांकन समिति** या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) जैसे **नियामक निकायों को संज्ञान में** लिया जाना चाहिये।
- **दान से संबंधित आचार संहिता का पालन:** दान को नियामक मूल्यांकन से **स्पष्ट रूप से अलग रखने** की सिफारिश करें। इस बात की सिफारिश की जानी चाहिये कि दान को नियामक मूल्यांकन से पूर्णत: अलग रखा जाये।
  - किसी धर्मार्थ संस्था को दिया गया दान, भले ही लाभदायक हो, **वैधानिक कर्त्तव्यों को प्रभावित नहीं करना चाहिये।** हितों के टकराव से बचने के लिये वित्तपोषण में पारदर्शिता आवश्यक है।
- **यदि आवश्यक हो तो जिम्मेदारी से आगे बढ़ें:** यदि कोई अनुचित दबाव उत्पन्न हो या प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता हो, तो आंतरिक विकल्पों को पूर्णत: अपनाने के पश्चात व्हिसल-ब्लोअर तंत्र का सहारा लिया जाना चाहिये।
- यह कदम भी केवल नैतिकता एवं कानूनी दायित्व के अनुरूप होना चाहिये।

(b) यदि रियल एस्टेट कंपनी विसंगतियों के बावजूद विक्रम पर रिपोर्ट को स्वीकृति देने का दबाव डालती है, तो वह अपने निर्णय को किस प्रकार उचित ठहरा सकता है?

रियल एस्टेट कंपनी जैसे निहित स्वार्थों के दबाव का सामना करते हुए, विक्रम को **विधिक तर्क, नैतिक कर्त्तव्य** और जनहित के आधार पर उचित ठहराना चाहिये। उनकी **औचित्य-स्थापना** पेशेवर, तथ्यपरक तथा सुशासन एवं सतत् विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिये।

- **कानूनी और नियामक औचित्य**
  - **वैधानिक दायित्व:** विक्रम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत **निर्धारित अपने दायित्व का उल्लेख** कर सकते हैं, जो सटीक तथा व्यापक पर्यावरणीय मूल्यांकन की आवश्यकता को अनिवार्य बनाता है।
  - **उचित प्रक्रिया:** विसंगतियों की उपस्थिति EIA रिपोर्ट को गैर-अनुपालन योग्य बनाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी अनुमोदन कानूनी रूप से संदिग्ध होगा।
  - **सार्वजनिक उत्तरदायित्व:** नियमों की अवहेलना करके लिये गए निर्णयों के लिये सरकारी अधिकारी उत्तरदायी होते हैं; उचित **जाँच के बिना अनुमोदन करने पर कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई** हो सकती है।
- **नैतिक और व्यावसायिक औचित्य**
  - **निष्ठा एवं निष्पक्षता:** विक्रम को स्पष्ट करना चाहिये कि उनकी भूमिका **एक निष्पक्ष मूल्यांकनकर्त्ता** की है, **न कि त्रुटिपूर्ण रिपोर्टों को अनुमोदन प्रदान करने वाले एक सहयोगी की।**
  - **सार्वजनिक विश्वास:** विक्रम यह तर्क दे सकते हैं कि उनका निर्णय **नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण** प्रदान करने के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत) की रक्षा करता है।
  - **हितों का टकराव:** यदि **कोई निर्णय दान या बाह्य दबाव के प्रभाव में** लिया जाता है तो वह **नैतिक मानकों का उल्लंघन** होगा तथा शासन प्रणाली में जनविश्वास को क्षति पहुँचेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

- **तथ्य-आधारित स्पष्टीकरण**
    - कंपनी को रिपोर्ट में पाई गई **दस्तावेज़ी विसंगतियों** (जैसे: जल स्रोतों, वन्यजीव प्रभाव आदि की जानकारी का अभाव) **से अवगत** कराया जाना चाहिये।
    - यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिये कि **तकनीकी दृष्टिकोण से यह रिपोर्ट वर्तमान रूप में अनुमोदन योग्य नहीं** है।
    - इस बात पर बल दिया जाना चाहिये कि **सुधार एवं पुनः प्रस्तुतीकरण संभव है** और स्वीकार करने योग्य है।
- **रचनात्मक विकल्प**
    - कंपनी को आश्वस्त करना चाहिये कि यह **परियोजना की अस्वीकृति नहीं** है, **बल्कि अधिक जिम्मेदार** और **कानून-अनुपालक दृष्टिकोण का आह्वान** है।
    - **संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) लागू करने** या **पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शामिल करने** जैसे कदम सुझाए जाने चाहिये।
    - यह रेखांकित किया जाना चाहिये कि **उचित अनुपालन** आगे चलकर **अनुमोदन की गति को बढ़ायेगा तथा विधिक विवादों के जोखिम को कम करेगा।**

(c) इस मामले में व्यक्तिगत हित और बाह्य दबाव पर्यावरणीय नैतिकता से किस प्रकार समझौता करते हैं तथा भविष्य की परियोजनाओं में इस तरह के टकराव को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

पर्यावरणीय नैतिकता से समझौता करने वाले व्यक्तिगत हित और बाह्य दबाव:

- **प्रबंधन उत्तरदायित्व का उल्लंघन: संरक्षण उत्तरदायित्व का उल्लंघन:** एल्डो लियोपोल्ड की 'भूमि नीति' के अनुसार, **मनुष्य 'भूमि समुदाय के सदस्य हैं, उसके विजेता नहीं'।**
    - पर्यावरणीय क्षति की उपेक्षा में विक्रम की संभावित संलिप्तता प्रकृति के प्रति इस नैतिक **संरक्षण उत्तरदायित्व का उल्लंघन** करती है।
- **सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle) की अवहेलना:** जैवविविधता एवं जल स्रोतों पर स्पष्ट जोखिम के बावजूद अनुमोदनों में शीघ्रता का दबाव '**सावधानी सिद्धांत' के विरुद्ध** है, जो यह निर्देश देता है कि यदि अपरिवर्तनीय क्षति की संभावना हो तो **वैज्ञानिक निश्चितता की पूर्णता के अभाव में भी निवारक कार्रवाई** की जानी चाहिये।
- **हितों का टकराव और वस्तुनिष्ठता का ह्रास:** दान या विभागीय छवि संवर्द्धन के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की संभावना निर्णय-निर्माण में पक्षपात उत्पन्न कर सकती है, जो कि तात्कालिक लाभ को दीर्घकालिक जनकल्याण पर वरीयता देने के कारण **उपयोगितावादी नैतिकता** (Utilitarian Ethics) **का उल्लंघन** है।
- **अंतर-पीढ़ीगत न्याय (Intergenerational Equity) की उपेक्षा: लालच-प्रेरित विकास** भावी पीढ़ियों के लिये सुरक्षित एवं स्थिर पर्यावरण के अधिकार को प्रभावित करता है, जो '**अंतर-पीढ़ीगत न्याय' के सिद्धांत के विपरीत** है, जो समय के पार निष्पक्षता की माँग करता है।
- **मानव-केंद्रित सोच बनाम पारिस्थितिक नैतिकता:** बाह्य दबाव मानव-केंद्रित विकास (Anthropocentrism) को बढ़ावा देते हैं, जो '**गहन पारिस्थितिकी' के उन सिद्धांतों की अवहेलना** है **जो समस्त जीवों के अंतर्निहित मूल्य को मान्यता देते हैं, न कि केवल मानव उपयोगिता के आधार पर।**

भविष्य की परियोजनाओं में ऐसे टकरावों से बचाव हेतु उपाय:

- **प्रासंगिक जवाबदेही के लिये संस्थागत तंत्र:** तृतीय पक्ष के विशेषज्ञों के साथ स्वतंत्र EIA समीक्षा बोर्ड हितों के टकराव को कम कर सकते हैं।
    - अनुचित कॉर्पोरेट प्रभाव को रोकने के लिये दान और संबद्धता का अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण।
- **नैतिक क्षमता निर्माण:** सिविल सेवा प्रशिक्षण में पर्यावरणीय नैतिकता एवं नैतिक चिंतन (जैसे: लियोपोल्ड की भूमि नैतिकता, पीटर सिंगर के पशु-अधिकार) को सम्मिलित किया जाना चाहिये ताकि **पारदर्शिता, ईमानदारी एवं पारिस्थितिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित** हो।
- **कानूनी और विनियामक सुधार:** जानबूझकर किये गए डेटा चूक के लिये **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के तहत दंड** को सख्त किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** और **EIA 2006 दिशानिर्देशों** के तहत सख्त अनुपालन लागू किया जाना चाहिये।

- **सार्वजनिक भागीदारी और पारदर्शिता:** परियोजना समीक्षा में सार्वजनिक सुनवाई और सामुदायिक भागीदारी लोकतांत्रिक निगरानी सुनिश्चित करती है।
    - **पारिस्थितिक नारीवादी अंतर्दृष्टि** हमें यह सोचने के लिये प्रेरित करती है कि **पर्यावरणीय क्षरण किस प्रकार असुरक्षित आबादी** (जैसे: जल की कमी वाले महिला-नेतृत्व वाले समुदाय) **पर प्रतिकूल प्रभाव** डालता है।
- **सतत् विकास को बढ़ावा:** लालच से प्रेरित शोषण के स्थान पर **आवश्यकता आधारित विकास** (जैसे, **नवीकरणीय ऊर्जा, सतत शहरीकरण) को** प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
    - **जलवायु-संवेदनशील शहरी नियोजन** को लागू किया जाना चाहिये, विकासात्मक लक्ष्यों के साथ पारिस्थितिक संरक्षण को संतुलित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

'**गहन पारिस्थितिकी**' के दर्शन से प्रेरित होकर विक्रम को यह समझने की आवश्यकता है कि **प्रकृति केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवंत तंत्र है, जिसकी अपनी अंतर्निहित गरिमा एवं मूल्य हैं, जो मानव उपयोगिता से स्वतंत्र हैं।** इस प्रकार, **पर्यावरणीय नैतिकता का पालन** न केवल एक व्यावसायिक उत्तरदायित्व है, अपितु **मानव विकास और प्रकृति के अधिकारों के मध्य संतुलन बनाये रखने हेतु एक नैतिक अनिवार्यता है।**

प्रश्न : आप 'XYZ बायोटेक' के प्रबंध निदेशक हैं, जो भारत में स्थित एक तेज़ी से बढ़ती हुई दवा कंपनी है और जिसका संचालन कई विकासशील देशों में है। आपकी कंपनी ने हाल ही में तेज़ी से उत्परिवर्तित होते किसी उष्णकटिबंधीय रोग (जो उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों की बड़ी आबादी को प्रभावित कर रहा है) के लिये mRNA-आधारित एक सफल वैक्सीन विकसित की है।

इस वैक्सीन ने चरण-III के क्लिनिकल ट्रायल में 94% प्रभावशीलता प्रदर्शित की है और इसमें हज़ारों लोगों की जान बचाने की क्षमता है। हालाँकि, यह वैक्सीन निर्माण में महँगी है क्योंकि इसके लिये विशेष कोल्ड-चेन भंडारण और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लाइसेंस प्राप्त स्वामित्व बायोटेक्नोलॉजी इनपुट्स की आवश्यकता होती है। आपके निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित मूल्य निर्धारण रणनीति अनुसंधान एवं विकास निवेश की भरपाई और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ₹3000 प्रति खुराक तय की गई है, जो लक्षित क्षेत्रों में कई कम आय वाली आबादी के लिये इस वैक्सीन को वहन करने योग्य नहीं बनाता है।

इस बीच, कई गैर-सरकारी संगठन, वैश्विक स्वास्थ्य संगठन और यहाँ तक कि कुछ सरकारें भी आपसे अपने पेटेंट अधिकारों को त्यागने या सस्ते संस्करणों की अनुमति देने के लिये मूल्य निर्धारण में स्तर-आधारित भिन्नता अपनाने या सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण के लिये स्वैच्छिक लाइसेंसिंग देने का आग्रह कर रही हैं।

आप निवेशकों के दबाव में भी हैं, जो नवाचार से उच्च लाभ की अपेक्षा रखते हैं। कुछ हितधारक सुझाव दे रहे हैं कि परीक्षणों को उन देशों में आउटसोर्स कर दिया जाये जहाँ विनियामक मानक कमज़ोर हैं, जबकि अन्य सुझाव देते हैं कि पहले समृद्ध ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित किया जाये और अविकसित/विकासशील देशों में उपलब्धता को टाल दिया जाये। आप इस बात को लेकर द्वंद में हैं, क्योंकि आप सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक अधिकार मानते हैं, लेकिन साथ ही अपने शेयरधारकों, कर्मचारियों और कंपनी की दीर्घकालिक संवहनीयता का आप पर दायित्व भी है।

1. **इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और उन पर चर्चा कीजिये।**
2. **ऊपर वर्णित स्थिति पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी?**
3. **यदि कोई वैश्विक स्वास्थ्य गठबंधन आपके टीके के स्वैच्छिक लाइसेंस की माँग करता है, तो आप नैतिक और रणनीतिक दोनों रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे?**
4. **एक कर्त्तव्यनिष्ठ लोक-हितैषी कार्यकारी के रूप में, एक संतुलित रणनीति का सुझाव दीजिये जो नवाचार, सामर्थ्य और नैतिक सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करे।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

परिचय:

XYZ बायोटेक ने निम्न-आय वाले क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले एक उष्णकटिबंधीय रोग के निदान के लिये एक जीवनरक्षक mRNA वैक्सीन विकसित की है। हालाँकि, उच्च उत्पादन लागत और प्रस्तावित मूल्य निर्धारण, वहन सामर्थ्य को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करते हैं। कंपनी वैश्विक स्वास्थ्य संस्थाओं से नैतिक दबाव और निवेशकों से वित्तीय दबाव का सामना कर रही है। प्रबंध निदेशक के रूप में, नवाचार, सुलभता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाना मेरा दायित्व है।

मुख्य भाग:

1. इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों का अभिनिर्धारण कीजिये और उन पर चर्चा कीजिये।

- **बौद्धिक संपदा अधिकार बनाम सामाजिक उत्तरदायित्व:** पेटेंट अधिकारों को छोड़ने या स्तरीकृत मूल्य निर्धारण के अंगीकरण में बोर्ड की अनिच्छा, किफायती अभिगम के लिये वैश्विक अपीलों के साथ असंगत है।
  - स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान बौद्धिक संपदा अधिकार का अत्यधिक **संरक्षण, सामान्य हित एवं वैश्विक एकजुटता का उल्लंघन** कर सकता है।
- **लागत में कमी के साधन (जैसे: कमज़ोर नियामक क्षेत्रों को आउटसोर्सिंग):** खराब विनियमन वाले क्षेत्रों में नैदानिक परीक्षणों को आउटसोर्स करके लागत कम करना नैतिक और कानूनी चिंताएँ उत्पन्न करता है।
  - यह **अहित न करने** (किसी को नुकसान न पहुँचाना) और **सूचित सहमति के सिद्धांतों का उल्लंघन** करता है।
- **अविकसित/विकासशील देशों के लिये टीके की उपलब्धता में विलंब:** अमीर बाजारों को प्राथमिकता देने से कम आय वाले देशों में टीके की उपलब्धता में विलंब होता है।
  - यह **वितरणात्मक न्याय का उल्लंघन** करता है और इससे रोकी जा सकने वाली मौतें हो सकती हैं।
- **दीर्घकालिक नैतिक व्यावसायिक संवहनीयता:** अल्पकालिक लाभ अधिकतमीकरण फर्म की नैतिक छवि और वैश्विक विश्वास को नुकसान पहुँचा सकता है।
  - व्यवहार नैतिकता दीर्घकालिक विश्वसनीयता और हितधारकों के विश्वास को सुनिश्चित करता है, जो गांधीवादी 'अंत्योदय' सिद्धांत (**अंतिम व्यक्ति के उत्थान के अनुरूप** है।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम लाभ अधिकतमीकरण:** टीके में जीवन रक्षक क्षमता है, लेकिन इसकी कीमत कम आय वाले देशों में कई लोगों की पहुँच से बाहर है।
  - उच्च मूल्य निर्धारण के कारण टीके तक अभिगम से अस्वीकृति **न्याय और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन** है।

2. ऊपर वर्णित स्थिति पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी?

XYZ बायोटेक के प्रबंध निदेशक के रूप में, मेरी **तत्काल प्रतिक्रिया** एक **संतुलित और नैतिक रूप से व्यावहारिक दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित** होगी, जिसका लक्ष्य होगा:

- जीवन की रक्षा
- व्यावसायिक संवहनीयता सुनिश्चित करना
- वैश्विक दायित्व को निभाना
- हितधारकों का विश्वास बनाए रखना

स्थिति पर तत्काल प्रतिक्रिया:

- **एक स्तरीय मूल्य निर्धारण रणनीति शुरू करना:** देशों के आय स्तर के आधार पर विभेदक मूल्य निर्धारण लागू किया जा सकता है:
  - **उच्च आय वाले देश:** ₹3000/खुराक (पूरी कीमत)
  - **मध्यम आय:** मध्यम सब्सिडी
  - **निम्न आय (LDC और LMIC):** भारी सब्सिडी या लागत के करीब मूल्य निर्धारण।
  - **तर्क:** विकसित देशों से राजस्व सुनिश्चित किया जाएगा जबकि गरीब आबादी तक सुगम्यता की अनुमति दी जानी चाहिये।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का अन्वेषण:** GAVI, WHO और UNICEF जैसी वैश्विक स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ सहयोग किया जा सकता है:
  - थोक खरीद के लिये धन संग्रहण।
  - लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन अवसंरचना साझाकरण।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- दूरस्थ क्षेत्रों में वितरण में सहायता।
- **तर्क:** व्यापक पहुँच सुनिश्चित करते हुए कंपनी के लॉजिस्टिकल बोझ को कम करना चाहिये।

- **शर्तों के अधीन स्वैच्छिक लाइसेंसिंग:** कम आय वाले क्षेत्रों में विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माताओं को स्वैच्छिक लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।
  - गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखना।
  - बातचीत के आधार पर **रॉयल्टी के साथ सामर्थ्य** सुनिश्चित करना।
  - तर्क: बौद्धिक संपदा अधिकारों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित। स्थायी प्रौद्योगिकी अंतरण का समर्थन किया जाएगा।
- **नैतिक नैदानिक परीक्षण नीति:** एक स्पष्ट नीति जारी की जाएगी जिसमें:
  - परीक्षण केवल उन देशों में आयोजित किये जाएँगे जहाँ सुदृढ़ नैतिक समीक्षा तंत्र हैं।
  - सूचित सहमति और परीक्षण के बाद की देखभाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
  - **तर्क: जैव-नैतिकता** के सिद्धांतों की पूर्ति: स्वायत्तता, उपकार, अहित न करने के सिद्धांत पर आधारित।
- **निवेशकों के साथ पारदर्शी तरीके से जुड़ना:** हितधारक परामर्श आयोजित किये जाएँगे:
  - नैतिक नेतृत्व के दीर्घकालिक ब्रांड मूल्य की व्याख्या की जाएगी
  - विकासशील देशों में भविष्य के बाज़ारों की संभावनाओं का प्रदर्शन
  - स्तरीय मूल्य निर्धारण को एक स्थायी, प्रतिष्ठा-निर्माण कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा
  - **तर्क:** विश्वास का निर्माण करने पर आधारित, प्रतिक्रिया को कम करना और निवेशकों की अपेक्षाओं को नैतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत एक कोष स्थापित करना:** लाभ का एक हिस्सा निम्नलिखित के समर्थन के लिये आवंटित किया जाएगा:
  - नि:शुल्क टीकाकरण अभियान
  - ग्रामीण कोल्ड-चेन अवसंरचना
  - स्वास्थ्य शिक्षा और आउटरीच
  - **तर्क:** स्वास्थ्य समानता के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

3. यदि कोई वैश्विक स्वास्थ्य गठबंधन आपके टीके के स्वैच्छिक लाइसेंस की माँग करता है, तो आप नैतिक और रणनीतिक दोनों रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे?

मैं **सार्वजनिक स्वास्थ्य की नैतिक अनिवार्यता को व्यावसायिक संवहनीयता और नवाचार निरंतरता की रणनीतिक आवश्यकता** के साथ संतुलित करने के लिये एक **सशर्त, संरचित मॉडल के तहत स्वैच्छिक लाइसेंसिंग के लिये सहमत** हूँ।

नैतिक औचित्य

- **मानवीय उत्तरदायित्व:** जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में, मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं **स्वास्थ्य को एक मूल अधिकार के रूप में** बनाए रखूँ, विशेष रूप से एक जानलेवा उष्णकटिबंधीय रोग के संदर्भ में।
  - लागत के कारण अभिगम से इनकार करना **न्याय, समानता और परोपकार के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन** होगा।
- **वैश्विक एकजुटता का सिद्धांत:** संकट के समय में जीवन रक्षक नवाचारों को साझा करना **करुणा और उपयोगितावाद** (अधिकतम लोगों के लिये कल्याण को अधिकतम करना) के मूल्यों के अनुरूप है।
  - यह '**मानवता की अन्योन्याश्रयता**' के नैतिक मानक को भी कायम रखता है, विशेष रूप से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में।
- **नैतिक नेतृत्व:** MD के रूप में, मुझे न केवल एक कॉर्पोरेट कार्यकारी के रूप में, बल्कि एक नैतिक प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- बौद्धिक संपदा अधिकारों को पूरी तरह त्यागे बिना उचित शर्तों के तहत लाइसेंसिंग ज़िम्मेदार नवाचार की एक मिसाल कायम कर सकती है।

रणनीतिक व्यावसायिक औचित्य:

- **पहुँच साझा करते हुए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा:** मुझे पूर्ण छूट का समर्थन नहीं करना चाहिये, बल्कि **सुरक्षा उपायों के साथ स्वैच्छिक लाइसेंसिंग की अनुमति** दी जानी चाहिये:
  - रियायती दरों पर रॉयल्टी
  - सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित भागीदारों तक सीमित विनिर्माण
  - व्यावसायिक बाज़ारों की सुरक्षा के लिये कोई निर्यात खंड नहीं
- **ब्रांड इक्विटी और वैश्विक विश्वसनीयता को मज़बूत करना:** नैतिक जवाबदेही का प्रदर्शन दीर्घकालिक विश्वास, प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सद्भावना को बढ़ाता है।
  - यह वैश्विक भागीदारों (जैसे: गेट्स फाउंडेशन, GAVI) को आकर्षित कर सकता है और XYZ बायोटेक को भविष्य के अनुबंधों के लिये एक पसंदीदा भागीदार के रूप में स्थापित कर सकता है।
- **पूरी लागत के बोझ के बिना आपूर्ति का जोखिम कम करना और पहुँच का विस्तार करना:** लाइसेंसिंग कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन एवं वितरण का कार्य सौंपने में सहायता करता है, जबकि मुख्य संसाधनों को नवाचार और अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित करता है।
  - बाज़ार कवरेज सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढाँचे की लागत से बचता है।
- **पारदर्शी संचार के माध्यम से निवेशक संरेखण:** मेरे लिये शेयरधारकों को समझाना आवश्यक है कि यह रणनीति:
  - बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखती है
  - रॉयल्टी के माध्यम से वैकल्पिक राजस्व स्रोत बनाती है
  - भविष्य के नये बाज़ार खोलती है
  - प्रतिष्ठा या नियामकीय प्रतिक्रिया के विरुद्ध समुत्थानशील बनाती है

4. एक कर्त्तव्यनिष्ठ लोक-हितैषी कार्यकारी के रूप में, एक संतुलित रणनीति का सुझाव दीजिये जो नवाचार, सामर्थ्य और नैतिक सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करे।

रणनीति: मेरे लिये **सुरक्षा उपायों के तहत स्वैच्छिक लाइसेंसिंग के साथ एक स्तरीय मूल्य निर्धारण मॉडल** अपनाना आवश्यक है, निम्न-आय वितरण के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी में संलग्न रहना और नवाचार एवं अभिगम के बीच संतुलन बनाने के लिये रॉयल्टी-आधारित लाइसेंसिंग के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों को बनाए रखना आवश्यक है।

औचित्य:

- मेरा लक्ष्य **अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम भलाई के सिद्धांत के अनुरूप** अधिकतम लोगों के जीवन (**उपयोगितावाद-अधिकतम कल्याण**) को बचाना है।
- एक जनहितैषी कार्यकारी के रूप में, **मानव जीवन और गरिमा की रक्षा करना मेरा नैतिक कर्त्तव्य** है, जो कि कर्त्तव्य-नैतिकता (डीओन्टोलॉजिकल एथिक्स) का पालन करता है तथा **स्वास्थ्य आपातकाल में विशेष लाभ के विचारों की उपेक्षा** कर देता है।
- करुणा, उत्तरदायित्व और ईमानदारी के साथ कार्य करना नैतिक नेतृत्व से अपेक्षित गुणों को दर्शाता है, विशेष रूप से जीवन विज्ञान क्षेत्र में।
- सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिये अभिगम को प्राथमिकता देना वितरणात्मक न्याय (रॉल्सियन एथिक्स) सुनिश्चित करता है, जिससे सभी व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति की परवाह किये बिना **जीवित रहने का उचित अवसर** मिलता है।

निष्कर्ष:

इस दुविधा से निपटने में, लक्ष्य नवाचार को समावेशिता के साथ सामंजस्य बिठाना होना चाहिये— यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि दीर्घकालिक संवहनीयता से समझौता किये बिना, जीवन रक्षक स्वास्थ्य सेवा उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यक है। नैतिक नेतृत्व सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायित्व को नज़रअंदाज़ किये बिना जनहित को चुनने में निहित है। जैसा कि **अल्बर्ट श्वित्ज़र** ने कहा था, ***"नैतिकता जीवन के प्रति श्रद्धा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।"***

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : नैतिक शासन के संदर्भ में, संयम का गुण असमानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों को सुलझाने में निर्णय-निर्माण का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक सिद्धांत का उपयोग करके संयम के बारे में जानकारी देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- असमानता को दूर करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मितव्ययिता की भूमिका बताइये।"
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

असमानता और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे मुद्दों से निपटने में **संयम का नैतिक सिद्धांत** (अर्थात् संयम, नियंत्रण तथा संतुलन की क्षमता) महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सिद्धांत **अरस्तू के "गोल्डन मीन"** (संतुलन का सिद्धांत) में निहित है, जो अत्यंतताओं के बीच संतुलन खोजने का समर्थन करता है।

मुख्य भाग:

असमानता को संबोधित करने में संयम:

- **न्यायसंगत संपत्ति वितरण:** संयम का सिद्धांत संपत्ति के समान वितरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे धन की असमानता को कम करने में मदद मिलती है।
  - उदाहरण के लिये **स्वीडन की प्रगतिशील कर प्रणाली** सुनिश्चित करती है कि संपन्न नागरिक अधिक कर दें, जिसे बाद में सार्वजनिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये पुन: वितरित किया जाता है, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है।
- **समावेशी आर्थिक विकास:** संयम ऐसा विकास मॉडल सुझाता है जिससे समाज के सभी वर्गों हेतु लाभकारी हो, न कि केवल संपन्न वर्ग के लिये।
  - **भारत में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)** इसका उदाहरण है, जिसने करोड़ों असंगठित लोगों को बैंकिंग सुविधाएँ देकर वित्तीय बहिष्करण को कम किया तथा समावेशी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया।
- **सामाजिक सुरक्षा तंत्र:** संयम एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है।
  - उदाहरणस्वरूप **नॉर्वे की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली** सभी को समान चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करती है, जिससे स्वास्थ्य असमानताओं में कमी आती है तथा कोई भी व्यक्ति आर्थिक कमी के कारण पीछे नहीं छूटता।
- **अवसरों तक न्यायपूर्ण पहुँच को प्रोत्साहन:** आर्थिक उदारवाद की अतिशयता को कम करके, संयम वंचित समूहों के लिये अवसर उत्पन्न करने में मदद करता है।
  - उदाहरणत: शिक्षा और रोज़गार में **सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ** हाशिये पर पड़े समुदायों के उत्थान में मदद करती हैं तथा सभी के लिये अधिक समानता सुनिश्चित करती हैं।

पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में संयम:

- **संतुलित संसाधन उपयोग:** संयम प्राकृतिक संसाधनों के ज़िम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे अल्पकालिक लाभ के लिये उनका अत्यधिक दोहन रोका जा सके।
  - नीदरलैंड्स की जल प्रबंधन प्रणाली जैसे बाढ़ सुरक्षा उपायों और सतत् कृषि पद्धतियाँ इस बात का उदाहरण हैं कि किस प्रकार विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन साधा जा सकता है।
- **हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** औद्योगिक विस्तार को संयमित कर पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाना संयम का ही एक रूप है।
  - कोपेनहेगन का वर्ष 2025 तक कार्बन-न्यूट्रल बनने का लक्ष्य, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और साइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, यह दिखाता है कि संयम कैसे सतत् शहरी विकास को प्रेरित कर सकता है।
- **उपभोग में संतुलन:** संयम अनावश्यक उपभोग को कम करने की प्रेरणा देता है, जिससे अपशिष्ट में कमी और संसाधनों का संरक्षण होता है।
  - जापान की रीसाइक्लिंग पहलें और सर्कुलर इकॉनमी पर ज़ोर, पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देने में संयम की भूमिका को दर्शाते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **आर्थिक और पर्यावरणीय नीतियों में संतुलन:** संयम ऐसी नीतियों को जन्म देता है जो आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच संतुलन बनाए रखती हैं।
  - उदाहरण के लिये **जर्मनी की एनर्जीवेंडे**, जो नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करती है, यह उदाहरण प्रस्तुत करती है कि नीति निर्माण में संयम किस प्रकार आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को बढ़ावा दे सकता है।
- **दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन:** संयम पर्यावरणीय चुनौतियों को दूरदृष्टि से देखने और दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने की सोच को प्रोत्साहित करता है।
- भारत के पंचामृत लक्ष्य, जो उत्सर्जन में कटौती और आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने पर केंद्रित हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण हैं।

निष्कर्ष:

जैसा कि **अरस्तू** ने सटीक रूप से कहा, ***"न्याय का गुण संयम में निहित है, जिसे बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जाता है।"*** यह उद्धरण **संयम के सार को पूरी तरह से दर्शाता है**। हालाँकि **संयम अकेले पर्याप्त नहीं है, इसे न्याय, बुद्धि और निष्पक्षता जैसे अन्य गुणों के साथ जोड़ा जाना चाहिये** ताकि शासन के लिये वास्तव में नैतिक और सतत् दृष्टिकोण बनाया जा सके।

प्रश्न : क्रिप्टोकरेंसी का उदय वित्तीय स्वतंत्रता और संभावित हानि (जैसे बाज़ार अस्थिरता व दुरुपयोग) के बीच एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी से उत्पन्न नैतिक चुनौतियों का प्रमुख नैतिक सिद्धांतों की दृष्टि से समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- क्रिप्टो के उदय और इसके आसपास के नैतिक मुद्दों के परिचय के साथ उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में क्रिप्टोकरेंसी द्वारा उत्पन्न नैतिक चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- भारत में क्रिप्टोकरेंसी विनियमन को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।
- उपर्युक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में क्रिप्टोकरेंसी कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। यह एक ओर वित्तीय स्वतंत्रता और नवाचार की संभावनाएँ प्रदान करता है, तो दूसरी ओर बाज़ार में अस्थिरता, सुरक्षा खामियों और अवैध गतिविधियों के दुरुपयोग जैसे जोखिम भी उत्पन्न करता है।

- **ये चुनौतियाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय और सामाजिक प्रभाव** के संबंध में महत्त्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाती हैं।

मुख्य भाग:

भारत में क्रिप्टोकरेंसी द्वारा उत्पन्न नैतिक चुनौतियाँ:

- **वित्तीय स्वतंत्रता बनाम बाज़ार अस्थिरता**
  - **उपयोगितावाद:** क्रिप्टोकरेंसी कुछ लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन इसकी सट्टा-प्रवृत्ति व्यापक हानि और असमानता को जन्म दे सकती है, जो "अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम भलाई" के सिद्धांत के विपरीत है।
  - **सद्गुण नैतिकता:** यह अत्यधिक जोखिम लेने से बचने के लिये संयमित रूप से क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, ताकि व्यक्ति और समाज दोनों को नुकसान से बचाया जा सके।
- **गोपनीयता बनाम अवैध गतिविधियों के लिये दुरुपयोग**
  - **कांटियन नैतिकता:** क्रिप्टोकरेंसी गोपनीयता प्रदान करती हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग (जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी) सार्वभौमिक नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, जो ज़िम्मेदार उपयोग की आवश्यकता को दर्शाता है।
  - **रूसो का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत:** जब व्यक्ति अवैध लाभ के लिये क्रिप्टोकरेंसी का प्रयोग करते हैं, तो वे सामाजिक अनुबंध को कमज़ोर करते हैं। समाज के हित को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखना चाहिये, जिसके लिये नैतिक विनियमन की आवश्यकता होती है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाम डिजिटल विभाजन**
  - **रॉल्स का न्याय सिद्धांत:** केवल 38% भारतीय परिवार डिजिटल साक्षर हैं, ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी असमानता को और बढ़ा सकती है तथा "न्याय का सिद्धांत" यानी निष्पक्षता का उल्लंघन करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **क्षमता दृष्टिकोण (अमर्त्य सेन):** नैतिक शासन का उद्देश्य यह होना चाहिये कि क्रिप्टोकरेंसी सभी के लिये सुलभ हो, जिससे व्यक्तियों की क्षमताएँ बढ़ें और किसी को भी बाहर न किया जाए।
- **अवसर की समानता:** यह आवश्यक है कि क्रिप्टोकरेंसी के लाभ हाशिये पर रहने वाले समुदायों तक भी पहुँचें, ताकि निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जा सके।

- **पर्यावरणीय प्रभाव बनाम तकनीकी प्रगति**
  - **सतत् नैतिकता:** क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग में ऊर्जा की अत्यधिक खपत पर्यावरणीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करती है, जिससे तकनीकी प्रगति और पारिस्थितिक प्रभाव के बीच एक नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है।
  - **परिणामवाद:** माइनिंग से होने वाला दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान, अल्पकालिक वित्तीय लाभ से अधिक हो सकता है, इसलिये पारिस्थितिक क्षति को कम करने के लिये नियमन आवश्यक है।
- **विनियामक निगरानी बनाम नवाचार**
  - **उदारवादी नैतिकता:** क्रिप्टोकरेंसी मूलत: वित्तीय स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण से मुक्ति को बढ़ावा देती है। हालाँकि यह आवश्यक है कि ऐसा संतुलन स्थापित हो जहाँ नवाचार बना रहे, लेकिन साथ ही संभावित हानि को रोकने हेतु नैतिक विनियमन भी हो।

क्रिप्टोकरेंसी द्वारा प्रस्तुत नैतिक चुनौतियों के मद्देनजर, मज़बूत नियामक उपायों को स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है जो संभावित नुकसान को कम करते हुए उनके सकारात्मक योगदान को सुनिश्चित करते हैं।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी विनियमन को मज़बूत करने के उपाय:

- **वित्तीय साक्षरता और समावेशिता को बढ़ावा देना:** क्रिप्टोकरेंसी तक न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना निष्पक्षता के लिये आवश्यक है, जैसा कि **रॉल्स के न्याय के सिद्धांत** में दर्शाया गया है।
  - डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचे में सुधार व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेने में सक्षम बनाने की कुंजी है।
- **अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये विनियमन:** क्रिप्टोकरेंसी को अवैध गतिविधियों के लिये उपयोग किये जाने से रोकने के लिये KYC विनियमन को लागू करना महत्त्वपूर्ण है, साथ ही समाज की रक्षा के नैतिक कर्त्तव्य का पालन करना भी आवश्यक है, जैसा कि कांटियन नैतिकता में कहा गया है।
  - विनियमों को सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग या कर चोरी के लिये न किया जाए, जैसा कि **सामाजिक अनुबंध सिद्धांत** द्वारा सुझाया गया है।
- **क्रिप्टोकरेंसी खनन में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना:** सस्टेनेबिलिटी एथिक्स (सततता नैतिकता) के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके लिये हरित ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, ताकि पारिस्थितिकीय ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।
- **सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करते हुए गोपनीयता सुनिश्चित करना:** नीतिवादी नैतिकता (Deontological Ethics) के अनुसार, गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार की हानि न हो। क्रिप्टो सिस्टम को ऐसा होना चाहिये जो उपयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता का सम्मान करना, साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
  - विनियमनों में ऐसा संतुलन बनाया जाना चाहिये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक भलाई दोनों को पूरा करना तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग में नैतिक ज़िम्मेदारी को कायम रखना, **जैसा कि भारतीय पौराणिक कथाओं (धर्म)** में कहा गया है।
- **नैतिक सीमाओं के साथ नवाचार की अनुमति देना:** क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए, शोषण को रोकने और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये नैतिक सीमाएँ निर्धारित करना आवश्यक है, **जैसा कि लिबरटेरियन एथिक्स द्वारा सुझाया** गया है।
- **विनियमन और जवाबदेही लागू करना:** नैतिक व्यवहार को स्पष्ट नियामक ढाँचे और आचार संहिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिये, सभी क्रिप्टोकरेंसी हितधारकों के बीच ज़िम्मेदारी और जवाबदेही पर जोर देना चाहिये, **जैसा कि सदाचार नैतिकता द्वारा समर्थन** की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- उल्लंघन के मामलों में विशुद्ध रूप से दंडात्मक उपायों के बजाय **शिक्षा** और **क्षतिपूर्ति** पर ध्यान केंद्रित करने से क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में नैतिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा, **जैसा कि रिस्टोरेटिव जस्टिस द्वारा** कहा गया है।

निष्कर्ष:

समाज में क्रिप्टोकरेंसी के सकारात्मक योगदान को सुनिश्चित करने के लिये **संयम, न्याय और ज़िम्मेदार शासन की** आवश्यकता सर्वोपरि है। *जैसा कि "**सच्चा नवाचार बनाने की स्वतंत्रता में नहीं, बल्कि विनियमित करने की बुद्धिमत्ता में निहित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रगति समाज की अखंडता से समझौता किये बिना समाज का उत्थान करती है।**"*

प्रश्न : "संस्थागत उत्तरदायित्व और प्रदर्शन मानकों के इस युग में, क्या लोक प्रशासन में परोपकारिता के लिये अभी भी स्थान है? विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- परोपकारिता के बारे में एक प्रासंगिक उद्धरण और संक्षिप्त विवरण के साथ परिचय दीजिये।
- वर्तमान परोपकारिता का महत्त्व क्यों कम हो रहा है तथा यह अभी भी प्रासंगिक क्यों है।
- एक उदाहरण के साथ संतुलन उपाय सुझाएँ।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

"लोक सेवा का अर्थ केवल कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से कार्य करना नहीं होना चाहिये। यह जनता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिये।" - **मार्गरेट चेज़ स्मिथ**

- **आज के लोक प्रशासन में, पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण** सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत जवाबदेही और प्रदर्शन मापदंड अपरिहार्य उपकरण बन गए हैं।
- फिर भी, इस तेज़ी से बढ़ते परिमाणात्मक पारिस्थितिकी तंत्र में, **परोपकारिता- दूसरों के कल्याण के लिये निस्वार्थ चिंता,** महत्त्वपूर्ण बनी हुई है, हालाँकि इसे हाशिए पर रखा जा रहा है।

मुख्य भाग:

आज परोपकारिता का महत्त्व क्यों कम हो रहा है:

- **मात्रात्मक प्रदर्शन पर अत्यधिक ज़ोर:** संख्याओं और लक्ष्यों पर सख्त ध्यान केंद्रित करने से करुणा, सहानुभूति या इरादे जैसे अमापनीय मूल्यों के लिये बहुत कम जगह बचती है।
  - *उदाहरण के लिये, **स्वच्छता अभियान के परिणामों को शौचालय निर्माण** के माध्यम से ट्रैक किया जाता है, लेकिन **उपयोग या व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से नहीं**- जहाँ परोपकारिता एक भूमिका निभाती है।*
- **सीमाओं का अतिक्रमण करने का भय:** लेखा-परीक्षण, आरटीआई का दबाव और मीडिया की जाँच बढ़ने से अधिकारी जोखिम से बचते हैं तथा परोपकारी सहजता पर अंकुश लगता है।
  - "ऐसी पहल क्यों की जाए जो प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या जिसके लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है?" यह एक बढ़ती हुई भावना है।
- **नियम-अनुपालन की नौकरशाही संस्कृति:** प्रक्रियागत शुद्धता को पुरस्कृत करने वाली संस्कृति अक्सर भावनात्मक रूप से प्रेरित या करुणामय प्रतिक्रियाओं को हतोत्साहित करती है।
- **व्यावसायिक बर्नआउट:** अत्यधिक कार्यभार और कम मान्यता प्राप्त सिविल सेवक परोपकारी आवेगों सहित आंतरिक प्रेरणा खो सकते हैं।
  - ***मास्लो का पदानुक्रम** दर्शाता है कि **परोपकारिता तभी उभरती है जब बुनियादी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं।***

लोक प्रशासन में परोपकारिता अभी भी प्रासंगिक क्यों है?

- **मानवीय शासन:** मापदण्ड वितरण का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन केवल परोपकारिता ही नागरिकों के साथ **संवाद में सहानुभूति और सम्मान** सुनिश्चित करती है- **विशेष रूप से कमज़ोर लोगों के साथ।**
  - *उदाहरण: **COVID-19 संकट के दौरान, आईएएस राजेंद्र भट्ट** जैसे लोक सेवकों ने अपने औपचारिक कर्तव्यों से परे, अलग-थलग पड़े वृद्ध नागरिकों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान की।*

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **व्यवस्थागत कमियों को कम करना:** कोई भी व्यवस्था या पैमाना हर स्थिति को कवर नहीं कर सकता। परोपकारी सिविल सेवक तब कार्य करते हैं जब व्यवस्था प्रभावित होती है।
  - किसी निर्देश के बिना भी दूरदराज के क्षेत्रों में दवाइयों की अंतिम छोर तक आपूर्ति की व्यवस्था करने वाला ज़िला कलेक्टर परोपकारी पहल को दर्शाता है।
- **सरकार में विश्वास बढ़ाना:** जब नागरिकों को सरकार की मंशा और देखभाल का अहसास होता है, न कि केवल प्रक्रियागत क्रियान्वयन का, तो वे सरकार पर अधिक विश्वास करते हैं और सहयोग करते हैं।
  - ***गांधीवादी विचार "सर्वोदय"*** *(सभी का कल्याण) अपेक्षा रहित सेवा पर ज़ोर देता है।*
- **नैतिक दुविधाओं में नैतिक सहारा:** जब नियमों में टकराव होता है या प्राथमिकताओं में टकराव होता है, तो परोपकारिता नैतिक निर्णय लेने के लिये नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करती है।
  - *नैतिकता में, यह* ***कांट के कर्तव्य-आधारित नैतिकता****- जो सही है वह करो, न कि जो पुरस्कृत किया जाता है, के साथ प्रतिध्वनित होता है।*
- **परोपकारिता नवाचार और जुनून को बढ़ावा देती है:** परोपकारिता से प्रेरित अधिकारी न्यूनतम आवश्यकताओं से आगे बढ़कर अक्सर अभिनव शासन की ओर अग्रसर होते हैं।
  - ***मोहम्मद अली शिहाब आईएएस, जो एक अनाथालय में पले-बढ़े हैं,*** *गरीबों के प्रति गहरी सहानुभूति के साथ अविकसित क्षेत्रों में अथक परिश्रम करते हैं।*

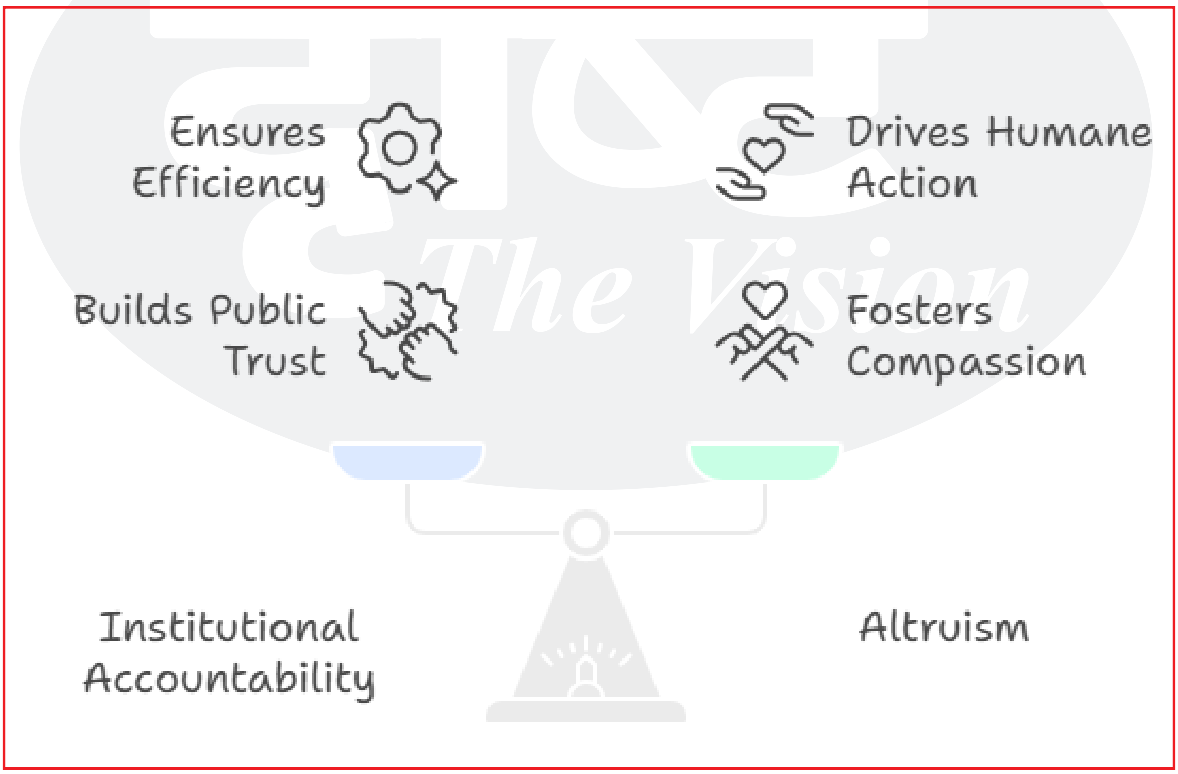

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

उपकारिता (परार्थता) और प्रदर्शन मापदंडों का सह-अस्तित्व:

- कुशलता (efficiency) के लिये उपकारिता (altruism) की बलि नहीं दी जानी चाहिये। लोक सेवक सहानुभूति के साथ सेवा करते हुए प्रदर्शन ढाँचे के भीतर कार्य कर सकते हैं।
- कार्यकुशलता के लिये परोपकारिता का त्याग नहीं किया जाना चाहिये। लोक सेवक कार्य-निष्पादन ढाँचे के भीतर काम करते हुए सहानुभूति के साथ सेवा करके दोनों को एकीकृत कर सकते हैं।
  - प्रदर्शन मेट्रिक्स में नैतिक व्यवहार, ईमानदारी और सार्वजनिक विश्वास के माप शामिल होने चाहिये
- उदाहरण के लिये, **डॉ. वर्गीज कुरियन (श्वेत क्रांति)** ने परार्थ भाव और लक्ष्य-आधारित प्रदर्शन को संतुलित कर भारत के दुग्ध उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन किया।

निष्कर्ष:

कुशल लोक सेवा सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तंत्र और मापदंड अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्हें हमारी अपेक्षाओं की सीमा नहीं बनना चाहिए। परोपकारिता वह मानवीय स्पर्श जोड़ती है जो मापदंड कभी प्राप्त नहीं कर सकते। **जवाबदेही और परोपकारिता** , दोनों को **एक-दूसरे का विरोधी होना ज़रूरी नहीं है; वे नैतिक शासन में पूरक शक्तियाँ हो सकती हैं।**

प्रश्न : "करुणा एक आवश्यकता है, विलासिता नहीं। इसके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती।" नियम-आधारित शासन से समझौता किये बिना लोक सेवक करुणा को संस्थागत किस प्रकार बना सकते हैं? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- कथन को उचित ठहराने के लिये किसी उद्धरण का हवाला देकर उत्तर की शुरुआत कीजिये
- कथन के लिये मुख्य तर्क दीजिये
- नियम-आधारित शासन से समझौता किये बिना करुणा को संस्थागत बनाने के उपाय सुझाइये
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय दर्शन यह सिखाता है कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं (**वसुधैव कुटुंबकम – "पूरा विश्व एक परिवार है"**)। इस दृष्टिकोण में, करुणा अर्थात् **दूसरों के दु:ख को समझने और उसे दूर करने के लिये कार्य करने की नैतिक प्रेरणा** कोई विकल्प नहीं, बल्कि नैतिक मानव आचरण के लिये अनिवार्य है।

- लोक प्रशासन के संदर्भ में, इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि शासन में **वैधानिकता और मानवता का मिश्रण** होना चाहिये।

मुख्य भाग:

करुणा: एक आवश्यकता, मानवता के लिये अपरिहार्य:

- **करुणा शासन को मानवीय बनाती है:** प्रक्रियाओं और मापदंडों द्वारा तेजी से संचालित दुनिया में, करुणा यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन **नागरिक-केंद्रित और** मानवीय बना रहे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- यह **सद्गुण नैतिकता (अरस्तू) के साथ संरेखित है**, जहाँ करुणा एक नैतिक गुण है जो चरित्र विकास के माध्यम से नैतिक आचरण को सक्षम बनाता है।
- **करुणा सामाजिक एकजुटता और विश्वास को बढ़ावा देती है:** जब नागरिक सार्वजनिक संस्थानों से सहानुभूति और देखभाल का अनुभव करते हैं, तो उनमें **विश्वास और सहयोग विकसित** होता है, जो लोकतांत्रिक वैधता और सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
  - **उपयोगितावादी नैतिकता** यह दर्शाते हुए इसका समर्थन करती है कि करुणामय शासन से **अधिक खुशी और सामाजिक सद्भाव** प्राप्त होता है, जो एक प्रमुख **नैतिक परिणाम** है।
- **नैतिक निर्णय लेने में करुणा आवश्यक है:** कानून हर नैतिक दुविधा को कवर नहीं कर सकता; करुणा **विवेकाधीन नैतिक निर्णय को सक्षम** बनाती है, विशेष रूप से कमज़ोर या हाशिये पर पड़े समूहों से जुड़े मामलों में।
  - **काण्टीय नैतिकता** यह मानती है कि **व्यक्तियों को स्वयं में साध्य** (साधन नहीं) मानकर उनके साथ व्यवहार करने के लिये करुणामय कार्यों के माध्यम से उनकी गरिमा को मान्यता देना आवश्यक है।
- **करुणा मूल सभ्यतागत और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिम्बित करती है: भारतीय दर्शन में, करुणा धर्म** और **करुणा** की परंपराओं में गहराई से समाहित है। यह कोई भावनात्मक विलासिता नहीं, बल्कि एक **सभ्यतागत** कर्त्तव्य है।
  - यह **गांधीवादी नैतिकता** और **बौद्ध नैतिक विचारों** से मेल खाता है, जो नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के केंद्र में करुणा को रखते हैं।

नियम-आधारित शासन से समझौता किये बिना करुणा को संस्थागत बनाना:

- **नियमों की करुणामय व्याख्या: न्यायोन्मुखी मानसिकता** के साथ नियमों को लागू करना, जहाँ कठोर प्रवर्तन से नुकसान हो सकता है, वहाँ सम्मान और राहत सुनिश्चित करना।
  - *उदाहरण:* लॉकडाउन के दौरान, **कई ज़िला मजिस्ट्रेट कार्यालयों** ने अपने तात्कालिक अधिदेशों से परे जाकर प्रवासी श्रमिकों के लिये भोजन और आश्रय की व्यवस्था की।
- **नीति और कार्यक्रम डिज़ाइन में अंतर्निहित सहानुभूति: नागरिक अनुभव को ध्यान** में रखते हुए कल्याणकारी कार्यक्रमों को डिज़ाइन (विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले वर्गों के लिये) करना।
  - ***उदाहरण:* माताओं के लिये तेलंगाना की केसीआर किट**- स्वास्थ्य और भावनात्मक ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील।
- **नैतिक प्रशिक्षण और मूल्य सुदृढ़ीकरण:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक तर्क को मज़बूत करने के लिये प्रशासनिक अकादमियों में **करुणा-केंद्रित प्रशिक्षण** की शुरूआत करना।
  - **अरस्तू की "फ्रोनेसिस" (व्यावहारिक ज्ञान) की अवधारणा** के साथ संरेखित।
- **गरिमापूर्ण पहुँच के लिये प्रौद्योगिकी** का उपयोग करना: डिजिटल उपकरण **कुशलतापूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्वक सेवाएँ** प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उत्पीड़न और विवेकाधिकार में कमी आएगी।
  - उदाहरण: पेंशनधारकों के लिये "डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र" वृद्ध नागरिकों पर बोझ को कम करता है।
- **कार्रवाई में करुणा के रूप में शिकायत निवारण:** नागरिकों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिये सशक्त बनाने से कानूनी समझौता किये बिना उत्तरदायी प्रणाली का निर्माण होता है।
  - **राजस्थान संपर्क पोर्टल, दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों** से वास्तविक समय पर राहत और देखभाल प्राप्त की जा सकेगी।

निष्कर्ष:

"एक नियम-आधारित प्रणाली यदि करुणा से रहित हो, तो वह अत्याचार बन जाती है तथा करुणा यदि नियमों के बिना हो, तो अराजकता उत्पन्न करती है।" जनता की सच्ची सेवा तभी संभव है जब लोक प्रशासन में संरचना के साथ संवेदना भी हो। **करुणा का संस्थागतकरण** का अर्थ यह नहीं है कि नियमों को त्याग दिया जाए बल्कि यह है कि उन्हें संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

प्रश्न : "करुणा के बिना सत्यनिष्ठा कठोरता है, और सत्यनिष्ठा के बिना करुणा दुर्बलता है।" लोक सेवा में सत्यनिष्ठा और करुणा के बीच संतुलन के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- सत्यनिष्ठा और करुणा के बीच संतुलन की आवश्यकता के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए उत्तर दीजिये।
- करुणा के बिना सत्यनिष्ठा कठोरता है और सत्यनिष्ठा के बिना करुणा कमज़ोरी है, इस संदर्भ में प्रमुख तर्क दीजिये।
- लोक सेवा में ईमानदारी और करुणा के संतुलन के तर्कों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, ***"स्वयं की खोज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है, दूसरों की सेवा में स्वयं को खो देना।"*** यह **सत्यनिष्ठा** (नैतिक और विधिक सिद्धांतों का पालन) **को करुणा** (दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भावना) **के साथ संतुलित करने की नैतिक आवश्यकता** को दर्शाता है।

- लोक सेवा में, इन दोनों गुणों की परस्पर संगतता आवश्यक है: **सत्यनिष्ठा निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है,** जबकि **करुणा शासन को मानवीय बनाती है।**

मुख्य भाग:

करुणा के बिना सत्यनिष्ठा कठोरता है

इसका तात्पर्य यह है कि मानवीय संवेदनशीलता के बिना नियमों का कड़ाई से पालन अमानवीय या अन्यायपूर्ण परिणामों को जन्म दे सकता है।

- **कल्याणकारी योजनाओं का वितरण यांत्रिक हो जाना:** केवल दस्तावेज़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले अधिकारी वास्तविक लाभार्थियों को लाभ देने से इनकार कर सकते हैं।
  - **उदाहरण:** झारखंड में एक 70 वर्षीय आदिवासी महिला को आधार **बायोमेट्रिक सत्यापन न होने के कारण पेंशन देने से मना** कर दिया गया, जो **करुणा से रहित कठोर सत्यनिष्ठा** को दर्शाता है।
- **प्रशासन के प्रति जनता की लापरवाही की धारणा:** सहानुभूति के बिना नियम-बद्ध निर्णय नागरिकों को शासन से अलग कर देते हैं।
  - **उदाहरण:** कोविड लॉकडाउन के दौरान, **प्रवासी श्रमिकों के लिये प्रावधान किये बिना कर्फ्यू के सख्त पालन से मानवीय त्रासदी** हुई; नियम तो लागू किये गए, लेकिन शुरुआती चरणों में **करुणा की अनदेखी** की गई।
- **न्याय की भावना को आघात:** न्याय का तात्पर्य केवल नियम लागू करना नहीं है, बल्कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के संदर्भ में भी है।
  - **उदाहरण:** अनाथ बच्चों को मामूली फॉर्म त्रुटियों के कारण छात्रवृत्ति देने से इनकार करना **कठोर व्यवस्था अनुपालन** को दर्शाता है, लेकिन **नैतिक परीक्षण में विफल** रहता है।

ईमानदारी के बिना करुणा कमज़ोरी है।

इसका अर्थ है कि **नैतिक सीमाओं के बिना भावनाएँ** पूर्वाग्रह, पक्षपात को बढ़ाती हैं या संस्थाओं को कमज़ोर कर सकती हैं।

- **अधिकार के दुरुपयोग का जोखिम:** अति-सहानुभूति नियमों की अनदेखी या अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे सकती है।
  - **उदाहरण:** एक **स्कूल प्रिंसिपल द्वारा व्यक्तिगत दलीलों के आधार पर चुनिंदा छात्रों की फीस माफ़ करना अन्याय** को जन्म देता है।
- **'निष्पक्षता पर पक्षपात' की** करुणा वंशवाद या चयनात्मक व्यवहार में बदल सकती है।
  - **उदाहरण:** एक स्थानीय अधिकारी भावनात्मक दबाव के कारण बाढ़ राहत राशि को अपने मित्रों या मुखर समूहों को दे देता है और वास्तविक पीड़ितों की उपेक्षा करता है।
- **संस्थागत विश्वास का क्षरण:** भावनाओं के आगे नियमों को तोड़ना व्यवस्था को अप्रत्याशित और अविश्वसनीय बना देता है।
  - **उदाहरण:** अयोग्य व्यक्तियों को करुणा के आधार पर हथियार लाइसेंस देना सुरक्षा के लिये खतरा और मानदंडों का उल्लंघन हो सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **अल्पकालिक सहानुभूति, दीर्घकालिक नुकसान:** नैतिक निर्णय के बिना भावनात्मक रूप से लिये गए कार्य स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं।
  - **उदाहरण:** यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों को केवल इसलिये माफ करना क्योंकि उन्होंने "भावनात्मक रूप से दलील दी थी", विधि के शासन और सार्वजनिक अनुशासन को कमज़ोर करता है।

लोक सेवा में सत्यनिष्ठा और करुणा का संतुलन:

- **प्रशासनिक असंवेदनशीलता को रोकता है और उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करता है:** केवल नियमों का पालन करने से, विशेष रूप से कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में, कमज़ोर नागरिक अलग-थलग पड़ सकते हैं।
  - **उदाहरण:** एक ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा बायोमेट्रिक विफलता के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में ऑफलाइन राशन वितरण की अनुमति देना, भुखमरी से संबंधित संकट के प्रति संवेदनशील रहते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सत्यनिष्ठा की रक्षा करना।
- **जटिल परिस्थितियों में नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा:** सत्यनिष्ठा नैतिक स्पष्टता प्रदान करती है; करुणा संदर्भ लाती है। साथ मिलकर, ये दोनों निष्पक्षता से समझौता किये बिना नैतिक दुविधाओं को हल करने में सहायता करते हैं।
  - **उदाहरण:** एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक नाबालिग को छोटी-मोटी चोरी के लिये गिरफ्तार न करने का निर्णय लेना, बल्कि उसके लिये परामर्श और शैक्षिक सहायता की व्यवस्था करना, उदारता नहीं, बल्कि सैद्धांतिक करुणा को दर्शाता है।
- **व्यवस्था के भीतर सार्वजनिक मनोबल और प्रेरणा को मज़बूत करना:** जो अधिकारी करुणा और विवेक दोनों के साथ नेतृत्व करते हैं, वे सेवा के भीतर नैतिक आचरण को प्रेरित करते हैं।
  - **उदाहरण:** एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी द्वारा नियमों को सख्ती से लागू करते हुए ट्रैक के किनारे रहने वाले बच्चों की शिक्षा का मार्गदर्शन और प्रायोजन करना, एक ऐसे संतुलन को दर्शाता है जो नैतिक संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण करता है।

निष्कर्ष:

लोक सेवा में **नैतिकता जहाँ एक संरचना प्रदान करती** है, वहीं **करुणा उसमें प्राण भरती** है। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने उचित ही कहा है, ***"जो सही है उसे देखकर भी न करना, यह साहस की कमी है।"***

जब लोक सेवक **निर्दोष नैतिकता का मानव संवेदनशीलता से संयोजन** करते हैं, तो वे **मात्र नियमों के पालनकर्त्ता नहीं** रह जाते, **बल्कि परिवर्तनकारी न्याय के वाहक भी** बनते हैं।

प्रश्न : "लोक सेवा में सतत् नैतिक व्यवहार के लिये न केवल दृढ़ विश्वास, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है।" 'नैतिक श्रांति' की प्रवृत्ति पर चर्चा कीजिये तथा यह बताइये कि सिविल सेवा में इसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न के कथन के संदर्भ में संक्षेप में बताते हुए और उसे नैतिक श्रांति से जोड़कर उत्तर दीजिये।
- नैतिक श्रांति के संदर्भ में संक्षेप में बताइये।
- सिविल सेवाओं में नैतिक श्रांति के कारणों और परिणामों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- सिविल सेवाओं में नैतिक श्रांति को दूर करने के उपायों को रेखांकित कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

अरस्तू ने कहा था कि ***"नैतिक उत्कृष्टता एक आदत का परिणाम है।"*** किंतु सिविल सेवा में **यह आदत प्रायः एक ऐसे परिवेश में जीवित** रहनी पड़ती है जो **नैतिक विरोधाभासों, राजनीतिक हस्तक्षेप और संस्थागत जड़ता से ग्रस्त** होता है।

- जहाँ नैतिक दृढ़ता व्यक्ति को नैतिक दिशा देती है, वहीं मानसिक दृढ़ता उस दिशा को कठिन परिस्थितियों में बनाये रखने की आंतरिक शक्ति है।
  - इस **मानसिक दृढ़ता के अभाव में** लोक सेवकों को जिस स्थिति का सामना करना पड़ता है, उसे **'नैतिक श्रांति'** (Ethical Fatigue) कहा जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025
SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस
SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स
SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप
SCAN ME

नैतिक श्रांति की घटनाएँ:

नैतिक श्रांति, वह **मानसिक, भावनात्मक और नैतिक श्रम/क्लांति** है जो उन व्यक्तियों द्वारा **बार-बार नैतिक रूप से परस्पर विरोधी परिस्थितियों का सामना करने पर अनुभव** की जाती है, जहाँ सही काम करने के लिये संस्थागत या सामाजिक प्रोत्साहन बहुत कम होता है।

सिविल सेवाओं में नैतिक श्रांति के कारण:

- **संस्थानिक भ्रष्टाचार और गलत के सामान्यीकरण की प्रवृत्ति:** निरंतर भ्रष्ट व्यवहार का सामना करते-करते व्यक्ति समझौते को सामान्य मानने लग जाता है।
  - **उदाहरण:** बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई परियोजना फाइलों को स्वीकृति देने के लिये दबाव डाला गया एक कनिष्ठ अधिकारी शुरू में विरोध कर सकता है, लेकिन अंततः प्रणालीगत सड़न के कारण झुक जाता है।
- **नैतिक आचरण के लिये पुरस्कार या मान्यता का अभाव:** नैतिक निर्णय प्रायः अदृश्य, अप्रतिष्ठित या दंडित भी होते हैं।
  - **उदाहरण:** नियमों में ढील देने से इनकार करने पर कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका मनोबल गिरता है।
- **नैतिक अलगाव और सहयोगियों का दबाव:** नैतिक अधिकारी ***"चलता है"*** रवैये के कारण सहकर्मियों/सहयोगियों से स्वयं को अलग-थलग महसूस कर सकते हैं।
  - सहकर्मियों की अनैतिक प्रवृत्तियों से असहमति जताने पर अप्रत्यक्ष रूप से बहिष्करण और मानसिक दबाव झेलना पड़ता है। परिणामस्वरूप समूह में स्वीकृत गलत मानदंडों के खिलाफ खड़ा होना कठिन हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने साथियों से अलग दिखना नहीं चाहता।
- **निरंतर प्रतिरोध के कारण भावनात्मक श्रांति:** अनैतिक आदेशों या परिवेश के साथ बार-बार टकराव **तनाव, निराशावाद और अलगाव** की ओर ले जाता है।

सिविल सेवाओं में नैतिक श्रांति का समाधान:

- **निष्पादन मूल्यांकन में नैतिकता को शामिल करना:** प्रदर्शन मूल्यांकन दक्षता से आगे बढ़कर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नैतिक व्यवहार को भी शामिल करना चाहिये।
  - **नैतिक साहस, पारदर्शिता और नियमों के पालन को ACR संकेतकों के रूप में जोड़ने से नैतिक स्थिरता को बढ़ावा** मिलेगा। यह **पेशेवर सफलता के एक हिस्से के रूप में नैतिकता** को भी सामान्य बनाएगा।
- **मानसिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करना:** सिविल सेवाओं को परामर्शदाताओं, सहकर्मी-सहायता समूहों और भावनात्मक कल्याण कार्यक्रमों तक अभिगम प्रदान करनी चाहिये।
  - **नैतिक निर्णय प्रायः मानसिक तनाव के साथ** आते हैं, विशेषकर जब अधिकारी शक्तिशाली हितों के खिलाफ खड़े होते हैं। ऐसे में **सहायता प्रणालियाँ** श्रांति और नैतिक विघटन को रोकने में सहायता कर सकती हैं।
- **नैतिकता प्रशिक्षण को निरंतर और व्यावहारिक बनाना:** नैतिकता प्रशिक्षण सिद्धांत से आगे बढ़कर वास्तविक जीवन के केस स्टडी, दुविधाओं और सहकर्मी चर्चाओं पर केंद्रित होना चाहिये।
  - **नैतिक तर्क, दबाव में निर्णय लेने और मूल्य संघर्षों पर नियमित मॉड्यूल** दीर्घकालिक नैतिक सहनशक्ति का निर्माण करेंगे। पुनरावृत्ति से स्वतःस्फूर्त नैतिक प्रतिक्रियाएँ विकसित होती हैं।
- **व्हिसलब्लोअर सुरक्षा तंत्र को मज़बूत बनाना:** नैतिक अधिकारियों को गलत कामों का पर्दाफाश करते समय सुरक्षित महसूस करना चाहिये।
  - व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम का सुदृढ़ कार्यान्वयन और अनॉनिमस रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह **अधिकारियों को आश्वस्त करता है कि जब वे सही कार्य करते हैं तो व्यवस्था उनके साथ खड़ी होती है।**
- **शीर्ष स्तर पर नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा:** वरिष्ठ प्रशासणिक अधिकारी को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह दिखाना चाहिये कि मूल्यों से समझौता किये बिना परिणाम प्राप्त करना संभव है।
  - **ई. श्रीधरन** (मेट्रो मैन) और **किरण बेदी** जैसे नेताओं ने उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह दर्शाया कि सत्यनिष्ठा एवं परिणाम एक साथ संभव हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निष्कर्ष:

भगवद् गीता ***"योग: कर्मसु कौशलम्"*** पर बल देती है जिसका अर्थ है— कर्म में उत्कृष्टता योग का एक रूप है। सिविल सेवा में नैतिक उत्कृष्टता केवल एक बार का कार्य नहीं, बल्कि दबाव में निरंतर अभ्यास है। प्रणालीगत विरोध का सामना करने के लिये **दृढ़ विश्वास के साथ-साथ समुत्थानशक्ति** भी होना चाहिये।

प्रश्न : "प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा सुशासन की आधारशिला है, फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ नियमों का सख्ती से पालन न्याय की भावना का उल्लंघन कर सकता है।" ऐसी परिस्थितियों में, क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को प्रक्रियात्मक नियमों से हटकर वास्तविक (सार्थक) न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिये? लोक प्रशासन से प्रासंगिक उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न के कथन को उचित ठहराने के लिये एक संदर्भ उद्धरण देकर उत्तर का परिचय दीजिये।
- प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा बनाम न्याय की भावना के बीच नैतिक दुविधा पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा और मूल न्याय को बनाए रखने के पक्ष में तर्क दीजिये।
- अंतत: संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए एक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

प्लेटो ने तर्क दिया था कि **"न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना है।"** शासन-प्रशासन में यह कथन **प्रक्रियात्मक न्याय** (नियमों और विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन) तथा **मूल न्याय** (किसी कार्य की नैतिक और न्यायसंगत परिणति) **के बीच एक अंतर्विरोध** को जन्म देता है। जहाँ **प्रक्रियात्मक अखंडता** पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है, वहीं इसका अंधानुकरण कभी-कभी **न्याय के नैतिक मर्म के विपरीत** भी जा सकता है।

मुख्य भाग:

प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा बनाम न्याय की भावना: लोक सेवा में एक नैतिक दुविधा

लोक सेवक कानूनों और नियमों के कार्यढाँचे के भीतर कार्य करते हैं, फिर भी वास्तविक दुनिया की परिस्थितियाँ प्राय: **प्रक्रियात्मक अनुपालन की पर्याप्तता को चुनौती** देती हैं। सख्त अनुपालन के कारण:

- ज़रूरतमंद लोग, कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं, उदाहरण के लिये **दस्तावेज़ों की कमी** के कारण।
- आपदाओं के दौरान जीवन रक्षक हस्तक्षेपों में विलंब हो सकता है।
- भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों के कारण हाशिये पर पड़े समुदायों का व्यवस्थित अपवर्जन हो सकता है।

इससे एक बुनियादी नैतिक दुविधा पैदा होती है: क्या एक लोक सेवक को **'कानून के अक्षर' का पालन** करना चाहिये या **'न्याय की भावना' के पक्ष में कार्य** करना चाहिये?

प्रक्रियात्मक अखंडता बनाए रखने के तर्क

Merit	Explanation
विधि का शासन	मनमानी को रोकता है और कानून के तहत समान व्यवहार सुनिश्चित करता है।
पूर्वानुमान्यता	मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से संस्थानों में विश्वास का निर्माण करता है।
जवाबदेही	कानूनी अनुपालन अधिकारियों को व्यक्तिगत दायित्व से बचाता है।
शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है	व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिये विवेकाधिकार के दुरुपयोग को रोकता है।

- **उदाहरण:** कदाचार के कारण UPSC द्वारा परीक्षा परिणाम रद्द करना, भले ही इससे कुछ निर्दोष उम्मीदवार प्रभावित हों, **प्रणालीगत अखंडता** सुनिश्चित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

मूल न्याय को कायम रखने के तर्क (भले ही ये प्रक्रिया से हटकर हों)

चिंता	तर्क
नैतिक अनिवार्यता	जब **नियमों के परिणाम अन्यायपूर्ण** हो जाएँ, तो लोक सेवकों को **नैतिक रूप से कार्य** करना चाहिये।
सामाजिक न्याय	उन लोगों को शामिल करने में सहायता करता है जो **बेजुबान और बहिष्कृत** हैं और जो कठोर मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते।
परिस्थितिजन्य आवश्यकता	आपातकाल में लालफीताशाही की नहीं, बल्कि **त्वरित नैतिक निर्णय की आवश्यकता** होती है।
संवैधानिक नैतिकता	गरिमा, समानता और करुणा को कायम रखने के लिये **प्रायः नियमों से परे जाने की आवश्यकता** होती है।

- **उदाहरण:** IAS **जितेंद्र कुमार सोनी ने गरीब बच्चों को जूते उपलब्ध कराने के लिये 'चरण पादुका अभियान'** शुरू किया। उनकी पहल ने सख्त नियमों के पालन पर गरिमा को प्राथमिकता देकर वास्तविक न्याय को कायम रखा।
- **उदाहरण: ओल्गा टेलिस बनाम BMC** (1985) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **फुटपाथ पर रहने वालों को पुनर्वास के बिना बेदखल करना आजीविका के अधिकार का उल्लंघन** है, भले ही बेदखली कानूनी रूप से वैध थी, यह प्रक्रियात्मक शुद्धता पर वास्तविक न्याय के प्रभावी होने का एक उदाहरण है।

हालाँकि दोनों मूल्य आवश्यक हैं, लेकिन किसी का भी निरपेक्षता से पालन नहीं किया जा सकता। लोक सेवकों को चाहिये कि वे:

- **उचित औचित्य के साथ विवेक का प्रयोग:** अंकेक्षण सुनिश्चित करने के लिये किसी भी विचलन को कारणों और परिणामों के साथ दर्ज किया जाना चाहिये।
- **आनुपातिकता सिद्धांत का पालन:** बड़े अन्याय से बचने के लिये मामूली प्रक्रियात्मक विचलन को उचित ठहराया जा सकता है।
- **नैतिक तर्क के उपकरण लागू करना:**
  - **रॉल्सियन न्याय** (सबसे अधिक वंचितों पर ध्यान केंद्रित करना)
  - आचार संहिता और सत्यनिष्ठा

निष्कर्ष:

शासन को **प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा और नैतिक तर्क के दो स्तंभों पर** आधारित होना चाहिये। **नियम आवश्यक कार्यढाँचे** हैं, लेकिन **न्याय उनका अंतिम लक्ष्य** है। जैसा कि अरस्तू ने कहा था, ***"कानून वह तर्क है जो इच्छा से मुक्त होता है, लेकिन न्याय के लिये प्रायः करुणा की आवश्यकता होती है।"***

अतः एक लोक सेवक को विधिक व्यवस्था के भीतर एक नैतिक प्रतिनिधि बनना चाहिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि **किसी को भी केवल इसलिये न्याय से वंचित न किया जाए क्योंकि प्रक्रिया उनकी वास्तविकता के लिये अभिकल्पित नहीं की गई थी।**

प्रश्न : "यद्यपि लोक सेवकों के लिये एक दृढ़ नैतिक दिशानिर्देश आवश्यक है, तथापि कठोर नैतिक निरपेक्षता कभी-कभी शासन की व्यावहारिक माँगों के साथ असंगत भी हो सकती है।" जटिल प्रशासनिक परिस्थितियों में आदर्शवाद और प्रभावी निर्णय लेने के बीच संतुलन बनाने में लोक सेवकों की सहायता करने में नैतिक व्यावहारिकता की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रश्न के उद्धरण की पुष्टि के लिये एक संदर्भ देकर उत्तर का परिचय दीजिये और नैतिक व्यावहारिकता के बारे में संक्षेप में बताइये।
- शासन में एक मज़बूत नैतिक मार्गदर्शन के महत्त्व और नैतिक निरपेक्षता की सीमाओं पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिये।
- प्रशासनिक निर्णय लेने में नैतिक व्यावहारिकता की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- एक उद्धरण के साथ निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

महाभारत में युधिष्ठिर, यद्यपि **सत्य के प्रति अत्यंत प्रतिबद्ध** थे, फिर भी द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिये "अश्वत्थामा मारा गया" ऐसा कथन जानबूझकर अस्पष्ट रूप में कहते हैं, जहाँ वे **कठोर नैतिक निरपेक्षता के स्थान पर व्यापक हित को प्राथमिकता** देते हैं।

यह प्रसंग नैतिक व्यावहारिकता के सार को दर्शाता है, जहाँ लोक सेवकों को भी जटिल प्रशासनिक परिस्थितियों में आदर्शवाद और व्यावहारिक निर्णय के बीच संतुलन बनाना चाहिये।

मुख्य भाग:

एक मज़बूत नैतिक मार्गदर्शन का महत्त्व

- **नैतिक मार्गदर्शन** उन आंतरिक मार्गदर्शक सिद्धांतों को संदर्भित करता है जो लोक सेवकों को सही और गलत में अंतर करने में सहायता करते हैं। यह सुनिश्चित करता है:
  - निर्णय लेने में **सत्यनिष्ठा और ईमानदारी**
  - जवाबदेही और **जनता का विश्वास**
  - भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रभावों का प्रतिरोध
  - न्याय, समानता और सहानुभूति जैसे संवैधानिक मूल्यों के साथ संरेखण
- **उदाहरण:** एक नैतिक रूप से दृढ़ अधिकारी दबाव या प्रलोभन में भी रिश्वत लेने से अस्वीकार कर देगा और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी बनाए रखेगा।

शासन में नैतिक निरपेक्षता की सीमाएँ

- **नैतिक निरपेक्षता**, संदर्भ या परिणामों की परवाह किये बिना नैतिक सिद्धांतों का अटूट अनुप्रयोग है। हालाँकि यह नेक-उद्देश्य से किया गया है, लेकिन यह **वास्तविक दुनिया की जटिलताओं से असंगत हो** सकता है, जैसे:
  - **परस्पर विरोधी मूल्य:** कानून बनाम करुणा, पारदर्शिता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा
  - **प्रशासनिक बाधाएँ:** सीमित संसाधन, राजनीतिक वास्तविकताएँ या जन भावनाएँ
  - **विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ:** एक परिस्थिति में जो नैतिक है, वह दूसरी परिस्थिति में हानिकारक हो सकता है।
- **उदाहरण:** मानवीय संकट (जैसे: बाढ़) के दौरान बेदखली कानूनों का सख्ती से पालन, कमज़ोर लोगों को विकल्प दिये बिना विस्थापित कर सकता है, कानून द्वारा नैतिक रूप से 'सही' लेकिन नैतिक रूप से संदिग्ध।

इस प्रकार, **नियम-आधारित सत्यनिष्ठा और संदर्भ-संवेदनशील करुणा के बीच संतुलन** बनाने के लिये नैतिक व्यावहारिकता आवश्यक हो जाती है, जिससे ऐसे निर्णय लिये जा सकें जो **नैतिक रूप से आधारित एवं व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य** हों।

प्रशासनिक निर्णय लेने में नैतिक व्यावहारिकता की भूमिका:

- **संदर्भ-आधारित लचीलापन:** अधिकारियों को नियमों का कठोरता से पालन करने के बजाय विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर प्रक्रियाओं को समायोजित करने में सक्षम बनाता है।
  - **उदाहरण:** उज्जैन नगर निगम के आयुक्त के रूप में कार्यरत **अंशुल गुप्ता ने स्वयंसेवकों की सहायता से प्राचीन यम तलैया तालाब का जीर्णोद्धार** किया।
- **समय पर और प्रभावी निर्णय लेना:** नुकसान को रोकने के लिये लालफीताशाही को दरकिनार करते हुए, आपात स्थितियों या तत्काल आवश्यकताओं पर त्वरित प्रतिक्रिया का समर्थन करता है।
  - **उदाहरण: भीलवाड़ा के SDM के रूप में अतहर आमिर खान ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिये औपचारिक शिकायतों पर ज़ोर** देने के बजाय, समुदाय के निर्देशों पर कार्रवाई करके और तत्काल उपाय अपनाकर बाल विवाह में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया।
- **नवोन्मेषी समाधानों को बढ़ावा देना:** लोक सेवकों को ऐसे नए कार्यक्रम या तरीके तैयार करने के लिये प्रेरित करता है जो मौजूदा नियमों से परे वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
  - **उदाहरण:** सिक्किम के IAS अधिकारी राज यादव ने परिवर्तनकारी परियोजना **"आपनो गाँव, आप बनाओ"** ("अपना गाँव स्वयं बनाएँ") की शुरूआत की, जिसके तहत उन्होंने 5 गाँवों को गोद लिया और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उनका विकास किया, जिससे 7,500 से अधिक लोगों के जीवन पर असर पड़ा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों में संतुलन:** प्रशासकों को परस्पर विरोधी हितों, जैसे: न्याय बनाम दक्षता या कानून बनाम करुणा, का आकलन करने का अवसर मिलता है ताकि वे एक निष्पक्ष एवं व्यावहारिक समाधान तक पहुँच सकें।
  - **उदाहरण:** विनोद राय (भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) को सरकारी व्यय का अंकेक्षण करते समय भारी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने **पारदर्शिता (न्याय) और संस्थागत ज़िम्मेदारी (दक्षता) के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन** बनाए रखा।
- **समावेशिता और सामाजिक न्याय:** हाशिये पर पड़े लोगों के लिये तदर्थ समाधानों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, जिन्हें **प्राय: तकनीकी कारणों से बाहर** रखा जाता है।
  - **उदाहरण:** रेमा राजेश्वरी (IPS, तेलंगाना) ने व्हाट्सएप अफवाहों के कारण होने वाली मॉब लिंचिंग को रोकने के लिये **ग्रामीण इलाकों में एक मिथक-भंजन अभियान** शुरू किया।

निष्कर्ष:

जहाँ एक सुदृढ़ नैतिक दिशा-निर्देश लोक सेवकों को सत्यनिष्ठा से जोड़े रखता है, वहीं शासन वास्तविक दुनिया की जटिलताओं के अनुसार **मूल्यों को अनुकूलित करने की विवेकपूर्ण निर्णय की मांग** करता है। नैतिक व्यावहारिकता यह सुनिश्चित करती है कि **निर्णय** आदर्शवाद और प्रभावशीलता के बीच सही संतुलन बनाते हुए **मानवीय, वैध और संदर्भ-संवेदनशील रहें।**

जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, **"एक अच्छा मस्तिष्क और एक अच्छा हृदय, जब साथ हों, तो एक अजेय संगम बन जाते हैं।"**

प्रश्न : जॉन रॉल्स ने 'न्याय के रूप में नैतिक समानता' के रूप में महत्त्व दिया। विश्लेषण कीजिये कि यह सिद्धांत किस प्रकार सरकारी पदाधिकारियों द्वारा सीमित संसाधनों के वितरण में विभिन्न सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन बनाने में उपयोगी हो सकता है। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:
- जॉन रॉल्स के 'न्याय के रूप में नैतिक समानता' के सिद्धांत का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि सरकारी अधिकारी सार्वजनिक संसाधन आवंटन में इस सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं।
- शासन में इसकी प्रासंगिकता को पुष्ट करते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

जॉन रॉल्स का '**न्याय के रूप में नैतिक समानता**' का सिद्धांत **एक ऐसे समाज की कल्पना** पर आधारित है **जहाँ संसाधनों और अवसरों का वितरण समानता तथा नैतिक औचित्य के आधार पर हो।** उनके दो प्रमुख सिद्धांत—**सभी के लिये समान बुनियादी स्वतंत्रताएँ** तथा '**अंतर सिद्धांत**' (यानि यदि **कोई असमानता** हो भी, तो वह **सबसे कमज़ोर वर्ग के हित में** होनी चाहिये) विशेषकर सीमित संसाधनों का प्रबंधन करने में संलग्न लोक सेवकों के लिये एक सुदृढ़ नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

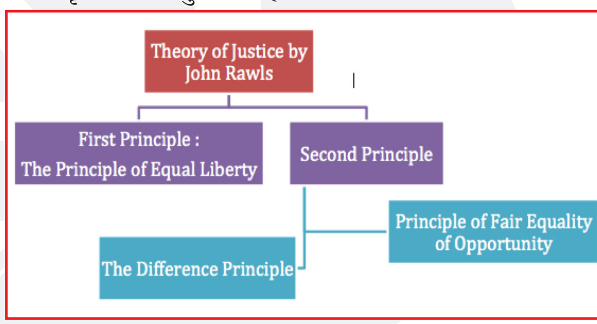

मुख्य भाग:

सार्वजनिक संसाधन आवंटन में अनुप्रयोग

- **अज्ञानता का पर्दा अर्थात् आवरण:**
  - रॉल्स ने प्रस्तावित किया कि **न्यायपूर्ण निर्णय** एक काल्पनिक 'मूल स्थिति' से उत्पन्न होते हैं, जहाँ **निर्णय लेने वाले व्यक्ति 'अज्ञानता के आवरण' (Veil of ignorance) के पीछे** होते हैं, अर्थात वे यह नहीं जानते कि समाज में उनका स्वयं का क्या स्थान है। यह सिद्धांत निष्पक्षता और तटस्थता को बढ़ावा देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उदाहरण:** जब किसी IAS अधिकारी को शहरी और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना विकास के लिये धन आवंटित करना हो, तो उसे चुनावी दबाव या उच्च वर्ग के प्रभाव जैसे पूर्वग्रहों से बचते हुए केवल वस्तुनिष्ठ ज़रूरतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिये।

- **अंतर सिद्धांत:**
  - **अंतर सिद्धांत** के अनुसार, **असमानताएँ तभी न्यायसंगत** मानी जा सकती हैं जब **वे सबसे कमज़ोर वर्ग के हित में** हों। अत: लोक सेवकों को **नीति-निर्माण में कमज़ोर और वंचित समूहों को प्राथमिकता** देनी चाहिये।
  - **उदाहरण:** कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य संसाधनों के आवंटन में, ज़िला अधिकारियों ने जनजाति बहुल बस्तियों (जिनकी पहुँच सबसे कम है) में मोबाइल स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ तैनात करके 'रॉल्स के निष्पक्षता-सिद्धांत' का उदाहरण प्रस्तुत किया।

- **अवसर की निष्पक्ष समानता:**
  - सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी नागरिकों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं तक समान अभिगम प्राप्त हो।
  - **उदाहरण:** शिक्षा के क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिये संसाधन आवंटित करने से यह सुनिश्चित होता है कि ग्रामीण या वंचित क्षेत्रों के बच्चों को शहरी छात्रों के समान शैक्षणिक अवसर प्राप्त हों।

- **कुशलता और समानता के बीच संतुलन:**
  - प्रशासनिक पदाधिकारियों को विकास के लक्ष्यों के साथ-साथ सामाजिक समानता का भी ध्यान रखना चाहिये, ऐसा न हो कि संसाधन केवल पहले से ही समृद्ध क्षेत्रों में सिमट कर रह जायें।
  - **उदाहरण:** स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, सरकार ने छोटे शहरों की उपेक्षा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये अमृत योजना की शुरूआत की, जो शहरी विकास को समावेशिता के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक रॉल्सवादी प्रयास है।

- **लोक सेवकों के लिये नैतिक निहितार्थ:**
  - लोक सेवकों को न केवल क्रियान्वयनकर्त्ता के रूप में, बल्कि न्याय और निष्पक्षता के नैतिक संरक्षक के रूप में भी भूमिका निभानी चाहिये, साथ ही आँकड़ों-तथ्यों, हितधारकों से परामर्श एवं आवश्यकता-आधारित योजना के आधार पर निर्णय लेने चाहिये।
  - **उदाहरण:** केरल में '**पार्टिसिपेटरी बजटिंग**' (सहभागी बजट निर्णय) की प्रक्रिया में समुदायों को स्थानीय व्यय से जुड़े निर्णयों में भागीदारी मिलती है, जो रॉल्स के न्याय, सहमति और समावेशिता जैसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है।

निष्कर्ष:

रॉल्स की '**निष्पक्षता के रूप में न्याय**' (Justice as Fairness) की अवधारणा **लोक सेवकों के लिये एक नैतिक मार्गदर्शन** प्रदान करती है, जिससे वे **संसाधनों का वितरण निष्पक्षता, समानता और नैतिक वैधता के साथ** कर सकें। इस सिद्धांत के अनुसार जब **वंचित वर्ग को प्राथमिकता** दी जाती है, **तो शासन एक न्यायसंगत और समावेशी प्रक्रिया में परिवर्तित होता है,** जो **भारतीय संविधान के आदर्शों के अनुरूप** होती है।

प्रश्न : "भावनात्मक रूप से विवेकपूर्ण नेतृत्व संकट प्रबंधन के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है।"

चर्चा कीजिये कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सार्वजनिक आपात स्थितियों और आपदाओं के दौरान प्रशासनिक प्रभावशीलता किस प्रकार को बढ़ा सकती है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- संक्षेप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) की अवधारणा का परिचय दीजिये।
- चर्चा कीजिये कि संकट प्रबंधन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशासनिक प्रभावशीलता को किस प्रकार बढ़ा सकती है।
- आगे की राह बताते हुए उचित निष्कर्ष दीजिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

परिचय:

डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित **भावनात्मक बुद्धिमत्ता** (Emotional Intelligence - **EI**) से तात्पर्य अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने एवं प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता से है। लोक प्रशासन में, विशेषकर महामारी, **प्राकृतिक आपदा या सामाजिक अशांति जैसी संकटपूर्ण स्थितियों में**, भावनात्मक रूप से **बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व अत्यंत आवश्यक** हो जाता है ताकि अनिश्चितता का सामना संवेदनशीलता के साथ किया जा सके, **जन-विश्वास** बना रहे तथा **उत्तरदायित्वपूर्ण और मानवीय प्रशासन** सुनिश्चित किया जा सके।

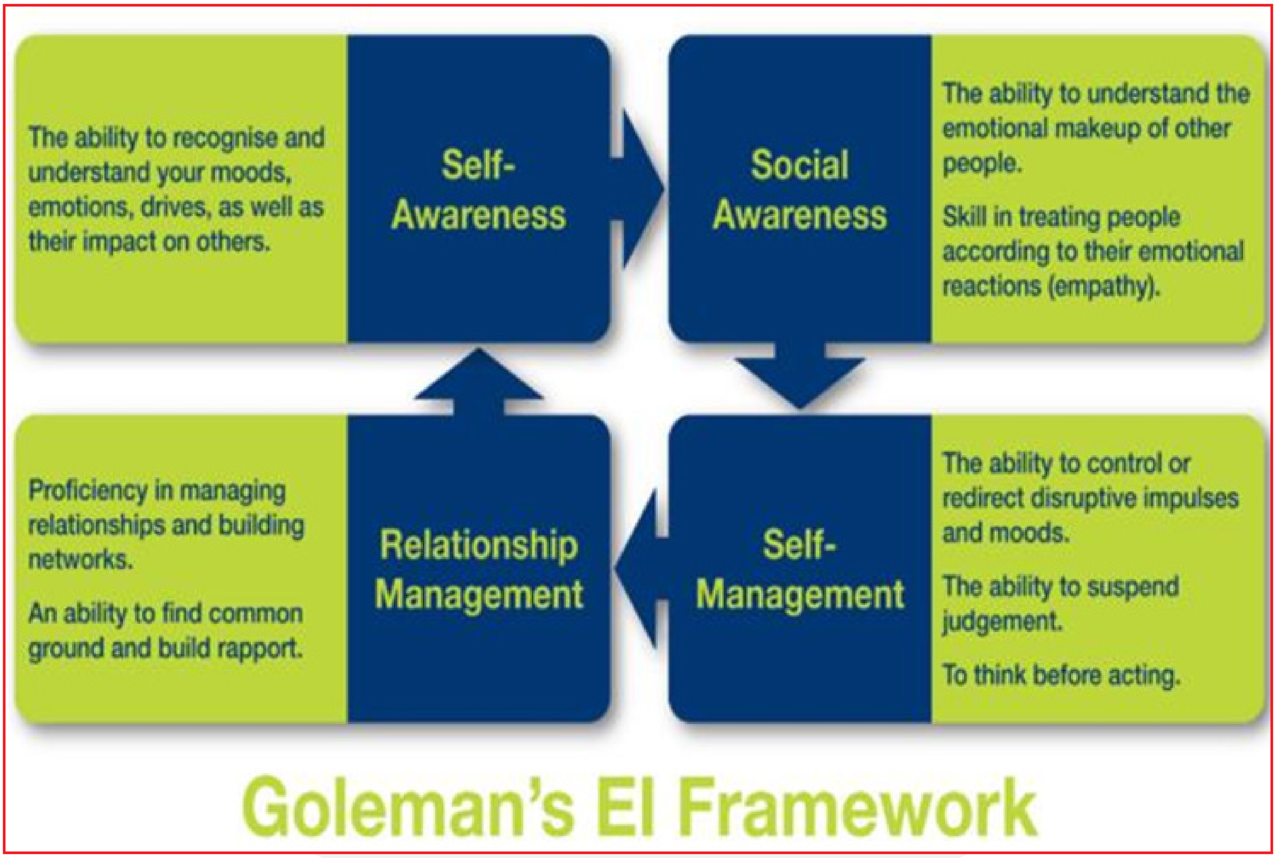

मुख्य भाग:

संकट प्रबंधन में चुनौतियाँ

- **जनता में बढ़ी हुई चिंता**, प्राय: **घबराहट, अफवाहों के प्रसार और प्रशासन के प्रति अविश्वास** को जन्म देती है।
- **भोजन, जल, दवाइयाँ या आश्रय जैसी संसाधनों की कमी** होने पर कठिन प्राथमिकताएँ तय करनी पड़ती हैं।
- अनिश्चितता की स्थिति में, प्राय: **सीमित या बदलते आँकड़ों के साथ, त्वरित निर्णय** लेना आवश्यक होता है
- **विभिन्न एजेंसियों** (जैसे: पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा राहत) **के बीच समन्वय जटिल** होता है, जिससे दोहराव या टकराव का खतरा बढ़ता है।
- **नागरिकों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों में भावनात्मक आघात**, मनोबल और कार्यक्षमता को प्रभावित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **संकट के दौरान सामाजिक तनाव और असमानताएँ** बढ़ सकती हैं, जिनका **संवेदनशीलता के साथ प्रबंधन** आवश्यक होता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस प्रकार प्रशासनिक प्रभावशीलता को बढ़ाती है

- **आत्म-जागरूकता और आत्म-नियमन:**
  - जो प्रशासक **आत्म-जागरूक** होते हैं, वे अपनी भावनाओं पर विचार करते हैं और **त्वरित व प्रतिक्रिया-आधारित निर्णय लेने से बचते हैं।** आत्म-नियंत्रण से वे शांत और ठोस निर्णय ले पाते हैं।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2021 में चमोली हिमस्खलन आपदा के समय, ज़िला अधिकारी ने जनसामान्य की घबराहट और मीडिया दबाव के बीच शांति से राहत कार्यों का संचालन किया।
- **सहानुभूति और करुणामय शासन:**
  - **सहानुभूति** लोगों के **आघात को समझने में सक्षम** बनाती है और **विश्वास निर्माण को बढ़ावा** देती है। सहानुभूति से प्रशासन जनता की पीड़ा को समझ पाता है और उन पर विश्वास बना पाता है।
  - **उदाहरण:** कोविड-19 लॉकडाउन के समय, अनेक IAS अधिकारियों ने प्रवासी श्रमिकों के लिये भोजन और आश्रय की व्यवस्था की, जो सहानुभूतिपूर्ण प्रशासन को दर्शाता है।
- **प्रेरणा और धैर्यशीलता:**
  - प्रेरित नेता अपने दल को प्रेरित करते हैं और **धैर्यशीलता के माध्यम से दीर्घकालिक राहत कार्यों को जारी** रखते हैं।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2018 में केरल बाढ़ के दौरान, IAS अधिकारी कृष्ण तेजा ने स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाया, जिससे राहत कार्य शीघ्र हो सके।
- **प्रभावी संप्रेषण और संघर्ष समाधान:**
  - भावनात्मक रूप से सक्षम अधिकारी पारदर्शी संवाद करते हैं और तनावपूर्ण स्थितियों का शांतिपूर्वक समाधान करते हैं।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2013 में फैलिन चक्रवात के दौरान, ओडिशा प्रशासन ने लगभग 10 लाख लोगों को पहले से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया, जिससे घबराहट और जनहानि दोनों कम हुईं।
- **संकट के बाद पुनर्वास और विश्वास पुनर्निर्माण:**
  - आपदा के बाद के चरण में विश्वास का पुनर्निर्माण, आघात का समाधान और यह सुनिश्चित करने के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता महत्त्वपूर्ण है कि पुनर्वास मानवीय एवं समावेशी हो।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2015 में नेपाल भूकंप के बाद, ऑपरेशन मैत्री के तहत भारतीय प्रशासनिक और सैन्य दलों ने न केवल तात्कालिक राहत दी, बल्कि स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं बुनियादी अवसंरचना के पुनर्निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

निष्कर्ष:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपदा प्रबंधन में **नैतिक और मानवीय नेतृत्व की आधारशिला** है। '**मिशन कर्मयोगी**' इस दिशा में एक **दूरदर्शी पहल** है, जो **सिविल सेवकों को भावनात्मक, व्यवहारिक और नैतिक दक्षताओं से प्रशिक्षित करती है।** आगे की राह के रूप में, **फील्ड-आधारित प्रशिक्षण और सतत् फीडबैक प्रणाली** के माध्यम से इस प्रकार की भावनात्मक रूप से सक्षम प्रशासनिक संस्कृति को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

निबंध

प्रश्न : तेज़ी से बदलते विश्व में विकास और मूल्यों के संरक्षण के बीच संघर्ष मानवता के भविष्य को आकार प्रदान करता है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **महात्मा गांधी:** "एक राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के हृदयों और आत्मा में निवास करती है।"
- **जॉन एफ. कैनेडी:** "परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो केवल अतीत या वर्तमान की ओर देखते हैं, वे निश्चय ही भविष्य को चूक जाते हैं।"
- **कन्फ्यूशियस:** "यदि आप भविष्य को परिभाषित करना चाहते हैं, तो अतीत का अध्ययन कीजिये।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **प्रगति का विरोधाभास:** तकनीकी, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति मानव विकास को बढ़ावा देती है, लेकिन प्राय: सांस्कृतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आधारों को चुनौती देती है।
  - वास्तविक प्रगति वह है जो करुणा, गरिमा, न्याय और संवहनीयता जैसे प्रमुख मानवीय मूल्यों को नष्ट किये बिना मानव जीवन को बेहतर बनाए।
- **सभ्यतागत निरंतरता बनाम सांस्कृतिक विघटन:** ऐतिहासिक रूप से, जिन समाजों ने परिवर्तन के साथ अनुकूलन करते हुए अपने मूल्यों को संरक्षित रखा, वे लंबे समय तक विकासमान रहे।
  - उदाहरण के लिये, जापान में परंपरा और आधुनिकता का संतुलन या भारत की सांस्कृतिक बहुलता में निहित लचीलापन उल्लेखनीय है।
- **भारतीय दर्शन - शाश्वत बनाम क्षणभंगुर:** सनातन धर्म में सत्य, अहिंसा और धर्म (कर्त्तव्य) जैसे मूल्य शाश्वत माने जाते हैं, जबकि भौतिक उपलब्धियाँ क्षणिक होती हैं।
  - भगवद्गीता में भी यही उपदेश है कि मनुष्य को सफलता की चिंता किये बिना धर्म आधारित कर्म में रत रहना चाहिये।
- **प्रगतिशील रूढ़िवादिता:** परिवर्तन को सामाजिक निरंतरता से जोड़कर धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहिये, न कि संस्थाओं के विध्वंस के माध्यम से। मूल्य परिवर्तनशील युग में संतुलन और स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करते हैं।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **भारत का संविधान:** प्राचीन भारतीय मूल्यों पर आधारित एक प्रगतिशील दस्तावेज़, जो आधुनिक लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता को न्याय एवं सामुदायिक जीवन जैसी परंपराओं के साथ संतुलित करता है।
- **औद्योगिक क्रांति:** इसने भौतिक प्रगति का व्यापक विस्तार किया, परंतु साथ ही सामाजिक असमानताओं, श्रमिकों के शोषण और पर्यावरणीय क्षरण को भी बढ़ाया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मूल्यों से विहीन प्रगति के लिये आपको भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
- **हरित क्रांति:** इसने भारत में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया, परंतु साथ ही पारिस्थितिक असंतुलन और ऋण संकट जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न कीं, जो यह दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में नैतिकता आधारित सतत् पद्धतियों की आवश्यकता है।
- **युद्धोत्तर पुनर्निर्माण (जर्मनी और जापान):** इन देशों ने आधुनिकता की दिशा में प्रगति की, परंतु अपनी सांस्कृतिक पहचान को नहीं छोड़ा। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्थिक और तकनीकी विकास मूल्यों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकता है।

समकालीन उदाहरण:

- **जलवायु परिवर्तन शमन:** संधारणीयता संबंधी आंदोलन ऐसे विकास की ओर अग्रसर हैं जो हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देते हुए पारिस्थितिकी की रक्षा करें, यह 'पारपीढ़ी उत्तरदायित्व' जैसे प्रमुख मानव मूल्य को सहेजने का प्रयास है।
- **डिजिटल इंडिया और एथिकल गवर्नेंस:** भारत का डिजिटल परिवर्तन (जैसे–आधार, UPI) तभी सार्थक होगा जब यह डेटा गोपनीयता, सहमति और समावेशिता के सिद्धांतों के अनुरूप हो, ताकि तकनीक-आधारित भविष्य में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **शिक्षा सुधार:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है, परंतु साथ ही विविधता के प्रति सम्मान, नैतिकता एवं पर्यावरणीय चेतना जैसे मूल्यों को भी शिक्षा में समाहित करती है।
- **वैश्वीकरण में सांस्कृतिक पहचान:** योग, आयुर्वेद और देशज भाषाएँ यह दर्शाती हैं कि वैश्विक मंच पर उपस्थिति के लिये पारंपरिक जड़ों को त्यागना आवश्यक नहीं, बल्कि दोनों को साथ लेकर चलना संभव है।

प्रश्न : पहचान का तात्पर्य यह नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि यह है कि हम क्या नहीं हैं।

- **निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:**
  - जीन पॉल सार्त्र: "मनुष्य कुछ और नहीं, केवल वही है जो वह स्वयं को बनाता है।"
  - कार्ल युंग: "जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आप वास्तव में वही बन सकें, जो आप हैं।"
  - भीमराव अंबेडकर: "मैं किसी समुदाय की प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं द्वारा प्राप्त प्रगति के स्तर से करता हूँ।"
  - स्वामी विवेकानंद: "जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते।"
- **सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:**
  - **अस्तित्ववादी दर्शन – निषेध के माध्यम से पहचान:** सार्त्र और नीत्शे के अनुसार, व्यक्ति की पहचान किसी निश्चित 'स्व' की स्वीकृति से नहीं, बल्कि उस पर थोपे गए सामाजिक दायित्वों, लेबल्स और अपेक्षाओं को अस्वीकार करने से बनती है।
    - 'हम क्या नहीं हैं', यही सीमा-रेखा तय करती है कि 'हम क्या बनना चुनते हैं'।
  - **जुंग मनोविज्ञान – छाया-स्व की स्वीकृति:** अपनी पहचान को समझने के लिये हमें अपने भीतर के उन पक्षों का सामना करना होता है जिन्हें हम अस्वीकार करते या दबाते आए हैं।
    - जब हम अपने भय, पक्षपात और नकली व्यक्तित्वों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं।
  - **भारतीय चिंतन – 'नेति-नेति' (न यह, न वह):** वेदांत दर्शन में 'नेति-नेति' एक आध्यात्मिक पथ है जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान का बोध उन सभी भ्रांतियों को हटाकर करता है जो 'स्व' प्रतीत होती हैं।
    - आत्म-ज्ञान इस बात को पहचानने से उत्पन्न होता है कि आत्मा क्या नहीं है।
  - **औपनिवेशोत्तर सिद्धांत – 'अन्य' के विरुद्ध पहचान:** बहुत से राष्ट्रीय और व्यक्तिगत पहचान-निर्माण (जैसे–दलित अस्मिता या अफ्रीकी उपनिवेश-मुक्ति) तब उभरते हैं जब प्रभुत्वशाली व्यवस्था द्वारा थोपी गई हीनताबोधक पहचान का प्रतिरोध किया जाता है।
- **नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:**
  - **भारत का स्वतंत्रता संग्राम:** भारतीय पहचान का निर्माण इस प्रक्रिया से हुआ कि उसने उपनिवेशवाद द्वारा थोपी गई हीनता और पिछड़ेपन की परिभाषाओं को अस्वीकार किया।
    - गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे नेताओं ने पश्चिम द्वारा परिभाषित भारतीय अस्मिता को एक नए अर्थ में पुन: परिभाषित किया।
  - **नागरिक अधिकार आंदोलन (अमेरिका):** अफ्रीकी-अमेरिकियों ने केवल समानता का दावा नहीं किया, बल्कि उस प्रणालीगत नस्लवाद, भेदभाव और सांस्कृतिक विलोपन को ठुकराकर अपनी अस्मिता को पुन: स्थापित किया।
  - **नारीवादी आंदोलन:** स्त्रियों की पहचान ने तब एक नया रूप लिया जब उन्होंने यह चुनौती दी कि वे केवल अधीनस्थ, निष्क्रिय या घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं।
  - **LGBTQ+ आंदोलन:** समलैंगिक पहचान को न केवल आत्म-परिभाषा से मान्यता मिलती है, बल्कि 'सामान्य' या 'प्राकृतिक' क्या है, इस बारे में विषमलैंगिक मान्यताओं को अस्वीकार करने से भी मान्यता मिलती है।
- **समकालीन उदाहरण:**
  - **युवा और सोशल मीडिया:** आज की ऑनलाइन पहचान हमारी पसंद के चयन से गढ़ी जाती है कि हम क्या लाइक करते हैं, किसे स्वीकार/फॉलो करते हैं, किसे अस्वीकार/अनफॉलो करते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- पहचान केवल आत्म-अभिव्यक्ति से नहीं बनती, बल्कि इससे भी बनती है कि हम क्या नकारते हैं, जैसे– 'अनफॉलो', 'ब्लॉक' करना या किसी चीज़ से दूर रहना।
- **प्रवासी और प्रव्रजन समुदाय:** लोग प्राय: अपनी सांस्कृतिक पहचान को विदेशों में अधिक गहराई से महसूस करते हैं, जहाँ उनकी पहचान उस संस्कृति के विरोध में उभरती है जिसमें वे रहते हैं। यह विरोध ही सांस्कृतिक संरक्षण का माध्यम बन जाता है।
- **मिनिमलिज़्म और उपभोक्ता पहचान:** 'मिनिमलिज़्म' अर्थात् अतिसूक्ष्मवाद जैसी धारणाएँ स्वयं की पहचान को इस आधार पर नहीं गढ़तीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस आधार पर गढ़ती हैं कि हम क्या उपभोग करने से सचेत रूप से इनकार करते हैं। भौतिक अतिरेक को नकारना आंतरिक स्पष्टता का मार्ग बन जाता है।
- **गिग इकॉनमी में कॅरियर की पहचान:** आज अधिकाधिक युवा पारंपरिक **नाइन-टू-फाइव** नौकरियों को अस्वीकार कर फ्रीलांस, बहु-क्षमतावान या उद्देश्य-प्रधान कार्यों की ओर बढ़ रहे हैं।
  - वे स्वयं को केवल नई भूमिकाएँ अपनाकर नहीं, बल्कि थोपी गई सामाजिक-आर्थिक भूमिकाओं को पीछे छोड़कर या त्यागकर पुन: परिभाषित करते हैं।

प्रश्न : भविष्य उन लोगों का होता है जो परिवर्तन के अनुकूल ढल सकते हैं, न कि उनका जो इसका विरोध करते हैं।

- **अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:**
  - **चार्ल्स डार्विन:** *"यह आवश्यक नहीं कि सबसे शक्तिशाली या सबसे बुद्धिमान प्रजाति ही अस्तित्व में रहें, बल्कि उन प्रजातियों का ही अस्तित्व कायम रहता है जो परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक समुत्थानशील होती हैं।"*
  - **एल्विन टॉफ़लर:** *"इक्कीसवीं सदी का निरक्षर वह नहीं होगा जो पढ़-लिख नहीं सकता, बल्कि वह होगा जो सीखने, भुलाने और पुन: सीखने की क्षमता नहीं रखता।"*
  - **हेराक्लिटस:** *"जीवन में एकमात्र स्थायी वस्तु परिवर्तन ही है।"*
- **सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:**
  - **विकासवादी अनुकूलन बनाम जड़ता:** जीव विज्ञान में, अनुकूलन ही किसी प्रजाति का अस्तित्व सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार, सामाजिक, तकनीकी एवं राजनीतिक परिदृश्य में, समुत्थानशीलन/लचीलापन ही प्रासंगिकता और नवजीवन की कुंजी है।
  - **हेगेल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद:** यह सिद्ध करता है कि यथार्थ मानसिक या आत्मिक होता है तथा इसका विकास 'थीसिस-एंटीथीसिस-सिंथेसिस' की प्रक्रिया अर्थात्, **विचार और विरोध से ही नये सत्य की उत्पत्ति** होती है।
  - **अनित्यता का दर्शन (अनिच्चा):** बौद्ध दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति अपरिवर्तनशील रहता है, वह दु:ख को आमंत्रित करता है। मुक्ति के लिये परिवर्तन को आत्मसात करना आवश्यक है।
  - **लचीलापन और समुत्थानशक्ति:** मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग विपरीत परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, वे और भी मज़बूत होते जाते हैं। समुत्थानशीलन केवल जीवित रहने का गुण नहीं है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विकास की मानसिकता से जुड़ा एक **उच्च-स्तरीय कौशल** है।
  - **भारतीय दर्शन— कर्म और स्वधर्म की गति:** भगवद्गीता में समय, संदर्भ और भूमिका के अनुसार कर्त्तव्य की बात की गयी है, जिसका आशय है कि इस गतिशील संसार में परिवर्तन/समुत्थानशीलता ही धर्म है।
- **नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:**
  - **भारत का आर्थिक उदारीकरण (1991):** यह एक साहसिक नीतिगत बदलाव था, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया, बाज़ारों को खोला और विकास को बढ़ावा दिया, अन्यथा प्रतिरोध से देश का आर्थिक पतन हो सकता था।
  - **युद्धोत्तर जापानी पुनर्निर्माण:** जापान ने सैन्यवाद को त्याग कर समुत्थानशील नवाचार (जैसे: लीन मैन्युफैक्चरिंग, प्रौद्योगिकी) के माध्यम से स्वयं का पुनर्निर्माण किया, जिससे वह वैश्विक शक्ति बना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **चीन की 'रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप' नीति (1978):** देंग ज़ियाओपिंग द्वारा कम्युनिज़्म की कठोरता से हटकर व्यावहारिक आर्थिक बदलावों की ओर बढ़ना, राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलनशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- **कोविड-19 प्रतिक्रिया:** जिन देशों ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों, दूरस्थ कार्य अवसंरचना और सामाजिक सहायता तंत्रों को शीघ्रता से अपनाया, उनका प्रदर्शन उन देशों की तुलना में बेहतर रहा, जिन्होंने नए मॉडलों का विरोध किया।

समकालीन उदाहरण:

- **जलवायु अनुकूलन:** जलवायु-अनुकूल फसलों से लेकर हरित शहरी बुनियादी अवसंरचना तक, जलवायु परिवर्तन से निपटने में समुत्थानशीलता महत्त्वपूर्ण है।
- **कार्यस्थल का विकास:** गिग इकॉनमी, दूरस्थ कार्य और AI-संचालित कार्य निरंतर अधिगम और समुत्थानशीलता कॅरियर का स्थायित्व सुनिश्चित करते हैं, जो लोग इस बदलाव का विरोध करते हैं, उन्हें अप्रचलन/मूल्यह्रास का सामना करना पड़ता है।
- **NEP-2020 और शिक्षा:** बहु-विषयक शिक्षा और समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है, जो छात्रों को **रटने के बजाय** अनिश्चित भविष्य के लिये तैयार करता है, क्योंकि अब **'रटंत ज्ञान' पर्याप्त नहीं** है।
- **स्टार्ट-अप और नवाचार की संस्कृति: स्टार्ट-अप केंद्र** के रूप में भारत का उदय, **वैश्विक रुझानों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और बाज़ार में होने वाले निरंतर बदलाव** के प्रति इसके युवाओं की समुत्थानशक्ति को दर्शाता है।

प्रश्न : जितना अधिक हम संसार को 'हम' और 'वे' में बाँटते हैं, हम उतना ही अधिक 'हम सब' की भावना से कटते जाते हैं।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **मार्टिन लूथर किंग जूनियर:** *"हम सब भले ही अलग-अलग जहाज़ों में आये हों, पर अब एक ही नाव में हैं।"*
- **बराक ओबामा:** *"सबसे मज़बूत लोकतंत्र लगातार और जीवंत बहस से विकसित होते हैं, परंतु वे तभी टिकते हैं जब हर पृष्ठभूमि और विश्वास के लोग छोटे-छोटे मतभेदों को दरकिनार कर एक साझा मार्ग अपनाते हैं।"*
- **नेल्सन मंडेला:** *"अगर आप अपने दुश्मन के साथ शांति बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ मिलकर काम करना होगा। तब वह आपका सहयोगी बन जायेगा।"*
- **अज्ञात:** *"एकजुट रहें तो हम शक्तिशाली बने रहेंगे, परंतु विभाजित रहें तो हमारा पतन निश्चित है"।*

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **सामाजिक मनोविज्ञान– समूह के भीतर बनाम समूह से बाहर का पूर्वाग्रह:** अपने ही समूह का पक्ष लेने की मानवीय प्रवृत्ति पूर्वाग्रह, भय और विखंडन को जन्म देती है। इससे सामाजिक विश्वास एवं एकजुटता कमज़ोर होती है।
- **उबुंटू दर्शन (अफ्रीकी विचार):** "मैं हूँ क्योंकि हम हैं।" सच्ची मानवता सामूहिक संबद्धता में पाई जाती है, विभाजन में नहीं।
- **भारतीय दर्शन– वसुधैव कुटुंबकम:** समस्त विश्व एक परिवार है। जाति, धर्म और नस्ल जैसी कृत्रिम सीमाएँ, उस आध्यात्मिक व सामाजिक एकता को कमज़ोर करती हैं जिसका भारतीय दर्शन प्रचार करता है।
- **राजनीतिक सिद्धांत - पहचान की राजनीति बनाम सार्वभौमिकता:** यद्यपि पहचान की पहचान महत्त्वपूर्ण है, किंतु अत्यधिक ध्रुवीकरण सामूहिक लोकतांत्रिक भावना को कमज़ोर करता है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **1857 का विद्रोह:** 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव था। इसमें कोई साझा विचारधारा या अखिल भारतीय दृष्टिकोण (**'हम'** की भावना नहीं) **नहीं** था, जिससे यह एक एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन से अधिक स्थानीय विद्रोहों ('हम') की एक श्रृंखला बन गया।
- **रवांडा नरसंहार (1994):** औपनिवेशिक विरासत और प्रचार द्वारा बढ़ायी गयी जातीय वर्गीकृतियाँ (हूतु बनाम तुत्सी) ने साझा मानवीय चेतना को कुचल दिया, जिसके परिणामस्वरूप भयावह हिंसा की घटनाएँ हुई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नागरिक अधिकार आंदोलन:** विधिक और सांस्कृतिक अलगाव को समाप्त करके **अमेरिकी लोकतंत्र में 'हम' के विचार को पुनर्स्थापित करने का प्रयास** किया गया।
- **यूरोपीय संघ:** एक सफल मामला जहाँ पूर्व प्रतिद्वंद्वियों (**फ्राँस, जर्मनी**, आदि) ने साझा आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से एकता का निर्माण किया, **राष्ट्रवादी अलगाव के स्थान पर 'हम'** को चुना।

समकालीन उदाहरण:

- **भाषा आधारित संघर्ष:** भारत में भाषा विवाद प्राय: 'हम बनाम वे' के विभाजन को दर्शाता है, जहाँ क्षेत्रीय भाषाई पहचानें किसी प्रमुख भाषा (जैसे: हिंदी) के कथित थोपे जाने से खतरा महसूस करती हैं।
  - इससे **सांस्कृतिक अलगाव और क्षेत्रीय प्रतिरोध** उत्पन्न होता है, जो एक **एकीकृत राष्ट्रीय पहचान के विचार को चुनौती** देता है।
- **शरणार्थी संकट और आव्रजन बहस:** पश्चिम में बढ़ता विदेशी द्वेष 'मूल निवासियों' और 'बाहरी लोगों' के बीच विभाजन उत्पन्न करता है, जिससे मानवतावाद एवं वैश्विक सहयोग कमज़ोर होता है।
- **सोशल मीडिया इको चैम्बर्स:** एल्गोरिदम-ड्रिवेन कंटेंट पर्सनलाइजेशन ने वैचारिक अलगाव उत्पन्न कर दिया है, जिससे राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन और गहरा गया है।
- **पहागाम हमले पर एकजुटता: पहागाम हमले के बाद भारत में वैचारिक मतभेदों के बावजूद प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच एकजुटता (सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल)** देखी गई, जिसमें राष्ट्रीय हित को राजनीतिक प्रयासों से ऊपर रखा गया।

प्रश्न : सही और गलत के बीच की रेखा परिप्रेक्ष्य की स्याही से खींची जाती है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **महात्मा गांधी:** "शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है।"
- **अल्बर्ट आइंस्टीन:** "शांति बल से नहीं कायम की जा सकती; इसे केवल समझ से ही प्राप्त किया जा सकता है।"
- **सोरेन कीर्केगार्ड:** "सत्य एक व्यक्तिपरकता है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **नैतिक सापेक्षवाद बनाम निरपेक्षवाद:** यह अवधारणा कि 'सही' और 'गलत' जैसे नैतिक मूल्य सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य से निर्धारित होते हैं, इस **धारणा के विपरीत** है कि **कोई सार्वभौमिक नैतिक मानक** होता है।
- **परिप्रेक्ष्य आधारित नैतिकता (Ethics of Perspective):** नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो जो एक संस्कृति या संदर्भ में 'सही' माना जाता है, वही किसी अन्य में 'गलत' समझा जा सकता है। यह इस बात को दर्शाता है कि नैतिक निर्णय निश्चित नहीं होते, बल्कि परिवर्तनीय होते हैं।
- **रचनावादी ज्ञानमीमांसा (Constructivist Epistemology):** इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान अनुभवों एवं बोध के माध्यम से निर्मित होता है। इस दृष्टिकोण से 'सही' और 'गलत' के बीच का भेद व्यक्तिगत एवं सामूहिक अनुभवों द्वारा निर्मित होता है, न कि पहले से निर्धारित।
- **बौद्ध दर्शन और द्वैत की प्रकृति:** बौद्ध चिंतन के अनुसार **'सही' और 'गलत' जैसे द्वैत मानसिक संरचनाएँ** हैं, जो **दु:ख का कारण** बनती हैं। इन द्वैतों से ऊपर उठकर ही समग्र पारस्परिकता की **गहन समझ प्राप्त** की जा सकती है।
- **नैतिक व्यक्तिवाद (Ethical Subjectivism):** यह विचारधारा मानती है कि **नैतिक मत व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति** होते हैं, **न कि कोई वस्तुनिष्ठ सत्य।** अत: **'सही' और 'गलत' की अवधारणाएँ विषयपरक एवं सापेक्ष** होती हैं।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **सिविल राइट्स आंदोलन:** 20वीं शताब्दी के मध्य में **अमेरिका में समानता का अधिकार एक नैतिक दृष्टिकोण** था, जिसके लिये रंगभेद के विरोधियों ने संघर्ष किया। जबकि

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

उस समय के कई समर्थकों के लिये **नस्लीय पृथक्करण 'सही'** माना गया, जो **नैतिक मूल्यों की सापेक्षता** को उजागर करता है।

- **उपनिवेशवाद:** यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने कार्यों को 'सही' और 'सभ्यतामूलक मिशन' के रूप में देखा, जबकि **उपनिवेशित समाजों ने इन्हें 'शोषण' एवं 'दमन'** के रूप में अनुभव किया। यह परिप्रेक्ष्य आधारित नैतिक असहमति को दर्शाता है।
- **युद्ध और नैतिक दुविधाएँ:** विभिन्न समयों और संस्कृतियों में युद्ध के औचित्य अलग-अलग माने गये हैं। उदाहरण के लिये, द्वितीय विश्व युद्ध को मित्र राष्ट्रों द्वारा 'अनिवार्य बुराई' के रूप में उचित ठहराया गया, जबकि धुरी राष्ट्रों के लिये यह एक 'रक्षात्मक कार्यवाही' थी।
- **उपनिवेशवाद:** यूरोपीय उपनिवेशीकरण को उपनिवेशवादियों और एक सभ्यता मिशन द्वारा "सही" माना जाता था, जबकि उपनिवेशित लोगों ने इसे उत्पीड़न के रूप में देखा, जो **युद्ध में नैतिक दुविधाओं को उजागर करता है:** युद्ध के औचित्य **अक्सर संस्कृतियों और युगों के बीच भिन्न होते हैं।**
  - विभिन्न **समयों और संस्कृतियों में युद्ध के औचित्य** अलग-अलग माने गये हैं। उदाहरण के लिये, द्वितीय विश्व युद्ध को मित्र राष्ट्रों द्वारा 'अनिवार्य बुराई' के रूप में उचित ठहराया गया, जबकि धुरी राष्ट्रों के लिये यह एक 'रक्षात्मक कार्रवाई' थी।

समकालीन उदाहरण:

- **समलैंगिक विवाह:** समलैंगिक विवाह को लेकर 'सही' या 'गलत' होने का नैतिक दृष्टिकोण समाजों में भिन्न-भिन्न है। अनेक देशों में इसे अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि **भारत सहित कई अन्य देशों में यह अभी भी विवादास्पद और निषिद्ध** है।
- **पशु अधिकार:** कृषि, मनोरंजन और अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों में पशुओं के साथ व्यवहार को लेकर नैतिक बहस से पता चलता है कि **नैतिक आचरण की परिभाषा समाजों की सोच के अनुसार बदलती रहती है।**
- **जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियाँ:** कुछ लोगों के लिये आक्रामक जलवायु नीतियाँ 'सही' हैं क्योंकि ये पृथ्वी की रक्षा करती हैं, जबकि अन्य इन्हें आर्थिक हानि के परिप्रेक्ष्य में 'गलत' मानते हैं। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि एक ही विषय पर **नैतिक दृष्टिकोण किस प्रकार विभाजित** हो सकते हैं।

प्रश्न : विज्ञान भले ही तारों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन केवल तर्क ही हमारे पथ का मार्गदर्शन कर सकता है।

अपने निबंध को समृद्ध करने के लिये उद्धरण:

- **कार्ल सागन:** "कहीं न कहीं, कुछ अविश्वसनीय जानने की प्रतीक्षा कर रहा है।"
- **इमैनुएल कांट:** "विज्ञान संगठित ज्ञान है। बुद्धि एक संगठित जीवन है।"
- **अरस्तू:** "जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही अधिक आपको एहसास होता है कि आप नहीं जानते।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **विज्ञान और तर्कसंगतता:** विज्ञान हमें हमारे चारों ओर की दुनिया की तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है, चाहे वह ब्रह्मांड की संरचना हो या जैविक प्रक्रियाओं की प्रकृति। किंतु इस ज्ञान का उपयोग **मानव व्यवहार तथा निर्णय-निर्धारण को संचालित करने हेतु हम तर्क के माध्यम से** करते हैं।
- **व्यावहारिक ज्ञान (फ्रोनेसिस):** अरस्तू की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा यह इंगित करती है कि **केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, जब तक उसे विवेकपूर्वक और सुसंगत ढंग से प्रयोग में न लाया जाये।** विभिन्न परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग चुनने हेतु तर्क आवश्यक है।
- **नैतिक निर्णय लेना और तर्क:** यद्यपि विज्ञान किसी कार्य के संभावित परिणामों के संदर्भ में आँकड़े प्रदान कर सकता है, लेकिन तर्क हमें इन तथ्यों को संतुलित ढंग से परखने और ऐसे निर्णय लेने में सहायता करता है जो हमारे नैतिक मूल्यों, सामाजिक उद्देश्यों और भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **उत्तरआधुनिकतावाद और विज्ञान की सीमाएँ:** उत्तर-आधुनिक विचारधारा वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक ज्ञान पर अत्यधिक निर्भरता की आलोचना करती है तथा इस बात पर बल देती है कि तर्क का प्रयोग ही विज्ञान द्वारा प्रदत्त तथ्यों को अर्थपूर्ण बनाता है। यह विचारधारा मानवीय दृष्टिकोण, अनुभव और व्याख्या को भी निर्णय-निर्धारण में महत्त्वपूर्ण मानती है।
- **मानवीय एजेंसी और स्वेच्छाचारिता:** तर्क द्वारा मानव निर्णयों का संचालन यह दर्शाता है कि **मनुष्य केवल जैविक जीव नहीं** है जो मात्र प्रवृत्तियों के अधीन हो, बल्कि वह **अपने जीवन को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम प्राणी** है। यह तर्कशीलता ही मनुष्य को आत्मनिर्णय की क्षमता प्रदान करती है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **अंतरिक्ष दौड़ (शीत युद्ध काल): विज्ञान ने तारों तक पहुँचने का ज्ञान** प्रदान किया, परंतु **अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा को** राजनीतिक विचारधाराओं, राष्ट्रीय गौरव तथा **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा पर केंद्रित राष्ट्रों की रणनीतिक सोच** ने निर्देशित किया।
- **प्रबोधन युग (The Enlightenment):** इस आंदोलन ने मानव प्रगति के मार्गदर्शन हेतु तर्क को महत्त्व दिया, जिससे वैज्ञानिक खोज़ संभव हुईं। साथ ही, इसने ऐसे **नैतिक ढाँचे भी प्रस्तुत किये जो मानव समाज का मार्गदर्शन कर सकें।**
- **पर्यावरण नीतियाँ और तर्क: जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक अनुसंधान अत्यंत आवश्यक** है, परंतु इस ज्ञान का तर्कसंगत उपयोग ही **सतत् नीतियों तथा वैश्विक सहयोग के माध्यम से पृथ्वी के भविष्य** को आकार देता है।

समकालीन उदाहरण:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और नैतिकता:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा संचालित है, परंतु इसका उपयोग किस प्रकार हो, यह निर्णय गोपनीयता, रोज़गार तथा स्वायत्तता जैसे पक्षों से जुड़ी नैतिक तर्कशीलता द्वारा लिया जायेगा।
- **जीन एडिटिंग और CRISPR:** जीन संपादन विज्ञान में अपार संभावनाएँ हैं, परंतु विशेषत: मानव आनुवंशिक परिवर्तन के संदर्भ में इसके उपयोग का मार्गदर्शन तर्क और नैतिकता से ही किया जाना चाहिये।
- **नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण:** जीवाश्म ईंधनों से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक प्रगति से प्रेरित है, परंतु यह संक्रमण कितनी तीव्रता और प्रभावशीलता से होगा, यह **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय तत्त्वों के बीच संतुलन पर आधारित तर्कशील निर्णयों पर निर्भर** करेगा।

प्रश्न : दृढ़ विश्वास से इतिहास रचे जाते हैं और विवेक उसे बनाए रखता है।

निबंध को समृद्ध बनाने के लिये उद्धरण:

- **महात्मा गांधी:** "आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक महासागर है; यदि महासागर की कुछ बूँदें गंदी हो भी जायें, तो उससे पूरा महासागर गंदा नहीं हो जाता।"
- **मार्टिन लूथर किंग जूनियर:** "विश्वास का अर्थ है पहला कदम उठाना, भले ही आपको पूरी सीढ़ी दिखाई न दे।"
- **नेल्सन मंडेला:** "मैंने स्वतंत्रता की उस लंबी राह पर चलना शुरू किया। मैंने प्रयास किया कि मैं डगमगाऊँ नहीं; इस यात्रा में मुझसे कई भूलें हुईं। लेकिन मैंने यह रहस्य जाना कि जब आप एक ऊँची पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि चढ़ने के लिये अभी और भी कई पहाड़ियाँ शेष हैं।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **नैतिक दर्शन:** दृढ़ नैतिक विश्वासों से ही 'आस्था' (convictions) उत्पन्न होती है, जबकि 'अंतरात्मा' (conscience) यह सुनिश्चित करती है कि ये विश्वास समय के साथ नैतिक उत्तरदायित्व के अनुरूप बने रहें।
- **अस्तित्ववाद (कीर्केगार्ड, सार्त्र):** मानव इतिहास का निर्माण उन व्यक्तियों द्वारा होता है जो दृढ़ आस्था से कार्य करते हैं; लेकिन उस प्रभाव को बनाये रखने के लिये सजग आत्मचिंतन आवश्यक होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- **नैतिकता का तंत्रिका विज्ञान:** अनुसंधान से पता चलता है कि 'अंतरात्मा' सहानुभूति (Empathy) एवं सामाजिकता (Socialization) के साथ विकसित होती है और यही नैतिक विरासत को बनाए रखने की कुंजी है।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **एक स्थायी शक्ति के रूप में विवेक:** विवेक यह सुनिश्चित करता है कि विश्वासों का नैतिक रूप से प्रयोग किया जाए और उनका दुरुपयोग न हो।
  - **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** के विवेक ने भारतीय संविधान के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता (विशेष रूप से दलितों के लिये) पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - लंबी कैद के बावजूद, नेल्सन मंडेला की क्षमा और एकता के प्रति प्रतिबद्धता ने रंगभेद के बाद **दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना के लिये उनके विश्वास को बनाए रखा।**
- **नैतिक नेतृत्व और दूरदर्शिता:** नैतिक नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि विश्वास नैतिक जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित हों।
  - स्वतंत्रता के बाद के भारत में **जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की दृष्टि पर आधारित** था, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनके कार्य नैतिक रूप से निर्देशित हों।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल के दृढ़ विश्वास और उनके विवेक ने धुरी शक्तियों का सामना करने में नैतिक स्पष्टता के साथ, ब्रिटेन को उसके सबसे कठिन समय से गुजरने में मार्गदर्शन करने में सहायता की।

समकालीन उदाहरण:

- **व्हिसलब्लोअर/ मुखबिर** (जैसे: सत्येंद्र दुबे, शन्मुगन मंजूनाथ): उनके कार्य व्यक्तिगत दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होते हैं; परंतु इनकी प्रासंगिकता को सार्वजनिक विवेक ही प्रश्नांकित करता है और उनकी प्रासंगिकता को बनाए रखता है।
- **कॉर्पोरेट नैतिकता:** जो ब्रांड अपने उद्देश्यों को लेकर प्रतिबद्ध होते हैं (जैसे: पटागोनिया), वे इस 'दृढ़ विश्वास-आधारित मिशन' के कारण आगे बढ़ते हैं, लेकिन दीर्घकालिक प्रासंगिकता केवल निरंतर नैतिक आचरण से ही सुनिश्चित होती है।

प्रश्न : यदि कर्म के बिना आदर्श केवल आभूषण हैं, तो आदर्शों के बिना कर्म दुर्घटनाएँ हैं।

निबंध को समृद्ध बनाने के लिये उद्धरण:

- **जॉन एफ. कैनेडी:** "छत की मरम्मत का सही समय तब होता है जब धूप निकल रही हो।"
- **राल्फ वाल्डो इमर्सन:** "आप जो करते हैं उसकी गूँज इतनी प्रबल होती है कि शब्दों की ध्वनि भी उसमें दब जाती है।"
- **महात्मा गांधी:** "एक औंस (थोड़ा सा) अभ्यास, ढेर सारे उपदेशों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है।"

सैद्धांतिक और दार्शनिक आयाम:

- **व्यावहारिकता (जॉन डेवी, विलियम जेम्स):** मूल्यवान होने के लिये विचारों को कार्य में परिणत होना चाहिये; मार्गदर्शक आदर्शों के बिना कार्य में उद्देश्य का अभाव होता है।
- **महात्मा गांधी का कर्म दर्शन:** निश्छल उद्देश्य से प्रेरित सही कर्म ही आदर्शों और वास्तविकता के बीच सेतु का कार्य करता है।
- **नेतृत्व सिद्धांत:** सार्थक परिवर्तन साकार करने के लिये दूरदर्शी नेतृत्व (आदर्शों) को क्रियान्वयन (कार्य) के साथ जोड़ा जाना चाहिये।

नीति और ऐतिहासिक उदाहरण:

- **सोवियत संघ का पतन:** साम्यवाद के आदर्श व्यापक रूप से प्रचलित थे, लेकिन संगठित एवं सुसंगत कार्यवाही के अभाव में उसका विघटन हो गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

- स्वतंत्रता के बाद के **भारत में भूमि सुधार समान भूमि वितरण के आदर्श पर आधारित** थे, लेकिन उनके आंशिक और असंगत कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भिन्न परिणाम सामने आए, जिससे कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में कम विकसित रहे।
- **आदर्शों और कार्यों के बीच संबंध:** आदर्श हमारी सर्वोच्च आकांक्षाएँ हैं, लेकिन बिना कार्रवाई के, वे अधूरी रह जाती हैं।
  - **स्वच्छ भारत अभियान** एक स्वच्छ राष्ट्र का एक शक्तिशाली आदर्श था, लेकिन इसे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ही गति मिली।
- **व्यावहारिक आदर्शवाद:** सफल आदर्शवाद के लिये विश्वास और क्रियान्वयन दोनों की आवश्यकता होती है। भारत में हरित क्रांति, जिसका नेतृत्व **एम.एस. स्वामीनाथन** जैसे नेताओं ने किया, **ने खाद्य सुरक्षा के आदर्श को मूर्त कृषि सुधारों में बदल दिया जिससे फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।**
- **नैतिक और रणनीतिक संरेखण:** किसी भी कार्य को असंगत या निष्फल होने से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि वह हमारे आदर्शों के अनुरूप हो।
  - सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) पारदर्शिता का एक आदर्श था, जिसे कार्यान्वित किया गया, जिससे भारत सरकार में जवाबदेही बढ़ी।

समकालीन उदाहरण:

- **निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** संवहनीयता के आदर्शों को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को अपने दावों के समर्थन में **कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे कदमों की आवश्यकता** होती है।
  - **टाटा समूह की CSR पहल**, जैसे कि **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके कार्य, ने आदर्शों को कार्रवाई के साथ जोड़ा है**, जिससे **समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव** पड़ा है।
- **तकनीकी नवाचार (AI, नवीकरणीय ऊर्जा):** तकनीक में नैतिक आदर्शों के बिना क्रियान्वयन **दुर्घटनाओं** (जैसे: एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह, गोपनीयता का भंग होना) **का कारण** बन सकती है।
- **सोशल मीडिया मूवमेंट:** हैशटैग (**#पिंजरातोड़ अभियान**) अभियान की शुरुआत एक नैतिक आदर्श (लैंगिक स्वतंत्रता और समानता) के रूप में हुई थी, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब आया जब इस विचार को विधिक सुधारों और ज़मीनी प्रदर्शनों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME